# CURRENT AFFAIRS (16 June to 20 July)

Index:


| Topic | Page |
|---|---|
| Polity | 2-11 |
| Schemes | 11-15 |
| Economics | 16-31 |
| Environment | 31-36 |
| Science and Technology | 36-41 |
| International Relation | 41-54 |
| National Issues | 54-65 |
| Disaster Management | 66-66 |
| Internal Security | 67-72 |
| Geography | 72-74 |
| Ethics and Governance | 74-75 |
| Agronomy | 75-76 |
| Miscellaneous | 76-81 |


Prelims test Series: http://quiz.gshindi.com/

Download our Mobile APP from:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gshindi.android.testfirebase

GShindi.com

**POLITY**

**1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code): देश एक, संविधान एक फिर कानून अलग-अलग**

वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस देश में बहुत पुरानी है, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। सरकार ने लॉ कमीशन से इसके बारे में राय मांगी है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मुद्दे पर क्या हुआ, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिकोड करेंगे और आसान शब्दों में आपको इस पूरे मुद्दे के हर पहलू की जानकारी देंगे।

-केन्द्र सरकार ने लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के सभी पहलुओं की जांच करने को कहा है।

-कानून मंत्रालय ने कमीशन को इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।

-इसके अलावा सरकार अलग-अलग पर्सनल लॉ बोर्ड्स से भी इस मुद्दे पर एकराय बनाने के लिए बात करेगी।

-देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समाज में और अदालत में बड़ी बहस होनी चाहिए।

लॉ कमीशन कानूनों पर सरकार को सिर्फ़ सलाह देता है और कमीशन की रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार किसी भी रूप में बाध्य नहीं है।

**समान नागरिक संहिता का मुद्दा क्या है और इसे लेकर क्या विवाद है**

-यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत के सभी नागरिकों के लिए समान यानी एक जैसे नागरिक कानून।

-शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के तहत करते हैं।

-समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिये समान रूप से लागू होता है।

-ये किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है।

-संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया।

-लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने से हम वर्षों से संविधान की मूल भावना का अपमान कर रहे हैं।

अब सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। कई लोगों का ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से देश में हिन्दू कानून लागू हो जाएगा जबकि सच्चाई ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा क़ानून होगा जो हर धर्म के लोगों के लिए बराबर होगा और उसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा।

-फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।

-अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए तो सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा।

-यानी शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो।

-फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी क़ानूनों के तहत करते हैं।

-मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए इस देश में अलग कानून चलता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ

बोर्ड के ज़रिए लागू होता है।

-मुसलमानों में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इन दिनों देश में खूब बहस चल रही है और इसे हटाने की मांग की जा रही है। मुसलमानों में तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया के ज़रिए होता है।

-वैसे निजी कानूनों का ये विवाद अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है।

-उस दौर में अंग्रेज मुस्लिम समुदाय के निजी कानूनों में बदलाव करके उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे।

-आज़ादी के बाद वर्ष 1950 के दशक में हिन्दू क़ानून में तब्दीली की गई लेकिन दूसरे धर्मों के निजी क़ानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

-यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए क़ानूनों में ढेर सारी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी।

दूसरी समस्या ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग वजहों से इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहतीं क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट नहीं करता और इससे उनके वोट बैंक को नुकसान हो सकता है जिसका नतीजा ये है कि देश आज भी अलग-अलग क़ानूनों की जंज़ीरों में जकड़ा हुआ है।

दुख इस बात का है कि जो बहस आज से 50-60 साल पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, हम आज तक उसे ठीक से शुरू भी नहीं कर पाए हैं। अगर हम धार्मिक आधार पर बनाए गए पुराने कानूनों से मुक्ति पा लेते तो देश अब तक ना जाने कितना आगे बढ़ चुका होता, ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सोच का विषय है।

फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है जो वहां के हर नागरिक पर लागू होता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन लॉ की तर्ज पर अमेरिका में फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ की तर्ज पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। जर्मनी और उज़बेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू हैं।

धर्म पर आधारित कानूनों की ज़ंजीरों से आज़ादी का एकमात्र रास्ता ये है कि सबके लिए समान क़ानून बनाए जाएं। लोगों को इस बात पर यकीन होना चाहिए कि उनके साथ राजनीति नहीं होगी बल्कि न्याय होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके कानून को धार्मिक जंज़ीरों से मुक्त करना ज़रूरी है। ये देश को विकास के रास्ते पर बढ़ाने वाला कदम साबित हो सकता है।

---

**2. सातवें वेतन आयोग की खास बातें:**

1. **पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी गई है** और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (**पे मैट्रिक्स**) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।

2. सभी वर्तमान स्तरों को नये ढांचे में समाहित कर दिया गया है। कोई नया स्तर शुरू नहीं किया गया है और न ही किसी स्तर को हटाया गया है। वेतन संरचना के हर स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने के लिए सुव्यवस्थीकरण के सूचकांक को मंजूरी दी गई है, जो वरिष्ठता क्रम में हर कदम पर बढ़ती भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है।

3. **न्यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया** है। न्यूनतम स्तर पर किसी भी नवनियुक्त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्त 'क्लास I' अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा। यह 1:3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है,

जिससे यह पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी 'क्लास I' अधिकारी का वेतन न्यूनतम स्तर पर नवनियुक्त कर्मचारी के वेतन से तीन गुना अधिक होगा।

**3. संचार मंत्रालय का विभाजन, आईटी के लिए बना नया मंत्रालय**

केन्द्र सरकार ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभाजित करके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का नया मंत्रालय सृजित किया है।

**=>उद्देश्य:-**

इसका उद्देश्य आधार, इंटरनेट प्रचार एवं अन्य संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है।

- फैसले के अनुसार अब दो मंत्रालय होंगे- पहला संचार मंत्रालय एवं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- इसके अलावा संचार मंत्रालय में दो विभाग दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग होंगे। नये इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग होगा।
- कैबिनेट सचिवालय द्वारा हाल में जारी आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संबंध में भारत सरकार (कामकाज आवंटन) नियम 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है।
- इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को आधार संख्या जारी करने संबंधी प्राधिकरण यूआईडीएआई से जुड़े सभी मामलों से निपटेगा।
- नया मंत्रालय इंटरनेट प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं और 'नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर' (एनआईसी) सहित अन्य मामलों से भी निपटेगा।

**4. राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण" (एनईआरपी) 2016 की शुरूआत**

देश में मतदाता सूची की स्थिति सुधारने और मतदान केन्द्र की स्थिति और क्षेत्र को उपयुक्त बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने **"राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण" (एनईआरपी)** कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुचिता और निष्ठा को बढ़ाना और मतदाताओं को अपने-अपने मतदान केंद्रों तक आसानी से पहुंचने में सहायता प्रदान करने के लिए मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता केंद्रों का मानकीकरण करना है।

Why this scheme: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) सभी पात्र नागरिकों के नामांकन को बहुत महत्व देता है और मतदाताओं को सुविधाजनक स्थान पर स्थित भवनों तक पहुंचने और वहां बिना किसी परेशानी के अपने वोट डालने के लिए उनकी सहायता करता है। वर्ष 2016 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि "कोई भी मतदाता पीछे न छूटे"।

**एनईआरपी 2016 के दो लक्ष्य हैं -**

**(1)** मतदाता सूचियों में सुधार लाने के लिए एक मिशन के रूप में सभी पात्र नागरिकों को शामिल करना; मतदाता सूचियों में कोई त्रुटि न होना; विशिष्ट मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या के साथ प्रत्येक पात्र मतदाता के लिए एकल मतदाता सूची प्रवेश; सभी अनुपस्थित (ए) / स्थान बदलने वाले (एस) / मृत (डी) मतदाताओं की 'प्रविष्टियों और उनके दोहराव को हटाना और फोटो मतदाता सूची (पीईआर) को भारतीय निर्वाचन आयोग के मानकों की पुष्टि करते हुए प्रत्येक मतदाता के अच्छी गुणवत्ता वाले सही फोटो के साथ, फोटो मतदाता सूचियां सुनिश्चित करना, और मतदाताओं के संपर्क विवरणों को प्राप्त करके मतदाताओं को भारतीय निर्वाचन आयोग से जोड़ना।

**(2)** सेक्सनों, मतदान केंद्रों की चारदीवारियों और स्थल का मानकीकरण और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेक्सनों के मानकीकरण के साथ चारदीवारियों के हिस्से के अधिकतम उपयोग द्वारा मतदान केंद्रों के नक्शे में सुधार करना। मतदान केंद्रों को हिस्सों या आसन भागों में और संशोधित मतदाता केंद्र नक्शे को 'मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे' दर्शाने वाले नक्शे के हिस्से द्वारा स्थानांतरण करना; इसके लिए मतदान केंद्र भवन के फोटो और न्यूनतम मूल सुविधाओं के विवरण के साथ परिमापित मतदान केंद्र कक्ष की ड्राइंग को भी शामिल किया जाएगा।

**5. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2016 को मंजूरी**

केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। इस बिल को पास करके सरकार ने समलैंगिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सुगठित होने का रास्ता निकाल दिया है। इस बिल के पास होने से समाज में कलंक माने जाने वाले समलैंगिकों को कई ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जिनसे उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने में और उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी।

क्यों यह बिल:

ट्रांसजेंडर व्यक्ति देश के सबसे हाशिये पर मौजूद समुदायों में शामिल है क्योंकि वे लिंग की स्टीरियोटाइप श्रेणी 'पुरुष' और 'महिला' में फिट नहीं बैठते। फलस्वरूप उन्हें सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव तक, शिक्षा सुविधाओं के अभाव, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है।

**क्या है इस बिल में:**

- इस विधेयक के जरिये सरकार ने उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए एक ढांचा तैयार किया है।

- यह विधेयक हाशिये पर आ चुके बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके साथ होने वाले भेदभाव और शोषण को रोकने में मदद करेगा।
- यह व्यापक समग्रता को बढ़ावा देगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज के उपयोगी सदस्य बनाएगा।
- यह विधेयक सभी हितधारकों को इसके सिद्धांतों को लागू करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगा।
- यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों शासित केंद्र/प्रदेशों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े मुद्दों पर अधिक से अधिक जवाबदेही तय करेगा।

## 6. सुप्रीम कोर्ट: अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल करने का औजार नहीं है आफ्स्पा (AFSPA)

- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) की सबसे घातक आलोचना सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के रूप में सामने आई. संदेश था- आप किसी को मारने के लिए गोली नहीं चला सकते.

- यह सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए बड़ा झटका था जो पिछले 60 वर्षों से मणिपुर में आफ्स्पा के तहत असीम शक्तियों का आनंद उठा रहे हैं. इन पर इसी कानून की आड़ में अनेक हत्याएं करने का आरोप है, जो कभी न्यायालय के सामने नहीं आए.

- सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, सशस्त्र बल "एक मक्खी को मारने के लिए लुहार के हथौड़े" का उपयोग नहीं कर सकते.

- सुप्रीम कोर्ट पिछले 20 सालों के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए 1528 लोगों के मामले की सुनवाई कर रहा था. पीठ ने मामले की सुनवाई में पाया कि जिन मामलों में सेना को कट्टरपंथी आतंकवादियों का सामना करना पड़ा था उनमें सरकार का तर्क था कि बंधे हाथ के साथ आतंकवादियों, उग्रवादियों और विद्रोहियों से लड़ाई संभव नहीं है.

- अदालत ने पाया कि यह तर्क वैध नहीं है. अदालत ने कहा, "यह मुठभेड़ या ऑपरेशन नहीं है जो जांच के दायरे में है, बल्कि यह तो बंदूक से उठता धुआं है जिसकी जांच हो रही है.

★एक ऑपरेशन में बल के उपयोग और एक ऐसे घातक बल के उपयोग में गुणात्मक रूप से बहुत अंतर है जो एक मक्खी को मारने के लिए लुहार का हथौड़ा इस्तेमाल करने पर उतारू है. इनमें से पहला जहां आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम है, वहीं दूसरा प्रतिशोध के किया गया काम है."

**=>क्या परिवर्तन आ रहा है?**

★सुप्रीम कोर्ट ने अपने 85 पन्नों के आदेश में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसका प्रभाव मणिपुर ही नहीं, बहुत दूर तक नजर आने की संभावना है. असम, मणिपुर, मिजोरम और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी इसका असर दिखेगा, जहां आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के नाम पर इसी तरह मानव अधिकारों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हुआ है.

★सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस देश का प्रत्येक नागरिक "संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन जीने का अधिकार) के तहत सहित सभी मौलिक अधिकारों" के हकदार है, चाहे वह अशांत क्षेत्र में ही क्यों न रहता हो. और इसी कारण "मुठभेड़ के दौरान हुई हत्या" के प्रत्येक मामले में गहन जांच की जरूरत है.

**=>अदालत की टिप्पणियां :-**

1- आंतरिक गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति वाला बर्ताव नहीं किया जा सकता. लोगों से दुश्मन की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता और उन्हें गोली नहीं मारी जा सकती.

2- यहां तक कि पहचाने जा चुके उग्रवादियों, आतंकवादियों और खूंखार अपराधियों के मामलों में भी सेना की नियम पुस्तिका (रूल बुक) लागू होगी, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है.

3- यदि सशस्त्र बल किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि उसकी मौत हो जाए तो इसकी एक स्वतंत्र निकाय द्वारा गहन जांच कराई जानी चाहिए.

4- सेना के अधिकारी किसी हत्या के मामले में आफ्स्पा के तहत प्रदत्त शक्तियों का दावा करने के योग्य नहीं होंगे.

5- आपराधिक मुकदमे के मामले में सेना के अधिकारियों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

6- अशांत घोषित क्षेत्र में भी केवल इस अनुमान पर किसी की हत्या नहीं की जा सकती कि वह दोषी है.

**=>एक महत्वपूर्ण कदम :-**

★इन कारणों से कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताया है.

♂ "अदालत ने बहुत उदार तरीके इस कानून की व्याख्या की है. इसमें मानवीय रवैया अपनाया गया है, जो निश्चित रूप से अच्छा और न्याय पाने के रास्ते में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस फैसले का असर सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, पूरे देश में महसूस किया जाएगा, जहां भी आफ्स्पा लागू हैं."

Gshindi.com

## 7. जजों की नियुक्ति पर जारी गतिरोध दूर हो

भारत के 24 उच्च न्यायालयों में 1091 जज होने चाहिए. लेकिन 470 पद खाली पड़े हैं. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति और सरकार के बीच इसे लेकर खींचतान जारी है कि जजों की नियुक्ति पर आखिरी फैसला किसका हो. इसका नुकसान न्यायिक व्यवस्था को हो रहा है.

- दो दशक पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था, जिसमें कुछ जज एक बंद कमरे में बैठकर जजों की नियुक्ति का फैसला करते हैं, भारत में ही हुई एक खोज है जिसे न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर अंजाम दिया गया. हकीकत में देखें तो इसने एक अपारदर्शी न्यायिक व्यवस्था को जन्म दिया है. समय आ गया है कि इसे बदला जाए.
- जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. सबसे जूनियर जजों का चुनाव राष्ट्रीय न्यायिक सेवा के जरिये किया जा सकता है. चाहे वह जिला स्तर पर हो, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर पर, सभी खाली पदों की सूचना सार्वजनिक होनी चाहिए और उनके लिए पात्रता की शर्तें भी ताकि न्यायिक सेवाओं और बार के सदस्य उनके लिए आवेदन कर सकें.
- सभी आवेदनों की समीक्षा एक समिति करे. इस समिति में उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के जजों के साथ सर्वोच्च विधि अधिकारी भी शामिल हो. जिला, सत्र या उच्च न्यायालय के मामले में वह राज्य का एडवोकेट जनरल हो सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के मामले में अटॉर्नी जनरल.
- समिति द्वारा की जाने वाली सभी चर्चाएं और सिफारिशें रिकॉर्ड की जानी चाहिए. समिति जो सूची बनाए सरकार उसमें से ही उम्मीदवार नामांकित करे. इसके बाद अलग-अलग पार्टियों के विधायकों या सांसदों से बनी विधायी समिति को उम्मीदवारों के बारे में उपलब्ध जानकारियों का संज्ञान लेते हुए उन्हें मंजूरी देनी चाहिए.
- नियुक्तियों पर आखिरी फैसला उचित विधानमंडल का ही होना चाहिए. अगर समिति किसी उम्मीदवार को खारिज कर देती है तो सूची में शामिल अगले उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है. यह व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता का क्षरण करने के बजाय उसे मजबूत बनाएगी.
- जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में छायी अपारदर्शिता अप्रत्यक्ष रूप से हेर-फेर का कारण बनी है. इसके चलते यह भी हुआ कि अक्सर सबसे अच्छे कानूनविद न्यायिक व्यवस्था से बाहर रह गए.
- नियुक्तियों की पारदर्शी, निष्पक्ष और खुली व्यवस्था ही यह सुनिश्चित करने का सबसे अहम उपाय है कि लोगों का कानून व्यवस्था में विश्वास बना रहे. यह कारोबार चलाने, विकास सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भी जरूरी है.

## 8. सबरीमाला मामला संविधान पीठ को : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबरीमाला के मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दस साल से 50 साल तक की महिलाओं को ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में नहीं जाने देने की प्रथा पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला बनता है।

जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया गया है। इस मामले में एक विस्तृत फैसला पांच जजों की संविधान पीठ दे सकती है। जस्टिस सी नागप्पन और आर भानुमति की इस खंडपीठ ने कहा कि एक मंदिर सार्वजनिक धार्मिक स्थल है।

आप वहां किसी महिला को आने से नहीं रोक सकते। इससे महिलाओं के अधिकार का हनन होता है। हम इस विषय की गंभीरता को समझते हैं। हरेक अधिकार को संतुलित करने की जरूरत होती है। लेकिन हर संतुलन की अपनी सीमाएं हैं।

किसी अधिकारी में संतुलन बनाने की कोशिश समस्या खड़ी करती है। हम इस मामले को सिर्फ संविधान पीठ को रेफर ही नहीं करना चाहते। बल्कि संविधान पीठ को रेफर किया तो हम विस्तृत आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को सुनिश्चित की है।

## 9. सुप्रीम कोर्ट: अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों के लिए दण्ड से मुक्ति की समाप्ति के पक्ष में

Ø शीर्ष अदालत ने कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की गहन जांच का आदेश देते हुए कहा कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफास्पा) के तहत गड़बड़ी वाले इलाके में सशस्त्र बल या पुलिस 'ज्यादा या जवाबी ताकत' का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।

Ø **क्या है मामला :** वर्ष 2000 से 2012 के बीच हुए 1528 फर्जी मुठभेड़ों को लेकर दायर पीआइएल की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा, 'मणिपुर में सच्चाई जानने की जरूरत है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ज्यादा से ज्यादा आंतरिक अव्यवस्था जैसी है। इससे देश की सुरक्षा को या युद्ध होने या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा नहीं है।'

Ø पीठ ने कहा कि आंतरिक गड़बड़ी पर काबू पाने के लिए सशस्त्र बल को प्रशासनिक व्यवस्था की सहायता में तैनात किया जा सकता है।

Ø पीठ ने कहा कि सशस्त्र बल नागरिक प्रशासन का अधिकार (AFSPA) अपने हाथ में नहीं ले सकता है, बल्कि वह केवल उसकी सहायता कर सकता है। इसका कारण यह है कि स्थिति सामान्य रूप से बहाल करने के लिए उसे तैनात किया जाता है।

Ø कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का आदेश देते हुए पीठ ने कहा कि सच्चाई जानना अनिवार्य है ताकि कानून न्याय के साथ खड़ा दिखाई दे।

Ø सच्चाई पता लगाने की कवायद में फर्जी मुठभेड़ हुई हैं या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा। यदि हुई तो मानवाधिकार उल्लंघन किसने किया और पीड़ित के आश्रित के साथ कैसी संवेदना जताई गई और इससे आगे के कदम उठाए गए कि नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी

Ø सरकार का तर्क कि अभियोजन पक्ष से उन्मुक्ति सुरक्षा बलों पर एक हतोत्साहित प्रभाव पड़ेगा, अदालत ने यह विचार करने के लिए कहा की एक लोकतंत्र में बंदूक के डर के नीचे रहने वाले "समान रूप से परेशान और हतोत्साहित " एक नागरिक के के लिए भी कुछ सोचो।

**Ø क्या है यह क़ानून**

Ø 1958 में, असम और मणिपुर के "अशांत क्षेत्रों" में हो रहे सशस्त्र बगावत से"निपटने" के लिए, सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां देने के उद्देश्य से, एक अध्यादेश पारित किया गया था. इसे 11 सितम्बर 1958 को आफस्पा कानून("Armed Forces (Special Powers) Act" या "सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां)अधिनियम") का रूप दिया गया

Ø आफस्पा कानून बहुत छोटा सा कानून है जिसमे महज़ 7 धाराएँ हैं.

Ø धारा 4 के अनुसार एक अशांत क्षेत्र में एक "अधिकृत अधिकारी" को काफी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं. ऐसे क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बालों का कोई भी कमीशन–प्राप्त अफसर, वारंट अफसर, या कमीशन–अप्राप्त अफसर (non commissioned officer) भी एक अधिकृत अधिकारी की श्रेणी में आता है,यानि एक जवान के ऊपर का हर अधिकारी "अधिकृत अधिकारी" है.

Ø **क्यों हो रहा है इसका विरोध ?:** पिछले दशकों में जब आफस्पा उत्तर पूर्व और कश्मीर में लागू रहा है, लगातार यह देखा गया है कि सशस्त्र बलों के द्वारा निर्दोषों को उठाया जाना, अमानवीय यातनाएं देना, फर्जी मुठभेड़, यौन हिंसा और बलात्कार आदि अनेकों घटनाये हुई हैं.

आफस्पा कानून में – सशस्त्र बलों के अफसरों को केवल उनके "व्यक्तिगत राय"के आधार पर घरों में प्रवेश, गिरफ़्तारी, गोली चालन करने के शक्तियों के चलते;और उनपर पिछले 50 वर्षों में कभी भी सिविल मुक़दमे के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण; नागरिकों के पास सशस्त्र बलों के द्वारा की गयी ज्यादतियों के विरुद्ध कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं रहा है.

## 10. TRAI ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) नियम (टीसीपीआर), 2016 का मसौदा जारी किया

Background:

दूरसंचार कंपनियां 3जी में अधिकतम 7.1 एमबीपीएस गति का दावा करती हैं, पर वास्तव में उपभोक्ता को 100 केबीपीएस से भी कम गति मिलती है, जो एक एमबीपीएस से भी 12 गुना कम है। कंपनियां इंटरनेट गति कम होने की वजह नेटवर्क और अन्य तकनीकी वजह बताती हैं। वह अधिकतम गति का दावा करती हैं, लेकिन न्यूनतम गति बताने से कतराती हैं।

**क्या है मसौदा**

- ट्राई ने मोबाइल इंटरनेट डेटा की गति मापने वाला एप पेश करते हुए कहा है कि वह एक महीने के अंदर वायरलेस डेटा के लिए नए सेवा गुणवत्ता नियम तय करेगा
- ट्राई ने उपभोक्ताओं को खुद इंटरनेट डेटा गति मापने के लिए माईस्पीड एप लॉन्च किया है
- ट्राई माईस्पीड एप के जरिये उपभोक्ताआंे से तत्काल आधार पर आंकड़े प्राप्त कर सकेगा।
- फिर इसे ट्राई एनालिटिक्स पोर्टल पर डाला जाएगा। यह तत्काल किसी क्षेत्र में हर ऑपरेटर की डेटा स्पीड गो दिखाएगा।

- => **दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण का पुराना सवरूप**

टीसीपीआर-2012 के दायरे में आने वाली मौजूदा नियामक व्यवस्था में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को या तो अकेले अथवा अन्य टैरिफ प्लान के साथ संयुक्त रूप से विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) के रूप में डेटा सेवाओं की पेशकश करने की इजाजत दी गई है, जिसमें अनुमति प्राप्त अधिकतम वैधता 90 दिनों की है। हालांकि, टीआरएआई को इस तरह के अनुरोध प्राप्त हुये हैं कि वायरलेस इंटरनेट के मुख्यत: ऐसे छोटे उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए डेटा पैक (अर्थात केवल डेटा लाभ से जुड़े विशेष टैरिफ वाउचर) की वैधता अवधि बढ़ाई जाये, जो लंबी अवधि एवं कम राशि वाले डेटा पैक को प्राथमिकता देते हैं।

=> **नए मसौदे का ड्राफ्ट**

सीपीआर में प्रस्तावित संशोधन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 'केवल डेटा लाभ' वाले ऐसे एसटीवी की पेशकश करने की इजाजत दी जायेगी जिसकी वैधता अवधि मौजूदा अधिकतम 90 दिनों के बजाय 365 दिनों की होगी।

## 11.अशक्तों को तीन फीसदी आरक्षण दें: SC

- सरकारी नौकरियों में अशक्तों की संख्या तीन प्रतिशत से भी कम है।
- SC ने सरकार को निर्देश देते हए कहा है की वह ग्रुप ए और ग्रुप बी में सभी चिह्नित पदों पर अशक्त लोगांे को तीन प्रतिशत आरक्षण दे।

- कोर्ट ने कहा है कि चाहे किसी भी प्रक्रिया से ऐसे पदों को क्यों न भरा जा रहा हो, आरक्षण देना जरूरी है।
- पीठ ने कहा कि यह जिक्र करना निराशाजनक है कि अशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के लागू होने के कई साल बाद भी अशक्त लोगों की संख्या सरकारी सेवाओं में कम है
- **कार्मिक विभाग का आदेश जो SC ने रद्द किया** : पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दो ज्ञापनों को अवैध करार देते हुए यह व्यवस्था दी। इन ज्ञापनों को फरवरी 1997 और दिसंबर 2005 में जारी किया गया था। इनके जरिए विभिन्न पदों पर तीन प्रतिशत कोटा के सांविधिक फायदे से इनकार किया गया था,जिन्हें अशक्तों के लिए आरक्षित किया जा सकता था और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं के तहत आते थे।

**12. चर्च से मिला तलाक भी सवालों के घेरे में**

मुस्लिमों के तीन तलाक के साथ ही चर्च से मिला तलाक भी सवालों के घेरे में है|

- एक जनहित याचिका लंबित है जिसमें चर्च से मिले तलाक को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की गई है।
- याचिका में कहा गया है कि चर्च से मिले तलाक पर सिविल कोर्ट की मुहर लगना जरूरी न हो।

**क्या है मामला :**

- इसाइयों के धर्म विधान के मुताबिक कैथोलिक चर्च में धार्मिक अदालत में पादरी द्वारा तलाक व अन्य डिक्रियां दी जाती हैं।
- सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पैरोकारी कर रहे वकील का कहना है कि चर्च द्वारा दिए जाने वाले तलाक की डिक्री के बाद कुछ लोगों ने जब दूसरी शादी कर ली तो उन पर बहुविवाह का मुकदमा दर्ज हो गया।
- ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह घोषित करे कि कैनन लॉ (धर्म विधान) में चर्च द्वारा दी जा रही तलाक की डिक्री मान्य होगी और इस पर सिविल अदालत से तलाक की मुहर जरूरी नहीं है।

**सरकार का तर्क**

सरकार का तर्क है कि मांग स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि तलाक अधिनियम लागू है और कोर्ट उसे वैधानिक भी ठहरा चुका है

**13.अब सालाना ब्योरा नहीं देने वाले एनजीओ पर जुर्माना**

- सालाना वित्तीय विवरण नहीं देने वाली गैरसरकारी संस्थाओं (एनजीओ) पर अब सख्ती होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लगातार दो साल तक वित्तीय ब्योरा नहीं देने वाले एनजीओ से विदेशी चंदा का दस फीसद या दस लाख रुपये (दोनों में से जो कम हो) वसूला जाएगा।

- नए प्रावधानों के तहत साल 31 दिसंबर के बाद दो वर्षों तक ब्योरा नहीं देने वाले संस्थाओं से विदेशी चंदा का पांच फीसद या पांच लाख रुपये वसूले जाएंगे।

- छह महीने से एक साल तक विवरण नहीं देने वालों पर विदेशी चंदे का चार फीसद या दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का प्रावधान किया गया है।

- इसी तरह तीन से छह महीनों तक विवरण नहीं देने की स्थिति में चंदे का तीन प्रतिशत या पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

- तीन महीनों तक वार्षिक ब्योरा नहीं देने पर विदेशी चंदे का दो फीसद या दस हजार रुपये वसूले जाएंगे।

- तकरीबन तीस लाख पंजीकृत एनजीओ में दस फीसद से भी कम संस्थाएं वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा देते हैं।

**14. लेस्बियन और गे नहीं हैं थर्ड जेंडर : सुप्रीम कोर्ट**

- सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को ले**कर 2014 में दिए अपने फैसले को दोहराते हुए साफ किया है कि गे, लेस्बियन और बायसेक्शुल थर्ड जेंडर की गिनती में नहीं हैं।**

**- थर्ड जेंडर केवल ट्रांसजेंडर्स (किन्नर) के लिए ही है।**

- सुप्रीम कोर्ट ने यह बात केंद्र सरकार की उस याचिका पर कही है जिसमें सरकार ने आरक्षण को लेकर पूछा था कि क्या गे, लेस्बयिन और बायसेक्शुल भी इस कैटेगरी में आते हैं।

- केंद्र की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कहा कि 2014 में दिए फैसले में सारी बातें साफ कही गई थी फिर भी सरकार अब तक इसे लागू करने में असफल रही है।

- मालूम हो कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर में **केवल किन्नरों** को रखते हुए कहा था कि उन्हें सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाए और शिक्षा के अलावा नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए।

**15. एक करोड़ रुपये से अधिक सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में**

- सरकार से अनुदान के तौर पर **एक करोड़ रुपये से अधिक रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) लोकपाल के दायरे** में लाये गए हैं।

- नए नियमों के तहत, इस तरह के **एनजीओ के पदाधिकारियों को 'लोक सेवक' मना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून** के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
- गृह मंत्रालय को विदेशी अनुदानों का दुरूपयोग करने के मामले में विदेशी वित्त पोषित एनजीओ के कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय को 'सक्षम प्राधिकार' बनाया गया है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, एक सोसाइटी, लोगों के संघ या न्यास (किसी भी कानून के तहत पंजीकृत किया गया हो जो फिलहाल लागू है या नहीं) जिसे सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक वित्त पोषित किया गया हो और जिसकी सालाना आय एक करोड़ रुपये से अधिक हो, का कोई भी मौजूदा या पूर्व निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कोई अन्य अधिकारी लोकपाल के दायरे में आएगा।

- यह कदम ऐसे समय उठाया गया है ज**ब विदेशों से मिले धन का दुरूपयोग करने के कारण सरकार द्वारा दो एनजीओ- लॉयर्स कलेक्टिव एवं सबरंग ट्रस्ट के लाइसेंस हाल ही में निरस्त** कर दिए गए हैं। नए नियम एनजीओ, सीमित देनदारी वाली साझीदारी फर्मों या ऐसे किसी अन्य समूह जो केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण वित्त पोषित हैं पर लागू होंगे।

- उस एनजीओ के शीर्ष अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी से 'उस समय तक सालाना रिटर्न दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है जब तक कि उपरोक्त दान की संपूर्ण रकम पूर्ण उपयोग नहीं हो जाती।'
- सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले एनजीओ के मामले में ऐसे किसी भी संगठन को अधिकतम सहायता राशि देने वाला संबद्ध मंत्रालय के विभाग का प्रभारी मंत्री, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा।

**- लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून, 2013** के तहत बनाए गए नए नियमों में कहा गया है कि एनजीओ द्वारा सालाना रिटर्न संबद्ध विभाग के पास दाखिल किया जाएगा जिसमें सरकारी सहायता की अधिकतम राशि का ब्यौरा देना होगा। ये सालाना रिटर्न, निदेशक, प्रबंधक या सचिव सहित शीर्ष पदाधिकारियों को भी दाखिल करना आवश्यक होगा।

- नए नियमों से सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ के तहत काम कर रहे अधिकारी लोकपाल के दायरे में आ गए हैं और अनुदान का दुरपयोग करने या कथित भ्रष्टाचार के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।' लोकपाल नाम की संस्था केन्द्र सरकार द्वारा अभी स्थापित की जानी बाकी है क्योंकि लोकपाल कानून का संशोधन विधेयक संसद में लंबित है।

## 16. लोकसभा व विधानसभा चुनाव एकसाथ

क्यों जरुरी

- चुनाव लोकतंत्र की धड़कन तो है, उसके जीवंत होने का प्रमाण तो है, पर उसके स्वस्थ, संपन्न और गुणवत्तापूर्ण होने का प्रमाण नहीं। चुनाव को लोकतंत्र का पर्याय नहीं कहा जा सकता। हमें चुनावों से आगे जाना होगा|
- चुनावों द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक शैली पर काम करने वाली सरकारों से सुशासन और विकास की नई अपेक्षाएं करनी होंगी, एकसाथ चुनाव इसमें सरकार को focussed रखेगा
- देश में एक नई राजनीतिक-संस्कृति के माध्यम से दक्ष, प्रभावी और मितव्ययी प्रशासन स्थापित वाली सरकार जो पारदर्शी, स्वच्छ एवं संवेदनशील हो इसके लिए भी देश में लोकसभा, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों का चुनाव एक साथ करने का सुझाव महत्वपूर्ण हो जाता है।

हाल में संसदीय-समिति ने दिसंबर 2015 में अपने प्रतिवेदन में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी।

**चुनावों का इतिहास**

- संविधान लागू होने के बाद चार बार (1951, 1957, 1962, 1967) लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए।
- लेकिन 1967 में आठ राज्यों-बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास (तमिलनाडु) और केरल में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनने से संपूर्ण संघीय ढांचे पर कांग्रेस का एकछत्र वर्चस्व खत्म होने की शुरुआत हो गई।
- गैर-कांग्रेसी सरकारों को भंग करके उन राज्यों में मध्यावधि चुनाव कराए गए। तबसे लेकर आज तक एक साथ चुनावों का चक्र बन नहीं पाया जिससे हर समय देश में कहीं न कहीं चुनाव चलता ही रहता है।

**एक साथ चुनाव करने में बाधाएं**

- **संवैधानिक बाधा**
- संविधान ने हमें लोकतंत्र का संसदीय-मॉडल दिया जिसमें यद्यपि लोकसभा और विधानसभाएं पांच वर्षो के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन अनु. 85 (2) ब के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनु. 174 (2) ब के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को पांच वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकते हैं।
- अनु. 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और विधानसभाओं को आपातकाल की स्थिति में उनके कार्यकाल के पूर्व भी भंग किया जा सकता है।

- अनु. 352 के तहत युद्ध, वाह्य-आक्रमण और सशस्त्र-विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय-आपात लगाकर लोकसभा के कार्यकाल को पांच-वर्ष के आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त अनु. 2 के अंतर्गत संसद किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है और अनु. 3 द्वारा कोई नया राज्य बना सकती है, जिनके चुनाव अलग से कराने पड़ सकते हैं।
- यदि नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी संसद और विधानसभाओं के साथ कराने का सुझाव भी जोड़ दिया जाए तो संविधान के भाग 9 अनु. 243 में भी कई संशोधन करने पड़ेंगे। ऐसे संवैधानिक संशोधनों में आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी
- इस पूरी योजना में संसद द्वारा सरकार (कार्यपालिका) हटाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि सरकार (कार्यपालिका) द्वारा संसद और विधानसभाओं को हटाने पर प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारत में ऐसा हो पाना संभव नहीं लगता।

**एक साथ चुनाव कराने के फायदे**

- पूरे देश में केवल एक ही मतदाता सूची होगी। अभी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों की अलग-अलग मतदाता सूचियां है। अक्सर मतदाता का नाम एक सूची में होता है, लेकिन दूसरी सूची में नहीं होता, जिससे वह मतदान से वंचित हो जाता है।
- देश को प्रतिवर्ष चुनाव से राहत मिलेगी और सरकारों व जनता को पांच वर्ष तक अपने-अपने काम पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा।
- रोज-रोज के चुनावों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कहीं मॉडल-कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास रुकता है तो कहीं नौकरशाह चुनावों का बहाना बनाकर विकास कार्यो से बचते हैं।
- देश में चुनावों में हिंसा रोकना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसमें पुलिस, अर्ध-सैनिक बल और कभी-कभी सेना भी बुलानी पड़ती है। यदि पांच साल के बाद चुनाव हों तो उनको भी बड़ी राहत मिलेगी।
- रोज-रोज के चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल-कॉलेज के बच्चों का होता है, उनकी पढ़ाई में व्यवधान आता है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक तो अक्सर मतदाता सूची बनाने से लेकर चुनाव में मतगणना तक सभी कार्यो के लिए बाध्य किए जाते हैं, जो देश के भावी-कर्णधारों के साथ एक खिलवाड़ है।
- इसके अलावा देश की विविधता के चलते चुनावों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और जातीय-उन्माद बढ़ने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है, जो सरकारों के लिए सिरदर्द और समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। यदि वास्तव में संसद, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और जनता इस सुझाव पर संजीदगी से विचार करें तो पूरे देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव एक साथ जरूर कराए जा सकते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाएगा, बल्कि संभवत: वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनने की दिशा में एक मजबूत कदम भी बढ़ाएगा
- यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होने लगें तो सरकारी खजाने के धन की भी बचत होगी और राजनीतिक दलों के धन की भी।
- राजनीति की शह से होने वाले भ्रष्टाचार में भी कमी आ सकती है।
- एक लाभ यह भी होगा कि राजनीतिक दलों को रह-रह कर चुनाव की मुद्रा में आने की जरूरत नहीं रहेगी और वे सारा ध्यान अपने एजेंडे पर केंद्रित कर सकेंगे।
- कुछ राज्यों में विधानसभा भंग होने के कारण एक साथ चुनाव होने का सिलसिला थम गया और अब यह स्थिति है कि देश में हर चार-छह माह के अंतराल पर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। लोकसभा व विधानसभाओ के एक साथ चुनाव का आयोजन इस पर लगाम लगाएगा

## 17. क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ का पद) से जुड़ा पूरा विवाद?

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है, जिसमें संसदीय सचिव की पोस्ट को 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' से अलग करने का प्रावधान था.

★राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है. पिछले साल 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था।

**=>क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ का पद)**

★संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ए) के तहत सांसद या विधायक ऐसे किसी और पद पर नहीं हो सकता, जहां वेतन, भत्ते या अन्य फायदे मिलते हों. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ए) और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (ए) के तहत भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सांसदों-विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है.

★ मई, 2012 में पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से चुनकर आई तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भी संसदीय सचिव बिल पास किया था. इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने करीब दो दर्जन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया. इन सचिवों को मंत्री का दर्जा प्राप्त था. पिछले साल जून में कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार के बिल को अंसवैधानिक ठहरा दिया.

=>सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई

★ भारतीय संविधान की गरिमा के तहत 'लाभ के पद' पर बैठा कोई व्यक्ति एक ही साथ विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता. 2006 में जया बच्चन पर आरोप लगा कि वह राज्यसभा सांसद होते हुए भी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन है जो लाभ का पद है.

★ चुनाव आयोग ने जया बच्चन को सदस्यता के अयोग्य पाया. इस मामले में अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी. जया बच्चन ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी.

★ जया बच्चन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक ने 'लाभ का पद' लिया है तो उसे सदस्यता गंवानी होगी चाहे वेतन या भत्ता लिया हो या नहीं. ★ इसके अलावा लाभ के पद के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस्तीफा दे चुकी हैं और वह रायबरेली से दोबारा चुनकर संसद में पहुंची थीं.

**=>चुनाव आयोग की भूमिका :-** - चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों से पूछा है कि उनकी सदस्यता क्यों ना रद्द की जाए? कई विधायकों ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है. विधायकों के अनुसार संसदीय सचिव होने के नाते वे दिल्ली सरकार से कोई वेतन, भत्ते और अन्य कोई सुविधा नहीं ले रहे जो लाभ के पद के दायरे में आए.

## SCHEMES:

**1. नमामि गंगे परियोजना: गंगा बचाने के 7 नए सरकारी तरीके**

7 जुलाई को उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में 231 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी. इनमें से चार परियोजनाएं नदी को साफ करने से जुड़ी हैं.

★नमामि गंगे परियोजना के तहत वन लगाने और जैव विविधता केंद्रों को शुरू करने की योजना है. मई में सरकार ने इन परियोजनाओं के 2,446 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.

**★नमागि गंगे नरेंद्र मोदी सरकार की अहम परियोजनाओं में से एक है.**

- गंगा हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और सबसे पहले हरिद्वार में यह मैदानी भाग से टकराती है. गंगा के प्रदूषण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है. पहाड़ों में इस नदी पर कई जगह बांध बनाए गए हैं जिससे इसकी प्रवाह क्षमता पर असर होता है.
- साथ ही नदी किनारे बसे 118 शहरों का कचड़ा इस नदी में गिरता है. इसके अलावा औद्योगिक ईकाईयों से होने वाला प्रदूषण अलग है.

-★नमामि गंगे परियोजना के तहत इन सभी चुनौतियों से एक साथ निपटा जाना है. 7 जुलाई को 231 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी. यह परियोजनाएं क्या हैं? इन परियोजनाओं को लेकर सरकार की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? इन सब पर एक नजर.

1◆ योजना का मकसद गांवों के जरिये होने वाले प्रदूषण को रोकना है. इसमें खुले में शौच करने पर रोक लगाना, श्मशान बनाना और कचड़े का प्रबंधन जैसी योजनाएं हैं. इसे 400 गांवों में शुरू किया जाएगा. इनमें से देश के 13 आईआईटी ने 85 गांवों को गोद लिया है. झारखंड के साहेबगंज जिले में सभी गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा.

**जैव विविधता केंद्र**

♂गंगा कई प्रजातियों का केंद्र है. मसलन नदी के प्रदूषण की वजह से गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को खतरा पैदा हो गया है. जैव विविधता केंद्रों की शुरुआत ऋषिकेश, देहरादून, इलाहाबाद, वाराणसी और साहेबगंज में होगी. साथ ही पांच सालों में 2,293 करोड़ रुपये की मदद से वन लगाने की योजना की शुरुआत की जाएगी.

**3.सीवेज ट्रीटमेंट**

♂गंगा नदी के किनारे बसे 118 नगर गंगा में 363.6 करोड़ लीटर कचड़ा प्रवाहित करते हैं. यह नदी को प्रदूषित करने वाला सबसे बड़ा प्रदूषक है. नदी किनारे बने कचरा प्रशोधक यंत्र या तो खराब हो चुके हैं या पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं.

★साथ ही इसे चलाने के लिए पर्याप्त बिजली की जरूरत होती है और स्थानीय निकायों के पास इतना पैसा नहीं होता. इससे निपटने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है. इस क्षेत्र में पैसा लगाने को इच्छुक कंपनियों के लिए मंत्रालय ने हाईब्रिड मॉडल तैयार किया है. हालांकि बिजली की समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है.

**4नमामि गंगे के लिए नया कानून**

♂नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यानी एनजीआरबीएस की बैठक में जल मंत्री उमा भारती ने कहा कि नदी को साफ करने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे. एनजीआरबीए के सदस्य जस्टिस गिरिधर मालवीय के नेतृत्व में बनी कमेटी इस पर विचार करेगी.

**5औद्योगिक प्रदूषण**

★गंगा में कचड़ा बहाने के मामले में उद्योग पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं लेकिन इसकी निगरानी की व्यवस्था बेहद खराब है. इसे सुलझाने के लिए सरकार ने 508 प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्री की रियल टाइम मॉनिटरिंग की योजना बनाई है. नियमों का उल्लंघन करने वाले 150 उद्योग को बंद करने के लिए कहा गया है. उमा भारती ने हाल ही में कहा था कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 113 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे.

**6 गंगा टास्क फोर्स**

♂ मई 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गंगा की सुरक्षा के लिए चार बटालियन को तैनात किए जाने की मंजूरी दी थी. गंगा टास्क फोर्स पेड़ लगाएंगे और साथ ही नदी किनारे चल रहे प्रो◌ेजेक्ट की निगरानी करते हुए लोगों में जागरुकता फैलाने का काम करेंगे. इनमें से एक बटालियन इलाहाबाद में तैनात हो चुकी है.

---

**2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति : नीति आयोग देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में चाहता है आमूलचूल बदला**

★ नीति आयोग देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने वाला विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रहा है. फिलहाल देश में 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू है जो 1983 की स्वास्थ्य नीति का संशोधित रूप है. अभी तक भारत में दो स्वास्थ्य नीतियां ही लागू हो सकी हैं.

★नई योजना का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा में स्वास्थ्य मामलों में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ गई है.

★ नीति आयोग ने अभी इस नीति के मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन एक बैठक में आयोग ने प्राथमिक चिकित्सा सेवा को निजी डॉक्टरों को सौंपने और दूसरे स्तर की चिकित्सा सेवा के लिए सरकारी तथा निजी अस्पतालों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की बात कही.

★ प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में आम तौर पर एक डॉक्टर होते हैं और वहां मामूली सर्जरी इत्यादि हो सकती है. दूसरे स्तर के चिकित्सा सेवा केंद्र में विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध रहते हैं.

★ माना जा रहा है कि ये नीति ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की तर्ज पर बनाई गई है. ब्रिटेन में इस नीति के तहत साल-दर-साल जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की भूमिका सीमित होती गई.

**=>प्रस्ताव :-**

★नीति आयोग की बैठक में रखे गए कई सुझाव आकर्षक प्रतीत होते हैं, मसलन, एक सुझाव ये था कि ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को फेमिली फिजिशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाए और वो जिन मरीजों का इलाज करें उनका खर्च सरकार उठाए.

★हर जिले में कई फैमिली डॉक्टर होंगे और मरीज उनमें से अपनी पसंद का डॉक्टर चुन सकेंगे. साथ ही डॉक्टरों का प्रमोशन भी उनसे जुड़े मरीजों की संख्या के आधार पर किया जाएगा.

★सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्रयोगशालाएं और सभी प्राथमिक केंद्रों पर मुफ्त दवाएं देने का प्रस्ताव

★दूसरे स्तर के चिकित्सा केंद्रों, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, को सरकार विशेष मदद देगी. मरीजों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में से जिसे चाहे उसे चुनने की आजादी रहेगी. इस प्रस्ताव के अनुसार जो केंद्र (सरकारी या प्राइवेट) ज्यादा अच्छी सुविधा देंगे उन्हें सरकार ज्यादा मदद देगी.

★ नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित तीन स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था में सरकारी अस्पतालों के अलावा कम खर्च वाले निजी अस्पतालों को बढ़ावा दिया जाएगा, मसलन विभिन्न एनजीओ या मिशनरी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल.

**=>"राह में रोड़े"**

- नीति आयोग की नई नीति को अमली जामा पहनना आसान नहीं होगा. साल 2015 में नीति आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक खत लिखकर आम स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त दवा तथा जांच पर निवेश बढ़ाने पर आपत्ति की थी.

★रिपोर्ट के अनुसार दूसरे विकासशील देशों से तुलना की जाए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में भारत काफी पीछे है. इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की कमियों को दूर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की पैरवी की गई थी.

★नीति आयोग ने अपने पत्र में कहा कि एनएचपी 2014 से स्वास्थ्य क्षेत्र बुनियादी तौर पर प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर हो जाएगा.

★12वीं पंचवर्षीय योजना में सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा का लक्ष्य रखा गया था. स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए केंद्र की स्वास्थ्य योजनाओं में सबसे बड़ी दिक्कत राज्य और केंद्र के बीच सहमति की होती है. नीति आयोग द्वारा तैयार किए जा रही नीति में भी यही दिक्कत आ सकती है.

---

gshindi.com

★राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर एनएचए की स्टीयरिंग कमिटी और नीति आयोग के प्रस्ताव में जो अंतर है फिलहाल वो अंतिम नीति तय करने की राह में बड़ा रोड़ा है. और जब तक ये रोड़ा दूर नहीं होता सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा का लक्ष्य पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाना संभव नहीं.

**'3. स्वयं' : देश भर में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) प्लेटफॉर्म**

- केंद्र सरकार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अभियान शुरू करने जा रही में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) प्लेटफॉर्म 'स्वयं' शुरू करने जा रहा है।
- माइक्रोसॉफ्ट इस योजना का तकनीकी सहयोगी होगा।
- **'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर दो हजार से ज्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। इससे देश भर के तकरीबन तीन करोड़ छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद जताई** गई है। इसे लांच करने की तैयारी जोरशोर से चल रही है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को विशेष समारोह में इसका उद्घाटन करने की संभावना है। मंत्रालय को 'स्वयं' से भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्कूल के अलावा स्नातक और पीजी के छात्र भी लाभान्वित होंगे। छात्र विभिन्न विषयों के बेहतरीन शिक्षकों की सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नेटवर्क की क्षमता एक बार में दस लाख लोगों की होगी।

- देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले छात्र किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

- केंद्र सरकार इस योजना के जरिये स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उच्च गुणवत्ता वला ई-कंटेंट मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

- अस्तित्व में आने के बाद 2.5 लाख घंटे से ज्यादा की क्षमता वाला एमओओसी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरएक्टिव ई-लर्निंग संसाधन बन जाएगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। 'स्वयं' प्लेटफॉर्म से अर्जित क्रेडिट को संबंधित शिक्षण संस्थानों के अकादमिक रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में भी मदद मिलेगी।

**4. "नई शिक्षा नीति : मसौदा सार्वजानिक; प्रस्तुत हैं प्रमुख सिफारिशें"**

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के मसौदे के प्रमुख बिंदुओं को सार्वजनिक किया है जिसमें

१. छात्रों को फेल न करने की नीति पांचवीं कक्षा तक के लिए सीमित करने,

२. ज्ञान के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन करने,

३. शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के कम से कम छह फीसदी करने

४. शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश को बढ़ावा देने जैसे कदमों का जिक्र किया गया है।

5. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के मसौदे में 'आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के प्रति व्यापक राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं' के मद्देनजर शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 12-1-सी के सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक (धार्मिक एवं भाषायी) संस्थाओं तक विस्तार के परीक्षण का भी सुझाव दिया गया है।

6. विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के लिए साझा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। अन्य विषयों के लिए, जैसे सामाजिक विज्ञानों, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा पूरे देश में एक जैसा रहेगा और बाकी हिस्सा राज्य तय करेंगे।

**=>विस्तार से :-**

- मंत्रालय की ओर से पेश किए गए मसौदे में इस बात का जिक्र है कि छात्रों को फेल न करने की नीति के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि इससे छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन काफी प्रभावित हुआ है। मसौदा इनपुट दस्तावेज में कहा गया है, 'फेल न करने की नीति पांचवीं कक्षा तक सीमित रहेगी और उच्च प्राथमिक स्तर पर फेल करने की व्यवस्था बहाल की जाएगी।'

- दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश यदि चाहें तो स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक निर्देश के माध्यम (मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन) के रूप में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

- बहरहाल, दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि यदि प्राथमिक स्तर तक निर्देश का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है तो दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी और (उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर) तीसरी भाषा चुनने का अधिकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के पास होगा।

- नीति के मसौदे से संबंधित इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर संस्कृत पढ़ाने की सुविधाएं ज्यादा उदार होकर मुहैया कराई जाएंगी।

- उच्च शिक्षा के बाबत इस दस्तावेज में एक शिक्षा आयोग के गठन का जिक्र किया गया है जिसमें शैक्षणिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह आयोग हर पांच साल पर गठित होगा और इसका काम ज्ञान के नए क्षेत्रों की पहचान करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद करना होगा।

- दस्तावेज में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च को जीडीपी के कम से कम छह फीसदी करने और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने को बढ़ावा देने जैसी बातें भी कही गई है।

- कहा गया है कि भारत में न केवल विदेशी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि भारतीय संस्थाएं भी विदेशों में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगी और यदि जरूरत पड़ी तो उचित कानून बनाए जाएंगे या मौजूदा कानूनों में संशोधन किए जाएंगे।

- मसौदे में कहा गया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा और दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे और उन्हें किसी स्कूल को मान्यता देने एवं उसके पंजीकरण के लिए अनिवार्य शर्त बनाया जाएगा।

- युवावस्था की ओर बढ़ते लड़कों-लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं पर अभिभावकों एवं शिक्षकों को गोपनीय तरीके से परामर्श देने के लिए स्कूलों को प्रशिक्षित काउंसेलरों की सेवा लेनी होगी।

- विशेषज्ञों का एक कार्य बल बनाने का भी सुझाव दिया गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में भर्ती और तरक्की जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में बौद्धिक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएगा।

- युवा प्रतिभाओं को अध्यापन के पेशे की ओर आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है।

- सुब्रमण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा था कि इस बात पर विचार होना चाहिए कि क्या राजनीतिक पार्टियों की इकाइयों को शिक्षण संस्थानों के परिसरों में अनुमति दी जानी चाहिए।

- छात्रों की असफलता दर में कमी लाने के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी में 10वीं कक्षा की परीक्षा दो चरणों में लेने का सुझाव दिया गया है। इसमें पहला पार्ट उच्च स्तर पर और दूसरा पार्ट निम्न स्तर पर होगा।

- कहा गया है कि 10वीं कक्षा के बाद जिन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विज्ञान, गणित या अंग्रेजी जैसे विषयों की जरूरत नहीं होगी, उनमें शामिल होने के इच्छुक छात्र पार्ट-बी स्तर की परीक्षा का विकल्प चुन सकेंगे।

- अभी केंद्रीय एवं राज्य शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा संचालित करते हैं। दस्तावेज में कहा गया कि छात्रों का स्कूल जिस बोर्ड से संबद्ध होगा, उन्हें उस बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मान्यता देने की प्रणालियों के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का भी सुझाव दिया गया है।

---

**5. पावर फॉर ऑल (पीएफए) :**

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सभी लोगों को किफायती कीमत पर बिजली की अबाध सप्लाई के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
- उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने चौबीसों घंटे बिजली की अबाध सप्लाई के लिए पावर फॉर ऑल (पीएफए) दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- इस दस्तावेज की योजना पर अमल की निगरानी केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से कर रहे हैं।
- **इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से उचित कीमत पर बिजली की अबाध सप्लाई सुनिश्चित होगी।**

**=>"योजना का उद्देश्य"**

**- इस योजना के तहत प्रत्येक घर को 2019 तक बिना रोकटोक बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।**

- इस अवधि में कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। - इसके लिए राज्यों को राजस्व संग्रह बेहतर करके और मीटर लगाकर बिजली की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां कम करनी होंगी। योजना में ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन के विकास पर भी जोर दिया गया है। चौबीसों घंटे बिजली सप्लाई में इसकी भी अहम भूमिका होती है।

- इसमें बिजली का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

- नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जाएगा जबकि बिजली बचत के लिए उजाला प्रोग्राम के तहत सीएफएल और एलईडी बल्बों का इस्तेमाल बढ़ाने पर फोकस होगा।

---

**6. जानिए, स्टार्ट अप इंडिया की प्रमुख बातें**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत की है। जानते हैं इसकी प्रमुख बातें:

- स्टार्ट अप के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम रहेगा। यानी तीन साल तक इंस्पेक्शन के लिए कोई सरकारी अधिकारी नहीं आएगा।
- स्टार्ट अप के लिए ऐप्लीकेशन और वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें एक साधारण फॉर्म होगा जिससे रजिस्ट्रेशन आसान बनेगा
- स्टार्ट अप के पेटेंट ऐप्लीकेशन जमा करने की फीस में 80 प्रतिशत की कटौती।
- स्टार्ट अप के लिए एग्जिट की व्यवस्था भी बनेगी। 90 दिनों के भीतर आसान और तेज एग्जिट व्यवस्था शुरू की जाएगी।

- स्टार्ट अप एग्जिट व्यवस्था के लिए संसद में बिल भी लाया जाएगा।
- स्टार्ट अप की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा।
- स्टार्ट अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड लेकर आएंगे।
- स्टार्ट अप शुरू करने वालों को कैपिटल गेन टैक्स की छूट मिलेगी।
- अपनी संपति बेचकर स्टार्ट अप में पैसा लगाए तो उसे छूट मिलेगी।
- तीन साल तक स्टार्ट अप में टैक्स छूट मिलेगी।
- महिलाओं को स्टार्ट अप के लिए विशेष व्यवस्था।
- अटल इनावेशन मिशन की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य प्रतिभा को बढ़ावा देना।
- इन्क्यूबेशन को बढ़ावा दिया जाएगा देना और उन्हें मजबूत किया जाएगा।
- इनोवेशन को राष्ट्रीय स्तर पर अवॉर्ड देने का विचार चल रहा है।
- पीपीपी मॉडल भी इसमें शामिल किए गए हैं।
- बायोटेक्नॉलोजी को बढ़ावा देने की जरूरत है। 7 नए रिसर्च सेंटर्स शुरू करने की तैयारी है जिसके लिए सरकार 100 करोड़ देगी।
- छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर्स शुरू किए जाएंगे और 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों पर फोकस कर इसे बढ़ावा दिया जाएगा।
- इन्क्यूबेटर ग्रैड चैलेंज जिसमें सरकार 10 ऐसे इन्क्यूबेटर की पहचान करेगी जिनमें वर्ल्ड क्लास बनने की क्षमता है उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी।

**7. पर्यटन के लिए रामायण और कृष्ण सर्किट बनेंगे**

केंद्र सरकार पर्यटन के लिहाज से भगवान राम से संबद्ध छह राज्यों में 11 तीर्थस्थलों का एक रामायण सर्किट विकसित करने जा रही है। इस प्रस्तावित सर्किट के चार जिले उत्तर प्रदेश में हैं।

केंद्र ने एक कृष्ण सर्किट बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। यहां पर पांच राज्यों में भगवान कृष्ण से जुड़े 12 जिलों को विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा की अध्यक्षता में रामायण और कृष्ण सर्किट की राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में यह दो प्रस्ताव रखे गए। थीम आधारित सर्किट से जुड़ी परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को 300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने पहले ही इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

रिलीज में कहा गया है कि रामायण सर्किट के तहत छह राज्यों में 11 स्थानों को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थल हैं - अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंघवेरपुर और चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा (बिहार), जगदलपुर (छत्तीसगढ़), भद्राचलम (तेलंगाना), हंपी (कर्नाटक) और रामेश्वरम (तमिलनाडु)।

एक विशेषज्ञ समिति ने इस सर्किट में कुछ अन्य शहरों जैसे चित्रकूट (मध्यप्रदेश), नाशिक व नागपुर (महाराष्ट्र) और महेंद्रगिरी (ओडिशा) को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

वहीं, कृष्ण सर्किट के पांच राज्यों के 12 स्थानों में द्वारका (गुजरात), नाथद्वार, जयपुर और सीकर (राजस्थान), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्द्धन (उत्तर प्रदेश) और पुरी (ओडिशा) शामिल हैं

**8. "नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी"**

केंद्र सरकार ने देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने यह नीति पेश की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। नई नीति में **5/20 नियम** को बदलने के साथ ही किराये को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।

=>क्या है **5/20 नियम** :- नियम 5/20 के तहत घरेलू एयरलाइनों को पांच साल बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति मिलती है। वह भी तब जब उनके पास कम से कम 20 विमानों का बेड़ा हो।

**नई विमानन नीति के यह होंगे फायदे**

- नई एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपये का किराया देना होगा वहीं 30 मिनट के लिए आपको इसके अंतर्गत 1200 रुपये का हवाई किराया देना होगा।
- नई पॉलिसी में रिजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- रिपोर्ट्स के अनुसार नई नीति में विमानन कंपनियों के लिए अब तक जरूरी 5/20 नियम को बदल दिया गया है और इसकी जगह 0/20 नियम लेगा।
- अब विमानन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी लेकिन अंतरराष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- रिपोर्ट्स के अनुसार नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड महज पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा।

- यह भी प्रस्ताव था कि अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती।
- नई पॉलिसी में यह भी प्रस्ताव है कि एविएशन कंपनी अगर कोई फ्लाइट रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा।
- टिकट कैंसल करने के मामले में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा।
- विमान में यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ अब 15 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी साथ ही उसके उपर हर एक किलो पर 100 रुपए देने होंगे। इससे पहले कंपनियां हर एक किलो पर 300 रूपए वसूलती थीं।
- विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशी बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।
- सरकार ने नवंबर 2014 में पहली बार यह पॉलिसी पेश की थी जिसे अक्टूबर 2015 में नए ड्राफ्ट से रिप्लेस किया गया था।
- भारत के डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक ने अप्रैल में लगातार 13वें महीने ग्रोथ दर्ज की है।

---

## Economics

**1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक असर**

- केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। इससे 33 लाख वर्तमान कर्मियों, सशस्त्र बलों के 14 लाख कर्मचारियों तथा 52 लाख पेंशनधारकों के वेतन/भत्तों में औसतन 23.55 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे अतिरिक्त 1.02 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में पहुंचेंगे।
- उम्मीद जताई जा रही है कि इससे **बाजार में मांग बढ़ेगी। नतीजतन निवेश के अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। तब रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा** होंगे। कुल मिलाकर भारत की माली सूरत चमकेगी।

- लेकिन इस घटनाक्रम के कुछ दूसरे परिणाम भी संभावित हैं।

1. इससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
2. साथ ही महंगाई बढ़ेगी।
3. राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत के घोषित लक्ष्य पर बनाए रखने के लिए सरकार को अब अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे।

- ऐसा वह बेहतर कर वसूली, विनिवेश और स्पेक्ट्रम जैसे संसाधनों की कुशल नीलामी से कर सकती है।

- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकारों के लिए भी ऐसा करने की मजबूरी बन जाती है। इससे उनके खजाने पर भी दबाव बढ़ता है।

- वेतनवृद्धि का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने महंगाई काबू में रखने को अपनी प्राथमिकता बना रखी है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर में पहले से चढ़ान का रुख है।

- उधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है, जिसका असर भारत पर पड़ा है। महंगाई दर नियंत्रित नहीं रही, तो रिजर्व बैंक आगे ब्याज दरें नहीं गिराएगा, जबकि निवेश बढ़ने के लिहाज से यह भी एक जरूरी शर्त है।

- तात्पर्य यह कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के असर होंगे। कुल प्रभाव क्या होगा, यह सरकार की प्रबंधन क्षमता से तय होगा।

- केंद्रीय कर्मचारी भारत के कुल संगठित श्रमशक्ति का महज 8.5 फीसदी हिस्सा हैं। उनकी नौकरी में स्थायित्व है। कार्य-स्थितियां अनुकूल हैं।
- यह सौभाग्य श्रमिक वर्ग के दूसरे हिस्सों को प्राप्त नहीं है। ऐसी परिस्थितियां उनके लिए भी बनें, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।
- साथ ही सरकारी कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाना एक बड़ा लक्ष्य है।
- अण्णा आंदोलन के दिनों में समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने का कानून बनाने की बात आई थी। उसे अब नए सिरे से एजेंडे पर लाया जाना चाहिए।
- केंद्रीय कर्मियों की खुशहाली बढ़ाने का सरकार ने इंतजाम किया है, तो अब उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए ये कर्मचारी नागरिकों की सेवा में कोताही ना बरतें।

---

**2. कैबिनेट ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी (SDC) के संस्थापन को दी मंजूरी**

केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी (एसडीसी) के संस्थापन को मंजूरी दी है।

**SDC के बारे में विस्तार से :**

- एसडीसी जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगी।
- यह विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) परियोजना को इक्विटी सहायता और सागरमाला कार्यक्रम के तहत अवशिष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- एसडीसी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी और 90 करोड़ रुपये की सदस्यता शेयर पूंजी के साथ की जाएगी।
- **क्या करेगी यह** :एसडीसी बंदरगाह आधारित विकास परियोजनाओं की पहचान करेगी और परियोजना एसपीवी को परियोजना विकास एवं ढांचागत गतिविधियों, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए बोली प्रक्रिया, विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में रणनीतिक परियोजनाओं के लिए जोखिम प्रबंधन के उचित उपाय करने और आवश्यक मंजूरियां हासिल करने में मदद करेगी।

- एसडीसी विभिन्न एजेंसियों में आपसी सहयोग और वर्तमान में पहचान की गई सभी परियोजनाओं के साथ-साथ मास्टर प्लान या अन्य स्रोतों से उभरने वाली अन्य परियोजनाओं की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगी।

एसडीसी

- एनपीपी के तहत पहचान किए गए तटवर्ती आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगी और भारतीय समुद्री क्षेत्र के एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा मुहैया कराएगी।

**पृष्ठभूमि** (सागरमाला )

सागरमाला कार्यक्रम को 25 मार्च 2015 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लॉन्च किया गया था। इसे भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है। भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्रों, 14,500 किलोमीटर संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के रणनीति स्थानों के दोहन के उद्देश्य से सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम तैयार किया जिसे 25 मार्च 2015 को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दी गई।

- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत तटीय और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए वृहत योजना तैयार की गई है। एनपीपी ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों के विकास, बंदगाहों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण एवं तटीय समुदाय विकास के क्षेत्र में 150 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की है।

---

**3. शंकर आचार्य committee**

GShindi.com

source: economic times

- पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च की जगह नये वित्त वर्ष की व्यवहार्यता की जांच करेगी।
- समिति मौजूदा तारीख :अप्रैल-मार्च: समेत वित्त वर्ष शुरू करने के लिये विभिन्न तारीखों के गुण और दोष का परीक्षण करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट दिसंबर तक देगी।
- समिति को केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्राप्ति एवं व्यय के सही अनुमान के नजिरये से वित्त वर्ष की उपयुक्तता के बारे में कारण बताने होंगे।

- इसके साथ ही समिति यह भी बताएगी की उसका विभिन्न फसल अवधि पर क्या प्रभाव होगा।
- इसके अलावा समिति को कंपनियों, कराधान प्रणाली तथा प्रक्रियाओं, आंकड़ा संग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बजट कार्यों के लिये विधायिका की सुविधा का भी विश्लेषण करेगी ।
- **अन्य सदस्य :**आचार्य समिति के सदस्यों में पूर्व कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर, तमिलनाडु के पूर्व वित्त सचिव पी वी राजारमण तथा सेंटर फार पालिसी रिसर्च के वरिष्ठ फेलो राजीव कुमार शामिल हैं।

**4. डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों की सूची में भारत 91वें स्थान पर फिसला**

- डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में बदलने की तैयारियों की वैश्विक सूची में भारत पिछड़कर 91वें स्थान पर पहुंच गया है।
- यह लगातार चौथा साल है जब भारत इस सूची में नीचे आया है। 2015 में भारत 89वें स्थान पर था, 2014 में 83वें तथा 2013 में 68वें स्थान पर था
- इस सूची में सिंगापुर टॉप पर है।
- रूस इस सूची में 41वें स्थान पर है। उसके बाद चीन पिछली बार से तीन स्थान चढ़कर 59वें, दक्षिण अफ्रीका 10 स्थान चढ़कर 65वें तथा ब्राजील 72वें स्थान पर है।
- जिनीवा स्थित विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा गुरुवार को जारी सालाना नेटवर्क्ड रेडिनेस इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर इस सूची में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है। वहीं, फिनलैंड दूसरे स्थान पर कायम है। इस सूची में शीर्ष दस स्थानों पर जो अन्य देश शामिल हैं उनमें स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, लग्जमबर्ग तथा जापान हैं।
- क्या है index :यह इंडेक्स डब्ल्यूईएफ की ग्लोबल इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें विभिन्न देशों का आकलन डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए तैयारियों के आधार पर किया गया है।

**5. हर तरह के ग्लोबल शॉक से निपटने के लिए भारत तैयार: FSDC**

- फ़ाइनैंशल स्टेबिलिटी ऐंड डिवेलपमेंट काउंसिल (एफएसडीसी) की मीटिंग में कहा गया की भारत 'किसी भी ग्लोबल शॉक से निपटने के लिए तैयार रहने पर मीटिंग में सहमति बनी है। इसमें ब्रेग्जिट और उसके संभावित नतीजे भी शामिल हैं।
- फ़ाइनैंशल सिस्टम के लिए कौन से इंस्टिट्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं, उनकी पहचान के लिए व्यापक फ्रेमवर्क बनाने पर भी काउंसिल में चर्चा हुई।' इस साल सितंबर-दिसंबर के बीच एनआरआई डिपॉजिट के मच्योर होने के चलते 20 अरब डॉलर से अधिक रकम देश से बाहर जाने के आसार हैं। डर है कि इतनी बड़ी रकम निकलने से फ़ाइनैंशल मार्केट में खलबली मच सकती है। इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या तैयारियां की हैं, उनके बारे में एफएसडीसी को जानकारी दी गई।
- बैड लोन से निपटने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने जो उपाय किए हैं, मीटिंग में उस पर भी चर्चा हुई।
- एफएसडीसी का मानना है कि भारत मजबूत मैक्रो-इकॉनमी, इकनॉमिक रिफॉर्म्स और बड़े विदेशी मुद्रा भंडार के चलते किसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार है। काउंसिल ने माना कि ग्लोबल शॉक और फ़ाइनैंशल मार्केट्स में वोलैटिलिटी बड़े रिस्क हैं।

**क्या है FSDC:**

- इस काउंसिल को दिसंबर 2010 में बनाया गया था।
- इसका मकसद फ़ाइनैंशल स्टेबिलिटी बनाए रखना, रेग्युलेटर्स के बीच तालमेल और फ़ाइनैंशल सेक्टर डिवेलपमेंट को प्रमोट करना है। एफएसडीसी में आरबीआई गवर्नर और दूसरे फ़ाइनैंशल रेग्युलेटर्स भी शामिल हैं
- सभी फ़ाइनैंशल रेग्युलेटर, फ़ाइनैंस मिनिस्ट्री के सेक्रटरी और चीफ इकनॉमिक अडवाइजर एफएसडीसी से मेंबर हैं।

**6. विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि का रुख, पीएमआई(PMI) जून में तीन महीने के उच्च स्तर पर:**

- ऑर्डर में मजबूत वृद्धि के मद्देनजर देश में विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार का रुख है और इससे PMI जून में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स' (पीएमआई) जून में बढ़कर 51.7 हो गया जो मई में 50.7 था। इसका कारण नए ऑर्डर में वृद्धि है।

**क्या है पीएमआई(PMI)**

- पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर है। इसके जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है।
- पीएमआई सेवा क्षेत्र समेत निजी क्षेत्र की अनेक गतिविधियों पर आधारित होता है। इसमें शामिल तकरीबन सभी देशों की तुलना एक जैसे मापदंड से होती है।
- पीएमआई का मुख्य मकसद इकोनॉमी के बारे पुष्ट जानकारी को आधिकारिक आंकड़ों से भी पहले उपलब्ध कराना है, जिससे अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक संकेत पहले ही मिल जाते हैं।

- **कारक जिनसे यह निर्धारित होता है** : पीएमआई 5 प्रमुख कारकों पर आधारित होता है। इन पांच प्रमुख कारकों में नए ऑर्डर, इन्वेंटरी स्तर, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलिवरी और रोजगार वातावरण शामिल हैं।
- पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को 1948 में अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट (आईएसएम) ने शुरू किया जो कि सिर्फ अमेरिका के लिए काम करती है
- इसके 50 से ऊपर रहने का मतलब विस्तार से है जबकि इसके नीचे यह संकुचन को व्यक्त करता है।

**7. मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट विधेयक 2016 : चौबीस घंटे खुल सकेंगी दुकानें, मॉल और सिनेमा हॉल**

- दुकानें, मॉल और सिनेमा हॉल सहित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान अब रोजाना 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुल सकेंगे। सरकार ने लंबित सुधारों को लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट विधेयक 2016 के मसौदे को मंजूरी दी है।
- केंद्र अब यह विधेयक राज्यों के पास भेजेगा और जो भी प्रदेश सरकार इसे कानून का रूप देगी, वहां दुकानें 24 घंटे खुलने का रास्ता खुल जाएगा। **ऐसा होने पर न सिर्फ आम लोगों को सुविधा होगी बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।**
- सरकार का कहना है कि मॉडल बिल से सभी राज्यों में एक समान विधायी प्रावधान हो जाएंगे, जिससे व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया सरल होगी।

**मॉडल शॉप बिल के अहम बिंदु**

- 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें और प्रतिष्ठान ही इसके दायरे में आएंगे।
- दुकानें और प्रतिष्ठान 365 दिन तथा चौबीस घंटे खुले रह सकेंगे।
- महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी
- महिलाओं को परिवहन सुविधा देनी होगी, लेडीज टॉयलट भी अनिवार्य
- महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- क्रैच और फर्स्ट एड तथा कैंटीन की सुविधा भी देनी होगी।
- ऐसे प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान
- राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ पांच पेड फेस्टिवल लीव भी देनी होगी
- एक तिमाही में अधिकतम 125 घंटे के ओवरटाइम की अनुमति
- हर दिन अधिकतम 9 घंटे और हफ्ते 48 घंटे कार्य का नियम

**8 पोस्टल बैंक लॉन्च होते ही बनेगा दुनिया का नंबर वन बैंक"**

- बैंकिंग सेक्टर में भारत एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। **नेटवर्क के आधार पर पोस्टल बैंक लांच होते ही दुनिया में नंबर वन बन जाएगा।**
- डिपॉर्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्टल बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क दुनिया में सबसे ज्यादा होगा।
- यह कस्टमर को डिपॉजिट की सुविधा के साथ ही कई ऐसे काम भी करेगा, जो कई बैंक नहीं करते हैं। 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस का होगा नेटवर्क। कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट के बैंक को मंजूरी दे दी है।

- इसके तहत सितंबर 2017 तक 650 ब्रांच खोली जाएंगी। इसके अलावा पोस्टल बैंक के साथ 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस नेटवर्क भी जुड़ेंगे। यह अपने आप में दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क वाला बैंक होगा।

- **वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना** है, जिसके पास दुनिया में 24 हजार से ज्यादा ब्रांचेज का नेटवर्क है। अगले साल जब पोस्टल बैंक ऑफ इंडिया लांच होगा, तो उसके पास 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क होगा। यानी चीन के सबसे बड़े बैंक के नेटवर्क से भी 7 गुना ज्यादा होगा।
- डाकिये के साथ लोगों का खास भावनात्मक जुड़ाव है:- वह गांवों में हर परिवार का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ग्रामीण डाक सेवकों समेत सभी कर्मियों की भूमिका अहम होगी। विभाग के सभी कर्मचारी हर **भारतीय के लिए वित्तीय समावेश को संभव** बनाने की खातिर पेमेंट बैंक की स्थापना में मिलकर काम करेंगे।

=>" पोस्टल बैंक : **एक पेमेंट बैंक "**

- पोस्टल बैंक **एक पेमेंट बैंक** के रुप में काम करेगा।
- बैंक केवल डिपॉजिट लेगा और यह लोन की सुविधा नहीं देगा।
- लोन के लिए कार कंपनियों और टूव्हीलर कंपनियों से टाईअप होगा।
- मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और डीबीटी स्कीम लिंक होंगी।
- आइपीपीबी सभी तरह की डिजिटल रूप से सक्षम भुगतान, बैंकिंग और रेमिटेंस सेवाएं प्रदान करेगा।

- इसके अलावा यह बैंक थर्ड पार्टी वित्तीय सेवा प्रदाताओं की साझेदारी में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन और क्रेडिट उत्पादों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाएगा।

## 9. कोर मुद्रास्फीति' Core Inflation

**क्या है कोर इन्फ्लेशन?**

इसका संबंध बास्केट में शामिल कमोडिटीज की कीमत में होने वाले बदलाव से है। इसमें फूड और फ्यूल जैसे कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव वाले आइटम शामिल नहीं हैं।

**दुनिया भर के केंदीय बैंक हेडलाइन इनफ्लेशन के बजाय कोर इन्फ्लेशन पर क्यों करीबी नजर रखते हैं?**

कीमत में बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए इकनॉमी में अंडरलाइंग प्रेशर को जानना जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा डिमांड से कीमतों में बढ़ोतरी होती है। कोर इन्फ्लेशन इसी का पता लगाता है। यह संकेत देता है कि मैन्यूफैक्चरर्स डिमांड में कमी के बगैर इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का बोझ दूसरों पर डालने में सक्षम हैं या नहीं? इसलिए कोर इनफ्लेशन से सेंट्रल बैंकों को हेडलाइन इन्फ्लेशन का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

**क्या कोर इन्फ्लेशन का असर मॉनिटरी पॉलिसी पर पड़ता है?**

ऊंचा कोर इन्फ्लेशन इकनॉमी में डिमांड प्रेशर का संकेत देता है, जिससे कीमत में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसा होने पर केंद्रीय बैंक डिमांड कम करने और इन्फ्लेशन घटाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर केंद्रीय बैंक सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन पर फोकस करता है, जिसमें फूड की ऊंची कीमतों के चलते बढ़ोतरी हो सकती है तो उसके मॉनिटरी सिग्नल अपेक्षित असर दिखाने में नाकाम हो सकते हैं, क्योंकि फूड के डिमांड पर इंटरेस्ट रेट्स का ज्यादा असर नहीं पड़ता। ऐसे में मॉनिटरी पॉलिसी का असर दूसरी जगह मसलन इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है।

**भारत में कोर इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है?**

भारत ने पिछले साल से देश भर में रीटेल इन्फ्लेशन की माप शुरू की। ऐतिहासिक आंकड़ों के अभाव में अब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स ही कीमतों में बदलाव की माप करने वाला जरिया है। इसमें आइटम के तीन बड़ी कैटिगरी शामिल हैं- प्राइमरी आर्टिकल (इसमें फूड शामिल), फ्यूल और मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स। कुछ इकनॉमिस्ट्स मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स के इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन की माप का जरिया मानते है, जबकि दूसरे सिर्फ नॉन-फूड मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स पर विचार करने के लिए इसके और हिस्से करते हैं।

## 10. सीमांत स्थायी सुविधा (marginal standing facility

रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2011-12 की मौद्रिक नीति में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) शुरू करने का एलान किया है। बैंक इसके जरिए आरबीआई से 8.25 फीसदी की ब्याज दर से कर्ज ले सकते हैं। यह दर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) रेपो से एक फीसदी ऊपर है। बैंक लिक्विडिटी में भारी कमी होने पर एमएसएफ से कर्ज ले सकते हैं।

आरबीआई ने यह सुविधा थोड़े समय के एसेट-लाइबिलिटी मिसमैच को ज्यादा प्रभावी तरीके से निपटाने के मकसद से शुरू की है। रिजर्व बैंक ने सालाना मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा था, 'मौद्रिक नीति का मकसद तरलता का इस तरह से प्रबंधन करना है कि इसमें संतुलन बना रहे। इसमें कहीं, ज्यादा लिक्विडिटी होने से मॉनिटरिंग ट्रांसमिशन का असर कम नहीं हो जाए और कम लिक्विडिटी होने से फंड फ्लो रुक नहीं जाए।'

### LAF रेपो रेट और MSF रेट में क्या अंतर है?

बैंक LAF रेपो रेट पर आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं। बैंकों को एलएएफ रेपो रेट पर कर्ज लेने के लिए एसएलआर को अनिवार्य रूप से 24 फीसदी बनाए रखते हुए अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता है। जहां तक एमएसएफ का सवाल है तो इस सुविधा का लाभ उठाकर बैंक 8.25 फीसदी की दर से अपनी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी के एक फीसदी के बराबर कर्ज ले सकते हैं। इसमें भी एसएलआर को अनिवार्य रूप से 24 फीसदी बनाए रखना होगा।

एमएसएफ 'होल्ड-इन-कस्टडी' रेपो के तौर पर किया जाता है जो एलएएफ रेपो जैसा होता है। एमएसएफ 9 मई 2011 से प्रभावी है। दिन में खुलने वाली दूसरी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो विंडो बंद कर दी गई है।

इस तरह बैंक, सुबह में एलएएफ रेपो विंडो से 7.25 फीसदी की दर से कर्ज ले सकते हैं। दोपहर बाद नकदी की जरूरत होने पर उनको एमएसएफ से कर्ज लेना होगा। इसमें उनको 8.25 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा। इससे बैंकों को एलएएफ रेपो विंडो के जरिए कर्ज लेने के सुबह का वक्त तय करना होगा। इससे पता चलेगा बाजार में लिक्विडिटी की क्या स्थिति है।

**MSF के जरिए कम-से-कम कितने समय के लिए कितनी रकम कर्ज ली जा सकती है? यह सुविधा कब उपलब्ध होती है?**

बैंक MSF के जरिए **रातभर के लिए कर्ज ले सकते** हैं। लोन की रकम कम-से-कम 1 करोड़ रुपए हो सकती है। MSF सभी कार्य दिवसों पर शाम 3.30 से 4.30 बजे तक उपलब्ध होती है।

## 11. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 363.8 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर

- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार 17 जून को समाप्त सप्ताह में 59.21 करोड़ डॉलर बढ़कर 363.8 अरब डॉलर के **रिकार्ड ऊंचाई** पर पहुंच गया.
- पिछले हफ्ते के आखिर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 23.1 करोड़ डॉलर घटकर 363.2 अरब डॉलर रहा था. इससे पहले 3 जून 2016 को खत्म हफ्ते में रुपया 363.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया था.
- रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई जोरदार वृद्धि थी जो विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा है. समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां :एफसीए: 59.43 करोड़ डॉलर बढ़कर 339.6 अरब डॉलर हो गयीं.

- हालांकि इस हफ्ते के दौरान सोने का आरक्षित भंडार 20.3 अरब डॉलर पर अपरिवर्तित रहा.

- रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ विशेष निकासी अधिकार 10 लाख डॉलर घटकर 1.5 अरब डॉलर जबकि आईएमएफ में देश का भंडार 12 लाख डॉलर घटकर 2.4 अरब डॉलर रहा.

---

**12. सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के स्टार्ट अप कोष के लिये मंजूर दी**

- सरकार ने **स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है।**
- **इस कोष का इस्तेमाल स्टार्ट अप की मदद के लिए किया जाएगा।**
- **इसका मकसद 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।**

- इस कोष के पूर्ण इस्तेमाल के जरिये करीब 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। 10 हजार करोड़ रुपये के कोष से 60 हजार करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश और इससे दोगुना ऋण निवेश हासिल किया जा सकेगा।

- मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में स्टार्टअप के लिए कोषों के कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोषों (एआइएफ) में योगदान करेगा। जो सेबी के पास पंजीकृत हैं। बाद में एआइएफ स्टार्टअप का वित्तपोषण करेंगे।

- यह सरकार की ओर से जनवरी में घोषित स्टार्टअप इंडिया कार्रवाई योजना के अनुरूप है। यह कोष**14 और 15वें वित्त आयोग के चक्र के ऊपर बनाया जाएगा**। जो योजना की प्रगति व कोष की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
- 2015-16 में एफएफएस के कोष के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जबकि 600 करोड़ रुपए 2016-17 में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी) द्वारा सकल बजटीय समर्थन के जरिए अनुदान सहायता का भी प्रावधान किया है। डीआइपीपी स्टार्ट अप इंडिया कार्रवाई योजना के तहत प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा। रोजाना के परिचालन के प्रबंधन के लिए सिडबी की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाएगा।
- प्रदर्शन की निगरानी और क्रियान्वयन को कार्रवाई योजना से संबद्ध किया जाएगा। जिससे क्रियान्वयन समय के हिसाब से हो सके।
- यह कदम इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है कि स्टार्टअप्स को घरेलू जोखिम वाली पूंजी की उपलब्धता न होने व परंपरागत बैंक वित्त पाने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।
- बड़ी संख्या में सफल स्टार्टअप्स का वित्तपोषण विदेशी उद्यम कोषों द्वारा किया गया है। इस तरह का वित्तपोषण पाने के लिए कई स्टार्ट अप देश के बाहर स्थित हैं।

---

**13.सरकार ने नए टेक्सटाइल पॉलिसी को दी मंजूरी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा"**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित **कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन** देने के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।
- इसके अलावा **प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टफ्स) के जरिए पूंजीगत सब्सिडी** को जोड़ते हुए उत्पादन प्रोत्साहन भी शुरू किया जाएगा।
- कपड़ा और परिधान निर्यात को प्रोत्साहन के लिए श्रम कानूनों के सरलीकरण जैसे कई और उपाय किए गए हैं।
- इसमें निश्चित अवधि का रोजगार और ड्यूटी ड्रॉबैक का विस्तार शामिल है।
- वित्त वर्ष **2015-16 में कपड़ा निर्यात 40 अरब डॉलर रहा था, जो 47.5 अरब डॉलर के लक्ष्य से काफी कम** है।
- **कृषि के बाद कपड़ा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता** है। इस क्षेत्र का **औद्योगिक उत्पादन में 14 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद में 4 फीसदी का योगदान** है।

**=>तीन वर्षों में प्रभाव**

इससे तीन वर्षों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना है:

- निर्यात में 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि

- रोजगारों की संख्या में 12.25 लाख की वृद्धि
- निवेश में 7 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि

**14. भारत में निजी-सार्वजनिक निवेश दस साल के निचले स्तर पर: विश्व बैंक रिपोर्ट**

- भारत में 2015 के दौरान निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाले क्षेत्रों में निवेश **10 साल के न्यूनतम स्तर** पर पहुंच गया। ग्लोबल निवेश भी और सिकुड़कर पांच साल के औसत स्तर 124.1 अरब डॉलर से कम रह गया। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में ग्लोबल निवेश घटकर 111.6 अरब डॉलर रह गया। वर्ष 2010 से 2014 तक इसका औसत 124.1 अरब डॉलर रहा। विश्व बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर डाटाबेस में निजी भागीदारी पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि यह संकुचन ब्राजील, चीन और भारत में निवेश कम होने के कारण हुआ है।

विश्व बैंक ने कहा कि भारत में निवेश 10 साल के न्यूनतम स्तर पर इसलिए रहा क्योंकि सिर्फ छह सड़क परियोजनाओं में ही वित्त की व्यवस्था हो सकी। सड़क परियोजनाएं 10 साल से निजी-सार्वजनिक निवेश का बड़ा स्रोत रही हैं। दक्षिण एशिया में इस क्षेत्र में 5.6 अरब डॉलर के कुल 43 सौदे हुए। यह रकम कुल निवेश का पांच फीसद है। इससे पिछले पांच साल के 30.5 अरब डॉलर के औसत से यह 82 फीसद कम है।

बैंक के मुताबिक, ऐतिहासिक रुझान बरकरार रखते हुए इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं भारत में सामने आईं (43 में से 36), पाकिस्तान में चार, नेपाल में दो और बांग्लादेश में एक परियोजना में निवेश आया। खास बात यह है कि 36 परियोजनाओं में से दो अरब डॉलर की 26 परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हैं। जबकि पाकिस्तान की 74.99 करोड़ डॉलर की सभी परियोजनाएं इससे संबंधित हैं।

रिपोर्ट कहती है कि बीते पांच साल के औसत के मुकाबले सौर ऊर्जा निवेश 72 फीसद उछला है। जबकि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ करीब दो-तिहाई निवेश नवीकरणीय ऊर्जा ने आकर्षित किया।

**15. क्यों जीएसटी है सबसे बड़ा आर्थिक सुधार**

- अरविंद सुब्रमणियन समिति की रिपोर्ट और वित्त मंत्री अरुण जेटली से लेकर तमाम अर्थविद इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार मान रहे हैं।

**- प्रश्न है आखिर जीएसटी का लागू होना सबसे बड़ा आर्थिक सुधारवादी कदम कैसे होगा?**

1. जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लागू होने के बाद पूरा भारत एक बाजार बन जाएगा।
2. अगर कंपनियों के लिए कर ढांचा आसान हो जाएगा तो सरकार के लिए कर वसूलने से जुड़े खर्चे में भारी कमी आएगी।

3. ग्राहकों को भी तमाम उत्पादों व सेवाओं पर बस एक ही कर चुकाना होगा। यही वजह है कि सिर्फ जीएसटी लागू होने से देश की आर्थिक विकास दर में दो से ढाई फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है।

**=>सरकार के लिए कर प्रबंधन आसान**

- अभी केंद्र व राज्यों सरकारों के लिए कर व्यवस्था का प्रबंधन सबसे बड़ी सरदर्दी है। जीएसटी लागू होने के बाद देश में अप्रत्यक्ष कर से जुड़ी सिर्फ एक ही तरह की कर दरें होंगी।
- इस वजह से केंद्र के स्तर पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर और राज्यों के वैट, प्रवेश कर, आबकारी, चुंगी, स्थानीय बिक्री कर, क्षेत्रीय कर समेत अन्य टैक्स इसमें शामिल कर दिए जाएंगे।
- राज्यों को अब हर स्थानीय कर के लिए अलग विभाग बनाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। कर वसूली का सारा ढांचा बहुत पारदर्शी हो जाएगा।

**=>कंपनियों के सर से हटेगी तलवार**

- जीएसटी के पक्ष में सबसे ज्यादा लॉबीइंग कॉरपोरेट जगत यूं ही नहीं कर रहा है। अब उन्हें अगल-अलग राज्यों के कर व्यवस्था से जुड़ी झंझट में नहीं पड़ना होगा।
- हर राज्य में कर भुगतान के लिए न तो रिकॉर्ड रखना होगा और न ही उसके लिए अलग व्यवस्था करनी होगी।
- जीएसटी के बाद एक ही जगह उत्पादों या सेवाओं के लिए टैक्स का भुगतान करना होगा।
- कंपनियों को अब राज्य सिर्फ बेहतर कर ढांचे का प्रस्ताव देकर अपने यहां निवेश के लिए नहीं लुभा सकेंगे।

**=>ग्राहकों पर एक ही तरह का कर**

- जीएसटी का क्रियान्वयन ग्राहकों को भी प्रभावित करेगा। वैसे, इसकी दरें क्या होंगी, इसका फैसला होने के बाद ही उत्पादों या सेवाओं की कीमतें तय होंगी।
- आर्थिक थिंक टैंक एनसीईएआर की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश सेवाओं की कीमतों में नरमी आएगी।
- साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के स्तर पर मनमाने तरीके से उत्पादों या सेवाओं पर कर लगाने की परंपरा खत्म होगी।

---

**16. भारत में डबल डिजिट विकास दर के लिए विश्व बैंक के सुझाव**

- चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताते हुए विश्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि दर को **दहाई के अंक यानी डबल डिजिट में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लागू करने का सुझाव** दिया है।
- बैंक का कहना है कि लगातार दो वर्ष तक मानसून कमजोर रहने के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2015-16 में तेज विकास दर हासिल की है और मैन्यूफैक्चरिंग व सेवा क्षेत्रों की उच्च वृद्धि रहने से नौकरियां सृजित हुई हैं।

**=>निवेश पर जोर**

- विश्व बैंक के भारत में निदेशक ओनो रुहल ने "इंडिया डवलपमेंट अपडेट" जारी करते हुए कहा कि भारत की संभावनाओं के संबंध में भरोसा करने के कई अच्छे कारण हैं। हालांकि दीर्घावधि में आर्थिक विकास को जारी रखने के लिए निवेश की रफ्तार बढ़ानी होगी।

**=>टैक्स बढ़ाने का समर्थन**

- विश्व बैंक ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की सरकार की नीति का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र ने इससे प्राप्त हुए राजस्व को उपभोग पर खर्च होने देने के बजाय ढांचागत क्षेत्र में निवेश करने का अच्छा निर्णय किया है।

**=>सब्सिडी तर्कसंगत हो**

- बैंक ने कहा कि मानसून सामान्य रहने से भी सरकार को एक अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधा देने के साथ-साथ उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी बेहतर बनाने पर जोर देना चाहिए।

**=>गांव से मिलेगी रफ्तार**

- विश्व बैंक का कहना है कि मानसून सामान्य रहने पर कृषि क्षेत्र की विकास दर अगर 3.5 प्रतिशत रहती है तो जीडीपी में अतिरिक्त 0.35 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोग बढ़ने और निर्यात में गिरावट थमने से भी विकास दर को बल मिलेगा।

**कितनी रहेगी विकास दर**

**वित्त वर्ष----विकास दर प्रतिशत**

- 2016- 17 ..... 7.6
- 2017 -18..... 7.7
- 2018- 19..... 7.9

**सुझाव विश्व बैंक के**

- उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाए
- जीएसटी व अन्य सुधारों से कारोबारी माहौल बेतहर बनाए

- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के उपाय किये जाएं
- कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए

## 17. FDI से रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा बढ़ावा

- रक्षा क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने और देश में निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने बेहद संवेदनशील रक्षा क्षेत्र में भी अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को ज्यादा आसान कर दिया है।
- **पहले 49 फीसदी से ज्यादा के एफडीआइ के मामलों को सरकार तभी मंजूरी देती थी, जब इससे भारत में आधुनिकतम (स्टेट आफ आर्ट) तकनीक का आना सुनिश्चित होता हो। लेकिन अब इसकी अनिवार्यता हटा दी गई है।**

- रक्षा क्षेत्र की कंपनियों में 49 फीसदी तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के जरिये किया जा सकता है। इससे ज्यादा के एफडीआइ के मामलों में सरकार से विशेष मंजूरी लेनी होती है।

- अब तक के नियमों के मुताबिक यह मंजूरी देते समय सरकार यह देखती थी कि क्या इससे आधुनिकतम तकनीक भारत में आने का मौका मिल रहा है।

- अगर ऐसा हो, तभी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती थी। मगर नए नियमों के मुताबिक अब आधुनिकतम (स्टेट आफ आर्ट) तकनीक के जुड़े होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह आधुनिक यानी **मॉडर्न तकनीक** को ही पर्याप्त मान लिया गया है।

**- साथ ही रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया यह बदलाव आयुध अधिनियम 1959 के तहत आने वाले छोटे अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद पर भी शामिल होगा।**

- इसी तरह अब रक्षा क्षेत्र में मुख्य व्यापार के लिए मंजूरी मिली हो तो उस कंपनी को अपनी शाखा, लायजन या प्रोजेक्ट ऑफिस खोलने के लिए अलग से रिजर्व बैंक या दूसरी एजेंसियों की इजाजत नहीं लेनी होगी।

# WHAT THE CHANGES MEAN

| Sector | Proposed FDI regime | Existing FDI regime | Implication |
|---|---|---|---|
| Defence | 100% FDI in defence via govt approval | 49% for foreign entities under automatic route and beyond 49% on government approval on a case-by-case basis subject to access to state-of-the-art technology | Foreign defence firms can set up manufacturing facilities in India |
| Pharmaceuticals | 74% FDI through automatic route in brownfield | 100% FDI in brownfield through govt approval | More private equity deals in pharma as new regulation clears uncertainty over FIPB approvals |
| Aviation | 100% FDI for foreign entities | 49% for foreign entities | Local airlines can attract more capital |
| Broadcast ●Cable networks | 100 % FDI allowed via automatic route | 100% FDI allowed, only 49% allowed via automatic route | More investment opportunities |
| ●Direct to home (DTH) | | | No FDI expected till cross-media ownership cap removed |
| ●Headend-in-the sky (HITS) | | | |

Source: Department of industrial policy and promotion

- हालांकि अब भी ऑटोमैटिक रूट से मिलने वाली मंजूरी की सीमा 49 फीसदी तक ही रहेगी। दो साल पहले वर्ष 2014 में इसे 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी तक किया गया था।
- इसके बावजूद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अपेक्षित तेजी नहीं मिल रही थी क्योंकि उनकी निवेश की सीमा 49 फीसदी तक रहने से कंपनी के अहम फैसले भारतीय साझेदार ही करते थे।
- इसलिए ऑटोमेटिक रूट से निवेश की सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार के ताजा फैसले पर आलोचकों का यह भी कहना है कि न तो पहले "स्टेट ऑफ आर्ट" की कोई परिभाषा थी और ना ही अब मॉडर्न" की कोई परिभाषा तय की गई है। इसलिए इसका विश्लेषण पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करेगा।

- रक्षा क्षेत्र में निवेश संबंधी नियमों को उदार करने में भारत में काफी देरी हुई है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ का विरोध करती रही है। इसे वह **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक** बताती थी। साथ ही इसका कहना था कि इससे आधुनिकतम तकनीक के भारत आने की कोई गारंटी नहीं है।

**18. नौ उद्योगों में विदेशी निवेश के नियम आसान: भारत दुनिया की सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्था, जानिए क्या हैं इसके मायने**

सरकार ने अपने कार्यकाल के सबसे अहम आर्थिक सुधारों को लागू करने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री की अगुआई में हुई अहम बैठक में सिविल एविएशन, रक्षा, सिंगल ब्रांड रिटेल, फार्मा तथा ब्रॉडकास्टिंग समेत नौ उद्योगों में विदेशी निवेश के नियमों को आसान कर दिया गया है। इस फैसले के बाद देश के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में अब **कम-से-कम रोकटोक से विदेशी निवेश** हो सकेगा। एक नजर इस फैसले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर :-

- रक्षा क्षेत्र में अब ये जरूरी नहीं होगा कि भारत में कारखाना लगा रही कंपनियां अपनी आधुनिक तकनीक भारत को दें।
- आधुनिक तथा अति-उच्च तकनीक आधारित उद्यम लगाने वाली सिंगल ब्रांड कंपनियों को स्थानीय इकाइयों से न्यूनतम खरीदारी करने की शर्त में छूट भी बढ़ा दी गई है।
- यह निर्णय खासकर अमेरिकी मोबाइल कंपनी एप्पल के लिए अहम है। एप्पल ने स्थानीय स्रोतों से न्यूनतम 30 फीसदी खरीदारी की शर्त में छूट के लिए अर्जी दी थी।
- इसी तरह जो विदेशी दवा कंपनियां भारत में अपनी इकाई लगाएंगी, उन्हें ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी निवेश की इजाजत होगी।
- जो विदेशी कंपनियां भारतीय इकाइयों को खरीदना चाहेंगी, वे सरकारी मंजूरी के रास्ते 100 फीसदी निवेश कर सकेंगी।
- इन फैसलों से भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- हालांकि इससे देश में रोजगार पैदा करने तथा बुनियादी ढांचे में सुधार में कितनी मदद मिलेगी, यह बड़ा सवाल है।
- अति-उच्च टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों की उत्पादन प्रक्रिया अधिक-से-अधिक स्वचालित तकनीक आधारित होती गई है, जहां बड़ी संख्या में कर्मियों की जरूरत नहीं पड़ती।

=>**परिप्रेक्ष्य :-**

**Background:-** सरकार ने देश में विदेशी पूंजी की आमद बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले किए। मसलन, एयरपोर्ट के नए प्रोजेक्ट, शिड्यूल्ड एयरलाइंस और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी गई है।

- एफडीआई के नए नियमों के तहत रक्षा और शिड्यूल्ड एयरलाइन्स सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से केवल 49 फीसदी एफडीआई की मंजूरी होगी। इससे ज्यादा विदेशी निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
- फर्मा सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 74 फीसदी एफडीआई की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा ई-कॉमर्स और फूड सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दे दी गई है। संगल ब्रांड रिटेल सोर्सिंग के नियमों में भी ढील दी गई है। केबल नेटवर्क, डीटीएच और मोबाइल टीवी में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दे दी गई है।
- एएफडीआई के नियमों में ढील के बाद अब डिफेंस ऑफिस, टेलीकॉम ऑफिस और ब्रॉडकास्ट ऑफिस के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी नहीं लेनी होगी।

कई ऐसे क्षेत्रों में ऑटोमैटिक तरीके से निवेश की इजाजत दी गई है जिसे राजनीतिक व आर्थिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता रहा है। **मसलन, घरेलू एयर ट्रांसपोर्ट सेवा व पैसेंजर एयरलाइंस में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसद से बढ़ाकर 100 फीसद की गई है। इसमें 49 फीसद निवेश ऑटोमैटिक रास्ते से होगा।**

- इसके बाद की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकारी मंजूरी लेनी होगी। देश के मौजूदा **हवाई अड्डों में एफडीआइ की सीमा बढ़ाकर 100** फीसद की गई है। **सिंगल ब्रांड रिटेल चेन स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए स्थानीय स्तर पर 30 फीसद उत्पाद लेने की अनिवार्यता को तीन वर्षों के लिए समाप्त किया गया है।**

कंपनी भारत में यदि बेहद आधुनिक उत्पाद बेचना चाहती है तो उसके लिए पांच वर्षों की छूट दी गई है। इससे भारत में स्टोर खोलने की मंशा रखने वाली एप्पल को काफी लाभ होगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे और स्थानीय सोर्स की बाध्यता को बड़ी अड़चन बताकर गए थे।

**और कई अहम फैसले**

- भारत सरकार ने एक अन्य अहम फैसले के तहत भारत में तैयार होने वाले सभी तरह के **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ई-कॉमर्स के जरिये तैयार खाद्यान्नों के व्यापार आदि में एफडीआइ की सीमा ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसद** कर दी है।
- रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिए **निवेश की परिभाषा बदली** गई है। अब हर तरह की विदेशी रक्षा कंपनियां यहां निवेश कर सकेंगी। छोटे हथियार व गोला-बारूद बनाने वाली कंपनियों के लिए भी एफडीआइ सीमा लागू की गई है।
- टेलीपोर्ट्स, केबल नेटवर्क, डायरेक्ट-टू-होम, मोबाइल टीवी, स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में भी सौ फीसद एफडीआइ की छूट दे दी गई है।

**=>फार्मा क्षेत्र में भी खोला रास्ता**

- देश की मौजूदा **दवा कंपनियों में एफडीआइ की सीमा 74 फीसद तक ऑटोमैटिक तरीके** से करने की इजाजत दी गई है।
- इसके बाद 100 फीसद तक के लिए सरकार से मंजूरी की अनिवार्यता पहले से ही लागू है।
- देश में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने वाली कंपनियों में विदेशी निवेशकों को 74 फीसद तक हिस्सेदारी बढ़ाने की इजाजत दी गई है। 49 फीसद ऑटोमैटिक रूट से जबकि इसके बाद सरकारी मंजूरी के साथ।

**=>ब्रांच खोलने के नियम आसान :-**

- सरकार ने "ईज आफ डूइंग बिजनेस" के नारे को आगे बढ़ाते हुए रक्षा, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी व सूचना-प्रसारण से जुड़ी विदेशी कंपनियों के लिए यहां ब्रांच खोलने के नियम को आसान कर दिया है।

- देश में अच्छी क्वालिटी के पशुधन को बढ़ावा देने के लिए **पशुओं के प्रजनन में दुनिया की बड़ी कंपनियों**को आकर्षित करने के लिए 100 फीसद तक निवेश की इजाजत दी गई है, वह भी स्वचालित रास्ते से।

**=>तैयार होंगे रोजगार के नए अवसर**

इन फैसलों से देश में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में गति आएगी जो देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में बेहद सहयोगी होगा। सरकार ने हर क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद ये फैसले किए हैं।

**=>FDI अनुमति के लाभ :-**

- ये सभी बड़े और कारोबार क्षेत्र का रूपांतर कर देने वाले फैसले हैं। जिस समय

1. ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से निकलने की आशंका,
2. देरसबेर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की संभावना और
3. अपने देश में अल्पकालिक बॉन्ड्स के मैच्योर होने पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के भारत से बाहर जाने की चर्चा आम है, इन फैसलों से भारतीय **विदेशी मुद्रा भंडार को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद मिल सकती** है। -

**=>विरोध का कारण / समस्याएं :-**

- इससे देश में रोजगार पैदा करने तथा बुनियादी ढांचे में सुधार में कितनी मदद मिलेगी, यह बड़ा सवाल है।

1. अति-उच्च टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों की उत्पादन प्रक्रिया अधिक-से-अधिक स्वचालित तकनीक आधारित होती गई है, जहां बड़ी संख्या में कर्मियों की जरूरत नहीं पड़ती।
2. फिर तकनीक साझा करने तथा स्थानीय स्रोतों से खरीदारी की शर्तों में छूट देने का फैसला विवादास्पद हो सकता है।
3. अतीत में रक्षा एवं दूरसंचार क्षेत्रों में विदेशी निवेश को लेकर देश में संदेह का माहौल रहा है। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती माना **गया है।**

---

**19. आर्थिक विषमता: भारत की तेज विकास दर और बेरोजगारी एक साथ (जॉबलेस ग्रोथ)**

- यकीनन यह बेहद खुशी की बात है कि भारत आज दुनिया की **सबसे तेज विकास दर** वाला देश बन गया है। हाल ही में जारी किए गए नवीनतम अधिकृत डाटा के अनुसार वित्त-वर्ष 2015-16 में भारत की विकास दर 7.6 प्रतिशत थी। यह चीन की 6.7 प्रतिशत विकास दर से बहुत आगे है।
- इतना ही नहीं, वित्त-वर्ष की पिछली तिमाही में तो 7.9 प्रतिशत से भी अधिक की विकास दर दर्ज की गई। इसके यह भी मायने हैं कि आने वाले समय में भारत 8 से 9 प्रतिशत तक की विकास दर भी अर्जित कर सकता है, जो कि सुस्ती से जूझ रही विश्व-आर्थिकी के परिप्रेक्ष्य में एक अद्भुत परिघटना होगी। यह इसलिए रोमांचक है कि एक बेहतर विकास दर में किसी भी देश को गरीबी के चंगुल से बाहर निकाल लाने की क्षमता होती है। और भारत जैसे देश के लिए इसका बेहद महत्व है।

- बहरहाल, अच्छी विकास दर के बावजूद देश में आर्थिक विषमता के कारण उपजी जो समस्याएं हैं, उन्हें आज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि समाज में व्याप्त खाइयों के कारण ही **आर्थिक विकास के समुचित लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाते और अमीरों के और अमीर होते चले जाने और गरीबों के गरीब ही बने रहने की परिघटना** के रूप में सामने आते हैं। और भारत में तो सामाजिक संरचना में अनेक स्तरों पर विषमताएं हैं।

- एक तरफ **अमीर-गरीब का भेद है तो दूसरी तरफ शहरी-ग्रामीण का भी भेद** है। विकास की चमचमाहट जहां शहरों में देखी जा सकती है, वहीं गांव आज भी अंधकार में डूबे हुए हैं। वे भीषण अभावों से जूझ रहे हैं।

- हालांकि पहले बीमारू कहलाने वाले राज्य आज उतने बदहाल नहीं हैं, लेकिन खुशहाली का सपना अभी भी दूर बना हुआ है। बिहार आज भी गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों की तुलना में आर्थिक विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ा हुआ है।

- एक तीसरा विभाजन **डिजिटल डिवाइड** का भी है, जिसमें एक तरफ वे लोग है, जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच और उसके उपयोग की कुशलता है, वहीं दूसरी तरफ सूचना क्रांति से आज भी दूर बने हुए लोग हैं, जो समय की दौड़ में पहली कोटि के लोगों से काफी पिछड़ गए हैं।

यही कारण है कि आज जहां हम दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गंभीर चुनौतियां अभी तक हमारे सामने कायम हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि हम आज भी अंधों में काना राजा के समान ही हैं। राजन का दृष्टिकोण यही है (जो कि उनकी मौद्रिक नीति में भी झलकता है) कि अतिउत्साहित ना हुआ जाए और चुनौतियों पर नजर कायम रखी जाए। शायद इसी तरह से दीर्घकालीन सफलताएं अर्जित की जा सकती है, जिनमें **गरीबी हटाना सबसे प्रमुख** है।

- दूसरी तरफ ऊंची विकास दर का महत्व भी तभी होगा, जब हम उसकी मदद से रोजगार निर्माण में कामयाब हो सकें। अगर बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक तो ऐसा हो नहीं सका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2015 में 1 लाख 35 हजार नए रोजगार सृजित किए गए थे, जो कि वर्ष 2014 में सृजित हुए 4 लाख 21 हजार रोजगारों की तुलना में बेहद कम है। इसके उलट वर्ष 2015 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सरकार द्वारा निर्यात में कटौती किए जाने से कोई 20 हजार लोगों को नौकरियां गंवाना पड़ीं। जबकि चुनौती इतनी बड़ी है कि आकलनों के मुताबिक हर साल कोई 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगारों की सूची में नए जुड़ जाते हैं।

- आर्थिक विश्लेषक इस प्रकार की स्थिति को **जॉबलेस ग्रोथ** की संज्ञा देते हैं, जिसमें विकास दर के आंकड़ों के साथ ही बेरोजगारों की तादाद भी बढ़ती जाती है।
- कुछ अन्य डाटा बताते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हाल के समय में नाटकीय बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा यह कि निर्माण क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में नौकरियों का विस्फोट होने वाला है। हम यह मान सकते हैं विदेशी निवेश की पूंजी से संचालित होने वाली अनेक परियोजनाएं अगले साल तक प्रभावशील हो जाएंगी।
- भारत में निर्माण क्षेत्र एक लंबे समय से पिछड़ रहा है, लेकिन **मेक इन इंडिया** परियोजना पर सरकार द्वारा जोर दिए जाने और विदेशी निवेशकों द्वारा दिलचस्पी दिखाई जाने के कारण मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में नए उत्साह का संचार हुआ है। हम मान सकते हैं कि इसके बाद अर्थव्यवस्था के इस लेबर इंटेंसिव सेक्टर रोजगार के अनेक अवसर जल्द ही सृजित होने जा रहे हैं।

- लेकिन बेरोजगारी की स्थिति इसलिए निर्मित हो रही है कि रोजगार निर्माण के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र अभी तक वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, जितनी कि उससे अपेक्षा की जा रही थी। यहां तक कि ई-कॉमर्स सेक्टर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और फ्लिपकार्ट जैसी इस क्षेत्र की कद्दावर कंपनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस कारण उसे आईआईएम से मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की नियुक्तियों पर भी रोक लगाना पड़ी है।
- माना जा रहा है कि **स्टार्टअप इंडिया योजना** के फलस्वरूप ई-कॉमर्स के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आने वाला है, या इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

- एक अच्छा मानसून इस पूरी तस्वीर को बदलकर रख देगा और बहुतों को उम्मीद है कि मौसम वैज्ञानिकों की एक औसत से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी सही साबित हो। भारत भले ही दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया हो, लेकिन आज भी उसकी **आर्थिकी मानसून पर जरूरत से ज्यादा निर्भर बनी हुई है** और अब योजनाकारों के लिए सबसे अधिक सोचने वाली बात यही होनी चाहिए कि मानसून पर इस अत्यधिक निर्भरता से कैसे मुक्त हुआ जाए।

इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था की इस तेजी से हमारी वैश्विक हैसियत में हमें कितना फायदा मिलेगा। एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए हमें अब भी अनेक वर्षों तक आर्थिक विकास को कायम रखना होगा और एक पुख्ता बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा।

---

**20 .रक्षा और एयरलाइंस सेक्टर्स में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी**

- सरकार ने रक्षा और एयरलाइंस सेक्टर्स को विदेशी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोल दिया। अब इन दोनों सेक्टरों में 100-100% तक विदेशी निवेश लाया जा सकता है।
- डिफेंस सेक्टर में नई एफडीआई लिमिट को आर्म्स ऐक्ट 1959 के तहत छोटे हथियारों और गोला-बारूद की मैन्युफैक्चरिंग पर भी लागू किया गया है।
- एयरलाइंस सेक्टर्स में भी 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत विदेशी कंपनियां ब्राउनफिल्ड एयरपोर्ट प्रॉजेक्ट्स (वैसे तैयार प्रॉजेक्ट्स जिसे खरीदकर सरकार या कंपनियां नए सिरे से काम शुरू करती हैं) में ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत निवेश कर सकती हैं। पहले इस सेक्टर में 49 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति थी।
- सरकार ने सिक्यॉरिटी एजेंसियों में ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत तक कर दी। हालांकि, इस सेक्टर में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी।
- सरकार ने एक और बड़ा फैसला किसी बिजनस के लिए ब्रांच या प्रॉजेक्ट ऑफिस खोलने को लेकर किया है। नए आदेश के तहत अब इसके लिए रिजर्व बैंक का अप्रूवल या दूसरी तरह की सिक्यॉरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। बशर्ते, एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) या संबंधित मंत्रालय अथवा नियामक की ओर से स्वीकृति, लाइसेंस या अनुमति मिल चुकी हो।

---

**21. भारत में विभिन्न प्रकार के टैक्स**

★भारत में मुख्य तौर पर दो तरह के टैक्स होते हैं।

A.. **Direct Taxes** यानी वो टैक्स जो सरकारें सीधे आपसे लेती हैं और

B.. **Indirect Taxes** यानी वो टैक्स जो अप्रत्यक्ष तौर पर आप सरकारों को देते हैं।

1.- Direct Tax में सबसे पहला टैक्स है Income Tax हर एक व्यक्ति, जिसकी आय taxable limit से ज्यादा होती है, उसे Income tax देना होता है। भारत में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय पर इनकम टैक्स देना होता है।

2.- भारत में दूसरा Direct Tax है Capital Gains Tax. इसके तहत अगर आपकी संपत्ति, शेयर, बॉन्ड्स या महंगी वस्तुओं को बेचकर आप मुनाफा कमाते हैं तो आपको ये टैक्स सरकार को चुकाना होता है।

3.- तीसरा Direct tax है Securities Transaction Tax. इसके तहत stock exchange में हर transaction पर आपको टैक्स देना होता है।

4.- चौथे प्रकार का Direct tax टैक्स है Corporate Tax, जिसके तहत देश भर की कंपनियां अपनी आय पर सरकार को टैक्स देती हैं।

5.- Indirect Taxes के तहत वस्तुओं को बेचने पर लगने वाले टैक्स को Sales Tax कहते हैं। जिसका सीधा बोझ ग्राहक पर पड़ता है।

6.- ज्यादातर राज्य सरकारें वस्तुओं और सेवाओं पर Value Added Tax यानी VAT भी लगाती हैं। VAT की दर अलग-अलग राज्यों में अलग अलग है।

7.- सभी सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को Service Tax कहते हैं। अभी भारत में आपको हर सेवा पर 15 फीसदी Service Tax देना पड़ता है।

8.- भारत में विदेश से आयात होकर आने वाले सामानों पर सरकार Custom duty लगाती है।

9.- देश में बनने वाले उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को Excise Duty कहते हैं।

10.- इसके अलावा सरकार वकीलों, डॉक्टरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेट्री जैसे Professionals से Professional tax भी वसूलती है।

11.- जो कंपनियां अपने निवेशकों को अपने लाभ का हिस्सा देती हैं, उन्हें सरकार को Dividend distribution Tax देना होता है ।

12.- इसके अलावा हर शहर का नगर निगम, किसी संपत्ति के मालिक से property tax के रूप में Municipal Tax वसूलता है।

13.- राज्य सरकारें फिल्म shows, प्रदर्शनियों, DTH service और cable service पर Entertainment Tax लगाती हैं, जो आखिरकार ग्राहकों से वसूला जाता है।

14.- अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप अपनी राज्य सरकार को Stamp Duty भी चुकाते हैं।

15.- इसके अलावा सरकार आपके income tax पर 3 प्रतिशत का Education Cess भी लेती है

16.- अगर आपको साल भर में 50 हज़ार रुपये की कीमत से ज्यादा का कोई गिफ्ट मिलता है तो सरकार आपसे Gift Tax भी लेती है।

17.- इसके अलावा Toll Tax से तो आप सब वाकिफ हैं ही। लगभग हर शहर में सड़कों और पुलों के इस्तेमाल पर आपको toll tax देना होता है

- 15 नवंबर 2015 से टैक्स के दायरे में आने वाली सेवाओं पर केन्द्र सरकार ने स्वच्छ भारत सेस लगाने का ऐलान भी किया है।
- देश में किसानों के हालात सुधारने के लिए कृषि कल्याण सेस भी लिया जाता है।
- इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने Infrastructure Cess लगाने का ऐलान किया था, जो कार और वाहनों पर लगाया जाता है।
- भारत की कुल जनसंख्या के सिर्फ 4 फीसदी लोग ही income tax चुकाते हैं। Income Tax उन सुविधाओं के लिए चुकाना चाहिए जो उसे देश के नागरिक होने की हैसियत से मिलती हैं।
- वर्ष 2014-15 में सिर्फ 5 करोड़ 17 लाख लोगों ने अपना Income Tax Return भरा जो भारत की जनसंख्या का सिर्फ 4 फीसदी है।
- 32 करोड़ की जनसंख्या वाले अमेरिका में करीब 14 करोड़ 40 लाख नागरिक अपना income tax चुकाते हैं।
- South Carribean Sea में स्थित Aruba island के 59 प्रतिशत लोग टैक्स चुकाते हैं स्वीडन और डेनमार्क के 56 प्रतिशत लोग टैक्स देते हैं। Netherlands के 52 फीसदी लोग टैक्स देते हैं जबकि बेल्जियम, जापान, आस्ट्रिया और इंग्लैंड के 50 प्रतिशत लोग टैक्स चुकाते हैं।

---

**22. गूगल टैक्स: Equalisation lavy**

- बजट में घोषित गूगल टैक्स के नाम से मशहूर इक्वलाइजेशन लेवी 1 जून, 2016 से लागू हो गया है ।

- नियम के तहत, देश के कारोबारियों द्वारा विदेशी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडरों, मसलन गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक आदि को दिए ऑनलाइन ऐड के लिए भुगतान की गई राशि पर 6% लेवी वसूला जाएगा, बशर्ते पेमेंट की राशि पूरे वित्त वर्ष में एक लाख रुपये को पार कर जाए।
- यह लेवी सिर्फ बिजनस टु बिजनस (B2B) ट्रैंसेक्शंस पर ही लगेगा।
- **गूगल टैक्स वसूलने वाला दुनिया का पहला देश भारत:** अमेरिका जैसे देशों की ओर से कड़े विरोध के बावजूद भारत ने बेस इरॉजन ऐंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ऐक्शन प्लान लागू करने पर कड़ी मेहनत की है। यह डिजिटल इकॉनमी पर सरकारों द्वारा टैक्स लगाने का एक विकल्प देता है और इसी विकल्प के इस्तेमाल का एक जरिया इक्वलाइजेशन लेवी लगाना है। भारत दुनिया का पहला देश है जो इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने जा रहा है
- अगर विदेशी सर्विस प्रोवाइडरों के भारत में स्थायी बिजनस संस्थान हैं और बिल भारत वाले संस्थान से ही बनता है तो पेमेंट पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगाया जाएगा। इक्वलाइजेशन लेवी गूगल, याहू, फेसबुक, ट्विटर और दूसरी कंपनियों के बॉटम लाइंस को प्रभावित कर सकता है।

---

**23. टॉप 50 बैंकों में शामिल होने को तैयार भारतीय स्टेट बैंक, अब बनेगा महाबैंक**

★ भारतीय बैंकिंग जगत में एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी पांच बैंकों के विलय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अपने तरह के अकेले 'भारतीय महिला बैंक' (बीएमबी) का भी विलय एसबीआइ में हो जाएगा।

★ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अपने सहयोगी बैंकों और बीएमबी को मिलाने के बाद एसबीआइ की परिसंपत्तियां बढ़कर 37 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएंगी और यह दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शुमार हो जाएगा।

★ एसबीआइ की प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य ने इस विलय को एसबीआइ और उसके सहयोगी बैंकों के लिए फायदे का सौदा बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक भी भारतीय बैंक दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल नहीं है। इस तरह विलय के बाद वैश्विक स्तर पर बैंक की धमक बढ़ेगी। इससे सहयोगी बैंकों के ग्राहकों को भी फायदा होगा।

★ वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही मौजूदा छोटे-छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक में तब्दील करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुके हैं। अन्य बैंकों के लिए आगे का रोडमैप बनाने का काम बैंक बोर्ड ब्यूरो कर रहा है।एसबीआइ ने पिछले महीने ही अपने पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय का प्रस्ताव दिया था।

★ एसबीआइ की इन पांचों सहयोगी कंपनियों की 6400 शाखाएं, 38000 कर्मचारी हैं। वहीं एसबीआइ के खुद अपनी 14000 शाखाएं और 2,22,033 कर्मचारी हैं। विलय के बाद एसबीआइ के 50 करोड़ से अधिक ग्राहक, 22,500 शाखाएं और 58,000 एटीएम हो जाएंगे।

★ इस तरह विलय के बाद एसबीआइ दुनिया में 45वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। फिलहाल एसबीआइ का स्थान 52वां है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2013 में 1000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ भारतीय महिला बैंक शुरू किया था।

★ इससे पहले एसबीआइ 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय कर चुका है। इस बीच एसबीआइ और उसके सहयोगी बैंकों के विलय की खबर की भनक लगते ही शेयर बाजार में एसबीआइ के सहयोगी बैंकों के शेयरों में जबर्दस्त उछाल आया है।

***विलय के पक्ष में तर्क (In favors):***

1. प्रस्तावित विलय से एसबीआई दुनिया के 50 बड़े बैंकों में शामिल हो जाएगा बैंक फिलहाल .52 वें स्थान पर है बैलेंसशीट का बैंक . बढ़कर37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा, जो अभी 28 लाख करोड़ रुपये है.
2. भारतीय बैंकिंग प्रणाली बहुत ज्यादा खंडित है और छोटे बैंक अर्थव्यवस्था के पैमाने पर लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं. एक बड़ी ईकाई के रूप में एसबीआई खर्चों में कटौती और मुनाफे में सुधार कर सकती है.
3. आगे बढ़ रहे भारत को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारी धन की जरूरत है. इसके लिए अच्छे बैलैंसशीट वाले बैंक ही धन का इंतजाम कर सकते हैं. वास्तव में जिन छह बैंकों का विलय एसबीआई में प्रस्तावित हैं, उनके पास किसी बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए फंड नहीं है.
4. अपने पैरेंट्स संगठन एसबीआई से जुड़ने से सहयोगी बैंक बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ अधिक ग्राहकों को लुभाने में सक्षम हो जाएगा.

5. 21वीं सदी में बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस होना पड़ेगा. छोटे बैंकों को डिजिलट बैंकिंग की ओर बढ़ने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है.

=>*विलय के विपक्ष में तर्क In Against) :-*

1. विलय के बाद एसबीआई अपने 37 लाख करोड़ रुपये के बैलेंसशीट के साथ दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो जाएगा . गुणा पांच से आईसीआईसीआई बैंक बड़े सबसे दूसरे के भारत एसबीआई से विलयबड़ा हो जाएगा. आईसीआईसीआई का बैलेंसशीट 7.11 करोड़ रुपये है.
2. · निजी बैंकों के लिए विलय का रास्ता ज्यादा आसान है विलय क्योंकि है होता मुश्किल विलय लिए के में बैंकों के क्षेत्र सार्वजनिक . न आसान छंटनी उनकी और है जाती बढ़ संख्या की कर्मचारियों के बैंक बाद केहीं होती खिलाफ के विलय ही पहले यूनियन बैंक . .पड़ेगा करना सामना का विरोध के कर्मचारियों को एसबीआई .हैं चुके कर घोषणा की हड़ताल
3. · इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़े बैंक बड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटा सकते हैं इससे कि है पहलू दूसरा इसका लेकिन . बड़े जैसे एसबीआई बैंक का जोखिम भी उतना ही बढ़ेगा कि था जताया भरोसा यह ने राजन रघुराम गर्वनर के आरबीआई ही में हाल . .देंगे ऋण समझकर-सोच अब बैंक
4. · ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण देने के मामले में प्रोफाइल एक ही जैसा हैका बैंकों तरह ही एक इसलिए . आपस में विलय व्यापार में सुधार की संभावनाओं में बढ़ोत्तरी नहीं करता हैऋण ज्यादातर पनाअ बैंक सार्वजनिक . थोक बाजार में देते हैं और विलय के बाद उनके पोर्टफोलियो में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.
5. · नए टेक्नोलॉजी के साथ करने के लिए नई प्रतिभाओं की भर्ती की आवश्यकता होगी केंद्रित ध्यान पर कारोबार नए से रूप विशेष . ही एक जो होंगे कर्मचारी पुराने में संख्या बड़ी में एसबीआई भी बाद के विलय लेकिन .होगा जरूरी यह लिए के बैंकों लिए के करने .है सकती आ पेश दिक्कत में कारोबार नए को एसबीआई इससे .हैं रहे करते काम में प्रोफाइल के तरह

---

## Environment

**1. राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र में अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने डीजल वाहन, NGT ने कहा- ऐसे वाहनों को पहले डी-रजिस्टर करें**

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि पहले उन डीजल वाहनों को अपंजीकृत किया जाए जो 15 साल पुराने हैं। एनजीटी ने यह भी कहा कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर चलाया जा सकता है लेकिन दिल्ली में 15 साल पुराने किसी भी वाहन को तुरंत जब्त कर स्क्रैप करने के आदेश दिए गए हैं।

- एनजीटी के इस आदेश से दिल्ली में अब 15 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चल पाएंगे।
- एनजीटी ने कहा कि आरटीओ दिल्ली अपंजीकृत डीजल वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा जो वाहनों की कम संख्या वाले इलाकों में चलाए जा सकते हैं।
- उन सभी डीजल वाहनों को कबाड़ में फेंक दिया जाएगा जो 15 साल से अधिक पुराने और बीएस-1, बीएस- दो हैं और उनके लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। एनजीटी ने डीडीए को अपंजीकृत डीजल वाहनों को खड़े करने के लिए भूमि मुहैया कराने का निर्देश भी दिया।
- गौर हो कि एनजीटी ने बीते दिनों दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल वाहनों पर तुरंत बैन लगाने का आदेश दिया।
- एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ को निर्देश दिया था कि 10 साल से पुरानी सभी डीजल वाहनों को डी-रजिस्टर कर दिया जाए।
- एनजीटी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी सख्त है। एनजीटी का मानना है कि पुरानी डीजन गाडियां दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस वजह से पुराने वाहनों पर रोक लगाना जरूरी है।

---

**2. पर्यावरण संरक्षण हेतु सार्थक प्रयास की जरुरत**

आजकल पर्यावरण संरक्षण का सवाल सबसे अहम् है। इसका मानव जीवन से सीधा सम्बंध है। न तो इसका नाम नया है और न ही इसकी अवधारणा नयी है। यदि इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में विचार करें तो पाते हैं कि एक विषेष आवरण जिसे दूसरे अर्थों में हम प्रकृति का आवरण भी कह सकते हैं। वास्तविक अर्थों में यह एक रक्षा कवच है।

तात्पर्य यह कि वह आवरण, वह रक्षा कवच जिसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है, पर्यावरण है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि सभी धर्मों का अवलम्बन पर्यावरण है। हरेक धर्म का सार पर्यावरण ही तो है। प्रकृति को अलग करके धर्म की कल्पना असंभव है। क्योंकि प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है और इसी में हमारा जीवन है, प्राण है। लेकिन विडम्बना है कि इसी प्रकृति की हम निरंतर उपेक्षा कर रहे हैं। अपने स्वार्थ कहें या अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति की खातिर हम उसका बेदर्दी से दोहन कर रहे हैं। वह भी बिना यह सोचे कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। जबकि मानव जीवन में जल, जंगल और जमीन की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता।

यदि इतिहास पर नजर डालें तो प्राचीनकाल से ही वृक्षों के प्रति भारतीय समाज का अनुराग सांस्कृतिक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है। इसी परंपरा को जीवंत बनाये रखने हेतु आज से 286 साल पहले 1730 ई. में राजस्थान के खेजड़ली गांव में 363 विश्नोई समुदाय के स्त्री-पुरूषों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा हेतु अपना बलिदान किया था। उनका बलिदान मानव जीवन और पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अभूतपूर्व है और चिर-स्मरणीय भी। लेकिन भारत में नेतृत्व की विकास की अवधारणा के फलस्वरूप वनों का ही नहीं, हरे-भरे खेतों का स्थान भी कंक्रीट के जंगलों ने ले लिया। इसकी गाज सबसे पहले वन्य जीवों पर पड़ी। नतीजतन कुछ वन्य जीव जो 'पंचतंत्र', 'जातक कथाओं' और 'पौराणिक कथाओं' के अनुसार कभी देवी-देवताओं के वाहक थे, आज इतिहास और काल के पात्र बनकर रह गए हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा।

दरअसल मानव जगत का पृथ्वी तथा उसके वायुमण्डल से घनिष्ठ सम्बंध है। मनुष्य इसी पृथ्वी पर अपना निवास बनाता है, अनाज पैदा करने से लेकर जंगल से वनस्पति व खनिज का उपयोग करने तथा तमाम कार्यकलापों से वह अपना जीवन-यापन करता है। पृथ्वी तथा वायुमण्डल से मिलकर बना वातावरण जिसे दूसरे शब्दों में 'पर्यावरण' कहते हैं; पृथ्वी के भौतिक वातावरण व उसके घटकों से मिलकर बनता है। प्रकृति के सभी घटक निश्चित मात्रा में अपने कार्य करके प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं।

भौतिक वातावरण व उसमें रहने वाले सभी जीव मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन जब मानवीय हस्तक्षेप प्रकृति के इस सन्तुलित तंत्र में विक्षोभ उत्पन्न करता है तो इसके घातक प्रभाव पेड़-पौधे, पशु-पक्षियों व मनुष्यों पर पड़ते हैं। इस सन्तुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसी के स्वार्थ ने उसकी विवेकीय शक्तियों पर विजय पाकर उसे तात्कालिक लाभ व सुख सुविधाओं के लिए प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप जल, जंगल, जमीन, वायु, नदी सभी प्राकृतिक संसाधन जो मानव जीवन के आधार हैं, प्रदूषित हो गए हैं। इस सबके लिए हम ही दोषी हैं। पाष्चात्य सभ्यता के मोहपाष में बंध अपने खान-पान, आचार-विचार और स्वास्थ्य के प्रति दिन प्रतिदिन लापरवाह होते चले जाना और भौतिक संसाधनों की अंधी दौड़ के चलते प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के प्रति उदासीनता और उनका अंधाधुंध दोहन इसका प्रमुख कारण है। इसके चलते हमने अपनी भावी पीढ़ी का भविष्य ही अंधकार में धकेल दिया है।

असल में प्राकृतिक संसाधन और उनका उचित उपयोग राष्ट्र को विकसित तथा अनुचित उपयोग गरीब बनाता है। गरीब राष्ट्र के गरीबीग्रस्त भाग में पर्यावरण की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक खराब पायी जाती है। पर्यावरण का चहुंमुखी विकास या संरक्षण तभी सम्भव है, जब ऐसे राष्ट्र या उसके ऐसे भाग में जहां गरीबी का बोलबाला हो, वहां के लोगों को गरीबी के दलदल से निकाला जाये तथा उनके जीवन-स्तर को सुधारा जाये अन्यथा प्रदूषण और गरीबी के दलदल का मिला-जुला रूप एक मीठे जहर के रूप में उभरकर समूचे राष्ट्र में फैलकर अपना असर भयंकर नासूर की तरह दिखाने लगेगा। यही स्थिति हमारे देश की है जहां विकास के मौजूदा ढांचे जिसमें औद्योगिक विकास को प्रमुखता दी गई है, ने समूचे पर्यावरण को प्रदूषित करके रख दिया है और निहित स्वार्थ के चलते हम उसको दिनोंदिन और बढ़ाने में अहम् भूमिका निबाह रहे हैं। हकीकत में पर्यावरण प्रदूषण आज व्यापक समस्या बन चुका है। आज यह समस्या देश की ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। यही कारण है कि विश्व के तमाम देश गंभीरता से इसका समाधान निकालने में जुटे हैं।

गौरतलब है कि हमारे यहां पृथ्वी को उजाड़ने में जो कारक उत्तरदायी हैं, उन पर कभी सोचने का प्रयास ही नहीं किया गया। वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी और मौसम में आ रहे बदलाव इसका पर्याप्त संकेत दे रहे हैं कि यदि हमने पर्यावरण की रक्षा की गंभीर कोशिशें नहीं कीं तो आने वाले दिन भयावह होंगे।

औद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया में घने वन-उपवनों के उजाड़ से पर्यावरण संतुलन काफी हद तक बिगड़ गया है। यह सच है कि औद्योगीकरण के चलते रोजगार के नये अवसर खुले और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, पर इसका नकारात्मक पहलू यह है कि औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचायी। आज उद्योगीकरण और रासायनिकीकरण के चलते हमारी नदियां, समुद्र, जल, भूजल, वायु-सभी के सभी भयावह स्तर तक प्रदूषित हो चुके हैं। कई नदियों का तो अस्तित्व ही मिट गया है। रासायनिक तत्वों के अत्याधिक उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति निरंतर घटती जा रही है।

औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों से हमारे प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि समूचा वायुमंडल विषाक्त हो रहा है। कागज के कारखानों से हाइड्रोजन सल्फाइड, ताप बिजलीघरों से सल्फर डाइआक्साइड, तेल शोधक कारखानों से हाइड्रोकार्बन और रासायनिक उर्वरक कारखानों से उत्सर्जित अमोनिया वायुमंडल ही नहीं, नदियों को भी खतरनाक ढंग से प्रदूषित करती है। कार्बन डाईआॅक्साइड से वायुमंडल का ताप बढ़ता है।

ओजोन में कमी व कार्बन डाईआॅक्साइड में बढ़ोतरी से 2030 तक तापमान दो डिग्री से ज्यादा बढ़ जायेगा। इससे समुद्र व वातावरण में नमी से जल का वाष्पन होगा, ग्लेिषयरों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी, समुद्र के पानी में बढ़ोतरी होगी जिससे भीषण तबाही मच सकती है और जलवायु व मौसम में भारी परिवर्तन हो सकता है।

हमारे यहां लोग सबसे पहले उन मुद्दों पर सोचते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं। उस समय जो भी संसाधन उपलब्ध हों, वे चाहे वन, वन्यप्राणी, खनिज पदार्थ हों या कोई अन्य, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पहल की जाती है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अपना महत्व खो देते हैं। असलियत में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के मामले में आम जनता की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए आमजन को जागरूक करने की जरूरत है। इसके बिना इस समस्या पर पार पाना असम्भव है।

आज समय की महती आवश्यकता है कि हम सभी पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के प्रति न केवल चिंतित हों बल्कि उसकी रक्षा के लिए कमर कस कर तैयार हों और ऐसी जीवन पद्धति विकसित करें जो हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने में सहायक हो। अब हमें इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास करने होंगे, तभी स्थिति में कुछ सुधार संभव है। अन्यथा स्थिति में बदलाव की आशा बेमानी है।

**3. दक्षिणी ध्रुव पर 40 लाख वर्ष में कार्बन का स्तर सबसे ज्यादा**

- ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता लगातार बढ़  रही है, वायु प्रदूषण की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। पृथ्वी के तमाम हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) की मात्रा साल दर साल बढ़ती जा रही है।
- इसी का नतीजा है कि दक्षिणी ध्रुव पर चालीस लाख वर्ष में पहली बार **खतरनाक गैस की मात्रा 400 पार्ट्स प्रति मिलियन** (पीपीएमपिछले है। गई कर पार को (
- चार वर्षों से कार्बन की मात्रा में दो पीपीएम से ज्यादा की सालाना वृद्धि दर्ज की जा रही है। जलवायु वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है।
- जंगलों के घटते दायरे और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का अंतिम हिस्सा था, जहां के वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 400 पीपीएम से कम थी। एनओएए ने वर्ष 1958 से वायुमंडल में कार्बन की मात्रा पर नजर रखना शुरू किया था। पिछले साल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 399 पीपीएम थी।

- शोधकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 2015 में कार्बन में 3.05 पीपीएम की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले 56 वर्षों में कार्बन की मात्रा में यह रिकॉर्ड सालाना वृद्धि थी।

**इसके लिए प्रशांत महासागर में पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय अल-नीनो को जिम्मेदार ठहराया गया है।**वैज्ञानिकों ने पांचवें साल भी कार्बन की मात्रा में दो पीपीएम से ज्यादा की वृद्धि की आशंका जताई है। इसके लिए **मानवीय गतिविधियां** मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

**4. देश में सड़क निर्माण में होगा कूड़े का इस्तेमाल**

- सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआइआर-सीआरआरआइ) ने शहरी कूड़े के बेहतर निस्तारण के लिए एक अनोखा विकल्प खोज निकाला है। इसके तहत कूड़े-कचरे का इस्तेमाल अब सड़क निर्माण में भी किया जा सकेगा।
- सीआरआरआइ दिल्ली के गाजीपुर लैंड फिल के कूड़े पर शोध कर रहा था। शोध के बाद सीआरआरआइ ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसमें कहा है कि गाजीपुर लैंड फिल का60 फीसद कूड़ा एनएच 24 के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है।
- रिपोर्ट 30 जून तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंप दी जाएगी। वैज्ञानिकों ने कूड़े के सड़क में इस्तेमाल के स्वरूप, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव व अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया।
- इस्तेमाल से पहले इस कूड़े को प्लांट में **पृथक (सेग्रीगेट)** करना होगा। सीआरआरआइ ने कूड़े को पृथक करने के लिए तरीका (मेथेडोलॉजी) भी तैयार किया है। इस मेथेडोलॉजी का इस्तेमाल कर देश भर में शहरी कूड़े को सड़क निर्माण के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अभी कई शहर कूड़े के बेहतर निस्तारण की समस्या से जूझ रहे हैं।

=>**प्लांट में प्लास्टिक को किया जाएगा पृथक :** सीआरआरआइ ने जो मेथेडोलॉजी तैयार की है उसके अनुसार एक प्लांट में गाजीपुर लैंड फिल के कूड़े को पृथक किया।

- खासकर कचरे में से प्लास्टिक को अलग किया जाएगा। बड़े प्लास्टिक की मैनुअल तरीके से छंटाई होगी। जबकि छोटे प्लास्टिक ब्लोअर से अलग किए जाएंगे। **वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक की वजह से सड़क स्पंजी हो सकती है। ऐसे में प्लास्टिक को पृथक करना बहुत जरूरी है।**

**5. ब्रेंबल के मेलोम्स**

ऑस्ट्रेलिया  के उत्तरी तट पर पायी जाने वाली चूहों की प्रजाति जो अब विलुप्त हो चुकी है | यह मोसेक जैसी पूंछ वाला चूहा था

6. गंगा में प्रदुषण के कारण व उसके निवारण के उपाय

**गंगा को साफ़ करने का इतिहास:**

- निर्मल गंगा के संकल्प ने ठीक 30 साल पहले 'गंगा एक्शन प्लान' के रूप में मूर्त रूप लिया था

- गंगा एक्शन प्लान के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 14 जून 1986 को वाराणसी में गंगा को निर्मल बनाने के लिए इस प्लान की शुरुआत की थी।

**पुराने कार्यक्रमों से सीख**

वर्तमान केंद्र सरकार ने गंगा के लिए अलग मंत्रलय के गठन और 20 हजार करोड़ की बड़ी धनराशि का नियोजन करते हुए गंगा निर्मलीकरण के कार्यो और परियोजनाओं को नए सिरे से नमामि गंगे के प्रारूप में पुनर्जीवित किया है, किंतु गंगा एक्शन प्लान की विफलता की समीक्षा कर और इससे सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रश्न आज सबसे बड़ा प्रश्न है। करोड़ों की राशि बहाने और इसकी बंदरबांट के बाद भी गंगा की सफाई का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका

**गंगा एक्शन प्लान का एक अवलोकन :**

प्लान के प्रथम चरण की समाप्ति के बाद भी गंगा जल की गुणवत्ता में खास परिवर्तन न दिखाई पड़ने का प्रमुख कारण इसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का जटिल होना था। जनजागरूकता का अभाव भी प्रमुख कारण था।

**गंगा में प्रदुषण के कारण**

- गंगा अपनी धारा के साथ मिट्टी ढोने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह मिट्टी ही नहीं, औद्योगिक कचरा और सीवेज भी अपनी धारा में समेटने को बाध्य है।
- गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कल-कारखानों के जहरीले रसायनों को नदी में बिना रोक-टोक के गिराया जाना। साढ़े सात सौ से अधिक प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषण आज भी गंगा में मिल रहा है
- जब कल-कारखानों या थर्मल पावर स्टेशनों का गर्म पानी तथा रसायन या काला या रंगीन एफ्लुएंट नदी में जाता है, तो नदी के पानी को जहरीला बनाने के साथ-साथ नदी के स्वयं के शुद्धिकरण की क्षमता को भी नष्ट कर देता है। नदी में मौजूद बहुत-सी सूक्ष्म वनस्पतियां और जीव-जंतु भी सफाई में मदद करते हैं। लेकिन उद्योगों के प्रदूषण के कारण गंगा में जगह-जगह डेड जोन बन गए हैं। कहीं आधा, कहीं एक तो कहीं दो किलोमीटर के डेड जोन मिलते हैं। यहां से गुजरने वाला कोई जीव-जंतु या वनस्पति जीवित नहीं बचता।
- **खेती में रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग:** ये रसायन बरसात के समय बहकर नदी में पहुंच जाते हैं तथा नदी की पारिस्थितिकी को बिगाड़ देते हैं।
- गंगा में प्रदूषण का एक बड़ा कारण जीवनशैली की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। गंगा में केवल वाराणसी में 33 हजार से अधिक शवों के दाह के बाद 700 टन से अधिक राख और अधजले शव या कंकाल बहा दिए जाते हैं।
- अन्य कारणों में रेत खनन भी प्रमुख है
- गंगा पर शुरू में ही टिहरी तथा अन्य स्थानों पर बांध और बैरेज बना दिए गए। इससे गंगा के जलप्रवाह में भारी कमी आई है। गंगा के प्रदूषण का यह भी बहुत बड़ा कारण है। बांधों और बैरेजों के कारण नदी की स्वाभाविक उड़ाही (डी-स्लिटिंग) की प्रक्रिया रुकती है।

**सरकार द्वारा अन्य प्रयास**

- गंगा को राष्ट्रीय नदी
- गंगा डाल्फिन को जलीय राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है

**अन्य क्या प्रयास सार्थक होंगे**

- शवों को रोकने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा तट के नगरों में 100 विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना है, परंतु हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताएं इसमें बाधक हैं। इसके लिए हिन्दू मानसिकता को बदलना होगा।
- गंगा को निर्मल रखने के लिए देश की कृषि, उद्योग, शहरी विकास तथा पर्यावरण संबंधी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी।
- नदियों को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए इन रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों पर दी जाने वाली भारी सबसिडी को बंद करके पूरी राशि जैविक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले किसानों को देनी पड़ेगी। और अंतत: रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर पूर्ण रोक लगानी पड़ेगी।

## Science and Technology

1. टैल्गो ट्रेन: प्रमुख तथ्य

★टैल्गो कंपनी की ट्रेन भारत में सर्वाधिक तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन बन गई है। भारतीय रेल इसका ट्रायल रन कर रही है और अब तक सफलता के चलते माना जा रहा है कि इसे जल्द ही भारतीय रेल अपने बेड़े में शामिल करे।

1. स्पेन की टैल्गो कंपनी ने भारत की वर्तमान पटरियों पर अपनी हल्की और तेज चलने वाली ट्रेनों को दौड़ाने के लिए प्रयास स्वरूप इजाजत दी है। इस काम के लिए कंपनी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।

2. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि टैल्गो ट्रेनें को बिना किसी बदलाव के भारतीय पटरियों पर 160-200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है।

3. रेल अधिकारियों का दावा है कि टैल्गो ट्रेन को भारतीय पटरियों पर दौड़ाने के लिए भारतीय पटरियों में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि टैल्गो को भारत में पहुंचाने में जो भी खर्चा आएगा, यहां तक कि कस्टम के चार्ज भी कंपनी ही चुकाएगी।

4. कहा जाता है कि यह ट्रैन हल्की होने की वजह से कम बिजली की खपत करती है और इससे रेलवे को बिजली के बिलों में काफी राहत मिल सकती है।

---

**2. जूनो बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश: सुलझाएगा सबसे बड़े ग्रह के जन्म का रहस्य**

★पांच साल पहले फ्लोरिडा के केप केनवेराल से प्रक्षेपित नासा के मानवरहित अंतरिक्षयान जूनो ने पहुंचने से पहले 2.7 अरब किलोमीटर का सफर तय किया है।

★नासा का सौर-ऊर्जा से संचालित अंतरिक्षयान जूनो पृथ्वी से प्रक्षेपण के पांच साल बाद (5 जुलाई) को बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर गया।

★इस उपलब्धि को ग्रहों के राजा और हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

★ इस अभियान की लागत 1.1 अरब डॉलर है। जूनो अपने साथ नौ वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया है।

1.जूनो बृहस्पति की ठोस सतह के अस्तित्व का अध्ययन करेगा,

2. ग्रह के बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा,

3.गहरे वातावरण में मौजूद जल और अमोनिया की मात्रा नापेगा और इसकी सुबहों का विश्लेषण करेगा।

★नासा ने कहा कि यह अभियान बड़े ग्रहों के निर्माण और सौरमंडल के बाकी ग्रहों को एकसाथ रखने में इनकी भूमिका को समझने में एक बड़ा कदम उठाने में हमारी मदद करेगा। बृहस्पति बड़े ग्रह के रूप में हमारे सामने एक प्रमुख उदाहरण है। वह अन्य नक्षत्रों के आसपास खोजे जा रहे अन्य ग्रह तंत्रों को समझने के लिए भी अहम जानकारी उपलब्ध करवा सकता है।

★जूनो अंतरिक्षयान को पांच अगस्त 2011 को फ्लोरिडा स्थित केप केनेवरेल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था।

1. जूनो की मदद से, हम बृहस्पति के व्यापक विकीरण वाले क्षेत्रों से जुड़े रहस्यों को सुलझाएंगे

2. इससे ग्रह की आंतरिक संरचना को तो समझने में मदद मिलेगी

3. बृहस्पति की उत्पत्ति और हमारे पूरे सौरमंडल के विकास को भी समझने में मदद मिलेगी।

---

**3. एयरफोर्स को मिले देश में बने 2 तेजस फाइटर, 33 साल पहले शुरू हुआ था प्रोजेक्ट ( LAC तेजस के बारे में सब कुछ)**

- देश में बने पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LAC) तेजस को एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। फाइटर को IAF में शामिल करने के लिए बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई।

फिलहाल 2 तेजस फाइटर एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए हैं। 1983 में एलसीए (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। 1986 में सरकार ने देश में फाइटर प्रोजेक्ट के लिए 575 करोड़ सेंक्शन किए थे।

- तेजस की पहली स्क्वाड्रन को 2 साल तक बेंगलुरु में ही रखा जाएगा। इसके बाद इसे तमिलनाडु के सलूर में शिफ्ट किया जाएगा। फाइटर की पहली स्क्वाड्रन का नाम 'फ्लाइंग डैगर्स 45' रखा गया है। इसी फाइनेंशियल इयर में 6 और तेजस एयरफोफोर्स में शामिल करने का प्लान है।
- एयरफोर्स में एंट्री के साथ ही तेजस यह फ्रंटलाइन जेट्स जैसे- सुखोई 30-MKI, जगुआर, मिराज-2000 की रैंक में शामिल हो गया।

**=>"33 साल पहले शुरू हुआ था प्रोजेक्ट"**

- मेड इन इंडिया फाइटर लाने की प्रॉसेस 33 साल पहले शुरू हो गई थी।
- अगस्त 1983 में एलसीए (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।
- एलसीए प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए 1984 में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एलडीए) बनाई गई थी।
- 1986 में तब की कांग्रेस सरकार ने भारत में फाइटर प्लेन बनाने के लिए 575 करोड़ रुपए सेंक्शन किए थे।
- 4 जनवरी, 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी।
- 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने फाइटर को 'तेजस' नाम दिया। यह संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ पॉवरफुल एनर्जी होता है।
- जनवरी 2011 में इसे पहली बार मल्टी रोल और फाइटर परपज में लाने की बात हुई।
- दिसंबर 2013 में सिंगल इंजन वाले तेजस को शुरुआती ऑपरेशनल क्लीयरेंस मिली।

**=>क्यों पड़ी जरूरत?**

- एयरफोर्स के पास महज 33 स्क्वॉड्रन बची हैं। एक स्क्वॉड्रन में 16-18 फाइटर प्लेन्स होते हैं।
- इन 33 में से 11 स्क्वॉड्रन्स में MiG-21 और MiG-27 फाइटर हैं।
- इनमें से भी सिर्फ 60 फीसदी ही ऑपरेशन के लिए तैयार हैं।
- मिग-21 और मिग-27 की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इनमें हादसे होते रहे हैं।
- एक्सपर्ट्स की मानें तो चीन-पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को 45 स्क्वॉड्रन चाहिए।

**=>क्या है खास?**

- तेजस एयर-टू-एयर और एयर-टू-सरफेस मिसाइल दागने में कैपेबल है।
- साथ ही इससे एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट को भी दागा जा सकता है।
- तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमीनियम अलॉय और टाइटेनियम से मिलकर बनाया गया है।
- तेजस फाइटर सिंगल सीटर और इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर है।
- अब तक यह कुल 3184 बार उड़ान भर चुका है।
- तेजस 50 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
- इसकी टेक्नीक वीडियो गेम की तरह है। लिहाजा इसे उड़ाना आसान है।
- तेजस सिर्फ 460 मीटर तक रनवे पर दौड़कर उड़ जाता है।

**=>किससे है टक्कर?**

- 2016 की शुरुआत में तेजस ने बहरीन के इंटरनेशनल एयर शो में पार्टिसिपेट किया था।
- शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर ने भी भाग लिया था। JF-17 को पाकिस्तान ने चीन की मदद से तैयार किया है।
- माना जा रहा है कि तेजस का मेन मुकाबला JF-17 थंडर से ही होगा।
- स्पीड, रेंज और ज्यादा वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी के चलते तेजस को बेहतर बताया जा रहा है।

**सबसे हल्का सुपरसोनिक?**

- तेजस को अपनी तरह का सबसे हल्का सुपरसोनिक (साउंड की स्पीड से तेज उड़ने वाला) माना जा रहा है।
- फाइनल ऑपरेशन क्लीयरेंस (FOC) वर्जन में इसकी मैक्सिमम स्पीड 2205 किमी/घंटे और इनीशियल ऑपरेशन क्लीयरेंस (IOC) में स्पीड 2000 किमी/ घंटे होगी।

**=>2018 में मिलेगा मार्क-1ए स्टैंडर्ड**

- तेजस में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) राडार और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा इसमें मिड-एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है।
- IAF को तेजस का मार्क-1ए वर्जन चाहिए। 2018 तक इसे मार्क-1ए स्टैंडर्ड मिल जाएगा।

Gshindi.com

- प्रोजेक्ट से करीब से जुड़े एक अफसर के मुताबिक, 'सिंगल इंजन तेजस अभी फाइट के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसकी फ्लाइट शुरू करने और IAF के बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

- दुनिया में आर्म्स सेलिंग के बड़े नाम मसलन रेथियॉन, इजरायल की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, थेल्स, SAAB और कई अन्य कंपनियों ने तेजस को बनाने में मदद की है।

---

**4. इसरो की कामयाबी**

**हाल ही की खबरों में**

- इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट लांच वीकल की सहायता से सत्रह विदेशी उपग्रहों सहित कुल बीस उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित कर बड़ी कामयाबी हासिल की है।
- इस बार बीस उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करके इसरो ने नया रिकार्ड बनाया।
- इन उपग्रहों में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंडोनेशिया के अलावा भारतीय विश्वविद्यालयों के दो उपग्रह भी शामिल हैं।
- इसरो ने इससे पहले 2008 में दस उपग्रहों को पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में एक साथ प्रक्षेपित किया था।

**इसरो की कामयाबिया :**

- भारत की पहली बड़ी सफलता थी 1975 में उपग्रह आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में भेजा जाना
- फिर उसके बाद 1984 में स्क्वॉड्रन लीडर राकेश शर्मा बने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय।
- मंगलयान और चंद्रयानबड़ी की एक- सफलता
- इनसेट प्रणाली की क्षमता को जीसैट द्वारा मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा ही नहीं बल्कि ग्राम संसाधन केंद्र को उन्नत बनाया जा सके।
- कोर्टोसैट-2 शृंखला के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण से अंतरिक्ष को जगह भी किसी में भारत इससे :देखने की क्षमता भी हासिल होगी। इस उपग्रह के जरिए भारत यह सहीहैं। जंगल कितने और के तरह किस पर यहां कि पाएगा जान सही-
- कोर्टोसैट से भूकम्प, तूफान और दूसरी आपदा में इससे मदद मिलेगी। जंगल में लगी आग को बुझाना आसान होगा। सुरक्षा एजेंसियों को भी सीमा पर नजर रखने में मदद मिलेगी। घुसपैठ पर होगी पैनी नजर। वीवीआइपी सुरक्षा और पुख्ता हो सकेगी, आतंकियों और अपराधियों पर निगरानी और कड़ी हो सकेगी। शहरी योजना व डिजाइनिंग में मदद मिलेगी। साथ ही अंतरिक्ष से वीडियो कंट्रोल सेंटर भेजना आसान।
- कम बजट में उपग्रह प्रक्षेपण संस कम :ाधनों और कम बजट के बावजूद भारत आज अंतरिक्ष में कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है। भारतीय प्रक्षेपण रॉकेटों की विकास लागत ऐसे ही विदेशी प्रक्षेपण रॉकेटों की विकास लागत के एक तिहाई भर है।
- भारत इस साल सात देशों के पच्चीस उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला है जिनमें सबसे ज्यादा अमेरिका के बारह उपग्रह शामिल हैं। जबकि भारत ने अभी तक पीएसएलवी के जरिये इक्कीस देशों के सत्तावन विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है।
- एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने भारत के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने से मना कर दिया था। आज स्थिति यह है कि अमेरिका सहित तमाम देश भारत के साथ व्यावसायिक समझौते करने को इच्छुक हैं
- भारत ने अपना पहला स्पेस आॅब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट पीएसएलवी सी-30 का सफल प्रक्षेपण किया था। भारत से पहले अमेरिका, रूस और जापान ने ही स्पेस आॅब्जर्वेटरी लांच किया है।

**इसरो को अंतरिक्ष अन्वेषण और शोध में ध्यान की जरुरत**

इसरो व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरह अंतरिक्ष अन्वेषण पर भी ज्यादा ध्यान दे। इसरो को अंतरिक्ष अन्वेषण और शोध के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। क्योंकि जैसे-जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढेÞगी, अंतरिक्ष अन्वेषण बेहद महत्त्वपूर्ण होता जाएगा।

भविष्य में अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा बढेÞगी। भारत के पास कुछ बढ़त पहले से है, इसमें और प्रगति करके इसका बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उपयोग संभव है

---

## 5. 3D Brain Mapping : दिमाग को पढ़ने का नया अंदाज

**=>ब्रेन इमेजिंग तकनीक**

- सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी, एसपीईसीटी आदि ब्रेन इमेजिंग तकनीक हैं, जिनके जरिए सेरेब्रल ब्लड फ्लो, मेटाबॉलिज्म का पता लगाया जाता है, जबकि क्यूईईजी के जरिए ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मापी जाती है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी और फ्लो में गड़बड़ी समस्या की शुरुआत का संकेत देती है।

**अमेरिका के दो बड़े वैज्ञानिक संस्थान ब्रेन मैपिंग की आधुनिक तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं। इसमें से मोंटीरियल के वैज्ञानिकों ने 3डी इंपेक्ट के जरिए सबसे सफलतम तरीका ढूँढ निकाला है।**

- यह तकनीक अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। पार्किंसंस वही बीमारी है जिसके चलते दुनिया के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी बॉक्सर मोहम्मद अली की इसी महीने मौत हो गई। नेशनल पार्किंसंस फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया में करीब 50 लाख मरीज इस बीमारी की गिरफ्त में हैं, वहीं अकेले अमेरिका में ही 10 लाख से ज्यादा लोग पार्किंसंस से ग्रस्त हैं। वहीं अलजामइर के कदम दुनिया के साथ-साथ भारत में भी तेजी से बढ़े हैं। विश्व में जहां 4.7 करोड़ लोग अल्जाइमर से ग्रस्त हैं, वहीं भारत में 50 लाख से भी ज्यादा लोग मानसिक बीमारी का सामना कर रहे हैं, जिसमें से 80 फीसदी लोगों को अल्जाइमर है। डॉक्टरों का कहना है कि 2030 तक यह संख्या दोगुना हो सकती है।

**=>ब्रेन मैपिंग क्या है?**

- यह एक ऐसा टेस्ट है, जिसकी मदद से व्यक्ति के दिमाग की मैपिंग के जरिए उसके व्यवहार का पता लगाया जाता है। आपराधिक मामलों में यह टेस्ट क्रिमिनल से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस दौरान व्यक्ति को क्राइम सीन से जुड़ी बातें पूछी जाती हैं और उसके दिमाग में स्टोर बातों से उसका मिलान किया जाता है।

**=>कैसे होती है?**

- व्यक्ति के सिर में सेंसर फिट करके उसे कम्प्यूटर से जोड़कर मॉनीटर के सामने बैठाते हैं। हर सेंसर में एक कंडक्टिव जेल लगाते हैं। 10 से 30 मिनट के भीतर रिकॉर्डिंग शुरू होती है। व्यक्ति को तस्वीरें दिखाकर, आवाज सुनाकर उसके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में आए परिवर्तन को नोट करते हैं।

**=>मैप रीडिंग**

- क्वॉन्टिटेटिव इलेक्ट्रो इनसेफ्लोग्राम (क्यूईईजी) रिजल्ट में जेड स्कोर होते हैं। यदि मैपिंग में मार्किंग -3 से +3 तक है तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशंस (एसडी) कहते हैं। यह मेमोरी कम होने का संकेत है। यदि रीडिंग -2 से +2 का मतलब है नॉर्म से ज्यादा है यानी एग्रेसिव बिहेवियर। यदि 0 मिला है तो इसका अर्थ है कि एसडी नॉर्मल है।

**=>कैसी है नई तकनीक**

- ब्रेन मैपिंग की 3डी तकनीक के बारे में कहा जा रहा है कि इसके जरिए 10 लाख से ज्यादा दिमागी हलचल को कैद किया जा सकेगा। इस तकनीक को इजाद करने वाली मोंटीरियल साइंटिस्ट टीम के चीफ प्रोफेसर एलियन सी ईवान के मुताबिक अल्जाइमर, पार्किंसन, मिर्गी जैसी कई बीमारियों के इलाज तलाशने में यह प्रोजेक्ट काफी मददगार साबित हो सकता है।

- वहीं इससे दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, यह भी पता चलेगा। क्रहाऊ टू क्रिएट अ माइंड्ज के ऑथर और फ्यूचरिस्ट रे कुर्जवील का मानना है कि मानव मस्तिष्क के बारे में ऐसी ढेरों बाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक आज तक नहीं जान सके हैं। 3डी ब्रेन मैपिंग के जरिए इसे जानने का मौका मिलेगा। वह कहते हैं कि ब्रेन का मैकेनिज्म स्मार्ट कम्प्यूटर से भी जबरदस्त है।

**=>दिमाग का विकास**

- शुरुआत में दिमाग का आकार एक ट्यूब जैसा होता है। गर्भधारण के तीन हफ्ते बाद एम्ब्रायोनिक सेल्स, फ्यूज के साथ मिलकर एक न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। ये टिश्यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। 26वें हफ्ते में दिमाग का वास्तविक आकार रूप में आता है। प्रथम तीन माह के दौरान न्यूरल ट्यूब की ग्रोथ होती है और सेल्स अलग-अलग टिश्यूज में बंटकर शरीर के अन्य हिस्सों का निर्माण करते हैं।

---

**6.क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ? और ये तकनीक कैसे काम करती है?**

=>**"क्लाउड कंप्यूटिंग"**

- **क्लाउड कंप्यूटिंग** एक ऐसी तकनीक है जो हमें इंटरनेट पर आभासी संसाधनों को उपलब्ध कराती है।
- **आभासी संसाधनों से आशय** है ऐसे संसाधन, जिनके लिए आपको अपने सिस्टम पर **हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं** होती है।
- सरल शब्दों में हम "क्लाउड कम्प्यूटिंग' को यूं समझ सकते हैं कि **इस तकनीक में कम्प्यूटिंग, डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर का तक का सारा काम नेटवर्क पर ही** होता है।
- क्लाउड आधारित कम्प्यूटर सिस्टम पर काम करने वाले को **न तो हार्ड ड्राइव की जरूरत रहेगी और न ही मदर बोर्ड के बड़े खर्च की**। यह निजी कम्प्यूटर पर **वायरस से होने वाले नुकसान का जोखिम भी दूर** करता है।

**=>कैसे करता है काम**

- फिजिकल सर्वर पर इनफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर स्टोर के द्वारा क्लाउड कम्प्यूटिंग काम करता है, जो सर्वर प्रोवाइडर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं।

- क्लाउड कम्प्यूटिंग ऐसे समझ सकते हैं- क्लाउड में दो लेयर हैं, एक बैक एन्ड लेयर और दूसरा फ्रंट एन्ड लेयर। फ्रंट एन्ड लेयर वह होता है, जिसे आप देख सकते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं।

- जब वेबमेल जैसे जीमेल एक्सेस करते हैं, तो वह क्लाउड के फ्रंट एन्ड लेयर पर रन हो रहे सॉफ्टवेयर की वजह से संभव होता है। बैक एन्ड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर होता है जो फ्रंट एन्ड को देखने के लिए मदद करते हैं।
- **क्लाउड सर्विसेस के तीन प्रकार**

  **1) इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस (आईएएएस)**

  यह सर्विस ऑन डिमांड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस देती है। इसमें स्टोरेज, नेटवर्क और कम्प्यूटर शामिल है जो आपके वर्कलोड को रन करते हैं। एक बिजनेसमैन यूजर के रूप में आप आईटी सर्विसेस के लिए अनुरोध कर सकते हैं और केवल वही सर्विस का भुगतान करें जिन्हें आप यूज कर रहे हैं।

  **2) प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस (पीएएएस)**

  यह एक क्लाउड बेस एनवायरमेंट है, जिसे आप एप्लीकेशन को डेवलप, टेस्ट, रन और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सर्विस में वेब सर्वर, देव टूल, एक्जीक्यूशन रनटाइम और ऑनलाइन डेटाबेस शामिल हैं। इसमें आप फास्ट काम कर सकते हैं और एप्लीकेशन को जल्दी रिलीज कर सकते हैं।

  **3) सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस- (एसएएएस)**

  छोटे व्यवसायों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे आम रूप है। इसमें रिमोट सर्वर पर होस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है। यह आपके वेब ब्राउजर के माध्यम से एप्लीकेशन रन करता है और आपके बिजनेस के बाहर स्टोर फाइलों को सेव, रिट्रीव या शेयर करता है।

---

**7. भारत ने किया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW) सफल परीक्षण, अब तक किसी भी देश के पास नहीं है यह हथियार**

- देश के रक्षा वैज्ञानिकों ने अब **स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW)** नाम का एक नया बम तैयार किया है।
- हवा से जमीन पर मार करने वाला यह स्मार्ट बम को दुश्मन के मजबूत से भी मजबूत रनवे को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है।
- किसी रनवे पर इसे दागे जाने के बाद वहां से दुश्मन का कोई विमान उड़ान तक नहीं भर पाएगा। इस स्मार्ट बम का हाल ही पोकरण में सुखोई विमान से दाग कर सफल परीक्षण किया गया। **ऐसे काम करता है स्मार्ट बम...**

– सवा सौ किलोग्राम वजनी यह बम सुखोई और जगुआर विमान से दागा जा सकता है।

– इस बम की रेंज अस्सी से नब्बे किलोमीटर है। अपने लक्ष्य पर पहुंच यह पहले उसमें ड्रिल कर छेद करता है।

– इसके बाद यह कई फीट की गहराई में जाकर जोरदार विस्फोट करता है। इसके रनवे का काफी बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है।

– इसके एक विस्फोट के पश्चात रनवे किसी भी तरह के विमान की उड़ान भरने के लायक नहीं रह पाएगा।

– इस तरह के स्मार्ट बम से स्टील से बने मजबूत बंकरों को भी आसानी से उड़ाया जा सकता है।

– यह बम एक गाइडेड मिसाइल की तरह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। एक बार में एक विमान से ऐसे छह बम दागे जा सकते है।

– खासियत की बात यह है कि इस परियोजना को दो वर्ष पूर्व शुरू किया गया और इस पर महज 56 करोड़ की लागत आई।

– कुछ दिन पूर्व कर्नाटक में जगुआर लड़ाकू विमान से दाग इसका परीक्षण किया गया था।

– अब पोकरण में देश के बेहतरीन लड़ाकू विमान सुखोई से इसका परीक्षण किया गया। अगले कुछ दिन में पोकरण में ही इसका अगला परीक्षण और किया जाएगा।

– राफेल और तेजस को भी स्मार्ट बम दागने लायक बनाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्मार्ट बम दुश्मन के राडार में आसानी से पकड़ में भी नहीं आते।

– अमेरिका दो वर्ष से इस तरह के बम बनाने में जुटा हुआ है। वहीं फ्रांस व इजराइल संयुक्त रूप से ऐसा बम तैयार कर रहे है।

---

**8. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रचा इतिहास : इसरो ने एक साथ 20 सैटेलाइट का किया प्रक्षेपण**

एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले इसरो ने 2008 में एक साथ 10 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे. **हालांकि, दुनिया में सिंगल मिशन में अमेरिका का 29 और रूस का 33 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड है.**

- यह **पहली बार है कि भारत ने एक साथ 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है.** इससे पहले ऐसा केवल अमरीका और रूस ही कर पाए हैं.

=>**इस अभियान की 10 ख़ास बातें इस तरह हैं:**

1. जो उपग्रह अतंरिक्ष में भेजे गए हैं उनमें भारत के तीन और 17 विदेशी उपग्रह हैं.
2. पीएसएलवी के जरिए 36वीं बार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है.
3. इससे पहले इसरो ने पीएसएलवी के ज़रिए 2008 में दस उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था.
4. पीएसएलवी जिन 17 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है वो व्यावसायिक हैं, जिनसे इसरो को कमाई होगी.
5. इनमें से 13 उपग्रह अमरीका के हैं. बाकी के उपग्रह कनाडा, इंडोनेशिया और जर्मनी के हैं.
6. एक उपग्रह जानी-मानी कंपनी गूगल का है. यह एक भू-सर्वेक्षण उपग्रह है.
7. अमरीका के इतने उपग्रहों को एक बार में अंतरिक्ष में भेजने से बेहतरीन भारत-अमरीका संबंधों का संकेत मिलता है.
8. पीएसएलवी भारत का अपना बनाया हुआ रॉकेट है. यह 44 मीटर ऊंचा है यानी सात मंज़िला इमारत से भी अधिक ऊंचा.
9. प्रक्षेपण के समय इसका वज़न क़रीब 320 टन होता है.
10. इसरो ने मंगलयान और चंद्रयान को पीएसएलवी के जरिए ही अंतरिक्ष में भेजा था.

=>**दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल**

- अपनी 36th उड़ान के साथ पीएसएलवी दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया।
- 1993 से लेकर अब तक इसने 36 उड़ानों में कई भारतीय और 35 विदेशी सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं।
- इसमें 2008 में चंद्रयान-1 और 2014 में मार्स मिशन में मंगलयान की लॉन्चिंग शामिल है।

=>"**सैटेलाइट इंडस्ट्री में बढ़ रही हिस्सेदारी**

- ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अभी यह इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ रुपए की है।
- इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 41 फीसदी की है। जबकि भारत की हिस्सेदारी 4 फीसदी से भी कम है।
- दुनिया की बाकी सैटेलाइट लॉन्चिंग एजेंसियों के मुकाबले इसरो की लॉन्चिंग 10 गुना सस्ती है।
- विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग इसरो की कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए होती है।
- 1992 से 2014 के बीच एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को 4408 करोड़ रुपए की कमाई हुई।
- इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग से अब तक 660 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है।

---

**9. किलोकोर चिप : एक हजार प्रोसेसर वाला माइक्रोचिप**

- अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक हजार प्रोसेसर वाला दुनिया का पहला माइक्रोचिप बनाने में सफलता हासिल की है। इसे **किलोकोर चिप का नाम** दिया गया है।
- यह एक सेकेंड में तकरीबन 18 खरब (1.78 ट्रिलियन) निर्देशों की गणना करने में सक्षम है। इससे कं**प्यूटर और स्मार्टफोन की क्षमता कई गुना बढ़** जाएगी।
- आमतौर पर एक माइक्रोचिप में अधिकतम 300 प्रोसेसर होते हैं। हालांकि, यह बाजार में खुले तौर पर उपलब्ध नहीं होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ शोध-अनुसंधान में ही किया जाता है।
- किलोकोर चिप में 621 मिलियन (62.10 करोड़) ट्रांजिस्टर लगे हैं।
- **यह अभी तक का सर्वोच्च क्लॉक-रेट वाला चिप है। हर प्रोसेसर छोटे-छोटे प्रोग्राम के साथ स्वतंत्र रूप से काम करता है।**
- इसे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा (एसआईएमडी) से बेहतर तकनीक माना जाता है। प्रत्येक प्रोसेसर के अलग-अलग काम करने के कारण यह जरूरत के मुताबिक ही कार्यशील रहता है। जरूरत नहीं होने की स्थिति में यह काम करना बंद कर देता है, ऐसे में ऊर्जा की काफी बचत होती है।

- यह डाटा को सीधे तौर पर ट्रांसफर करने में भी सक्षम है, जिससे आंकड़ों को प्रोसेस करने में कोई बाधा नहीं आती है।
- एक हजार प्रोसेसर से 115 अरब निर्देशों को एक सेकेंड में प्रोसेस किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में महज 0.7 वाट बिजली ही खर्च होगी।

---

**10. ऑक्सीजन युक्त दूरस्थ आकाशगंगा का पता चला**

- वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन युक्त एक गैलेक्सी (आकाशगंगा) की खोज की है। यह अब तक ज्ञात ऐसी किसी गैलेक्सी की तुलना में सबसे ज्यादा दूर है।
- शोधकर्ता इस गैलेक्सी एसएक्सडीएफ-एनबी1006-2 पर कुछ अन्य भारी तत्वों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरिक्ष के शुरुआती घटकों में भारी तत्वों की तलाश उस दौर में हुई निर्माण प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होगी।
- भारी तत्वों के अध्ययन से इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि गैलेक्सियों का निर्माण कैसे हुआ और कॉस्मिक रीआयनाइजेशन का कारण क्या था।" ब्रह्मांड में विभिन्न घटकों के बनने से पहले निष्क्रिय गैसें थीं।

- हालांकि बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद जब शुरुआती पदार्थों ने चमकना शुरू किया तो उनसे तेज रेडिएशन निकला। संभवतः इन्हीं रेडिएशन ने निष्क्रिय गैसों के अणुओं को आयन गैसों में बदल दिया। इसी काल को कॉस्मिक रीआयनाइजेशन कहा जाता है। इस घटना से ब्रह्मांड की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। ऐसे में दूरस्थ गैलेक्सी पर भारी तत्वों के अध्ययन से इस प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सकती है।

**11. स्टेम सेल्स की मदद से डायबिटीज के इलाज की उम्मीद:**

टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज के मरीजों के लिए स्टेम सेल्स की मदद से इलाज की उम्मीद जगी है।

- **टाइप–I मधुमेह** में अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन नहीं बना पाता जिससे ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं दे पाता। इस टाइप में रोगी को रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य रखने के लिए नियमित रूप से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इसे 'ज्यूविनाइल ऑनसैट . डायबिटीज' के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग प्रायः किशोरावस्था में पाया जाता है। इस रोग में ऑटोइम्यूनिटी के कारण रोगी का वजन कम हो जाता है।
- **टाइप–II मधुमेह** में अग्नाशय इंसुलिन बनाता तो है परंतु इंसुलिन कम मात्रा में बनती है, अपना असर खो देती है या फिर अग्नाशय से ठीक समय पर छूट नहीं पाती जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर अनियंत्रित हो जाता है। इस प्रकार के मधुमेह में जेनेटिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। कई परिवारों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाता है। यह वयस्कों तथा मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में धीरे-धीरे अपनी जड़े जमा लेता है।

**क्या होता था अब तक**

अब तक बढ़े या कम इंसुलिन को नियंत्रित करने के लिए दवाएं दी जाती थी, लेकिन एक नए शोध के बाद लैब में तैयार बीटा सेल्स को कैप्सूल के जरिए पैंक्रियाज तक पहुंचा कर ऑटोइम्यून हुई टी सेल्स को दोबारा विकसित किया जा सकता है।

**क्या है डायबिटीज**

डायबिटीज एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें पैंक्रियाज में बनने वाली बी सेल्स का स्नव या तो अधिक होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज में इंसुलिन को नियंत्रित करना होता है।

**नया शोध:**

नए शोध में इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार बीटा सेल्स को पुन: सजिर्त किया गया है। चूहों पर किए गए शोध में वीएसईएल (वेरी स्मॉल एम्ब्रायोनिक लाइक स्टेम सेल्स) और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को लैब में विकसित कर पैंक्रियाज तक पहुंचाया गया। दो से तीन महीने के स्टेम सेल्स प्रत्यारोपण के बाद चूहों के खून में शर्करा की मात्र में 30 प्रतिशत कमी देखी गई।

## International Relation:

### 1. Brexit के मायने

ब्रिटेन की जनता ने निर्णय दिया है कि वह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बने रहना चाहती है।

क्या था तर्क :

- यूरोपीय संघ की सदस्यता के चलते सभी सदस्य देशों के श्रमिकों को पूरे यूरोप में नौकरी करने की छूट थी। यह छूट यूरोपीय संघ के गरीब देश जैसे हंगरी के भी श्रमिकों को उपलब्ध थी।
- ग्लैंड के लोगों ने पाया कि हंगरी के सस्ते श्रमिक उनके देश में अधिक संख्या में प्रवेश कर रहे थे। इसके कारण उनके वेतन दबाव में थे। इसलिए उन्होंने जनमत संग्रह में यूरोपीय यूनियन से अलग होने का निर्णय दिया है।

कैसे यह globalisation की विफलता है

- ग्लोबलाइजेशन का पहला आयाम पूंजी के स्वतंत्र पलायन का है। हर कंपनी को छूट है कि वह दूसरे देश में निवेश करे। पूंजी के इस स्वतंत्र पलायन से उद्यमियों को पूरे विश्व में लाभ कमाने के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं।
- ग्लोबलाइजेशन का दूसरा आयाम माल के स्वतंत्र प्रवेश का है। सभी देशों द्वारा आरोपित किए जाने वाले आयात कर की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। जैसे चीन में बनी टार्च पर भारत सरकार चाहे तो भी अधिक आयात कर आरोपित नहीं कर सकती है। अपने देश में चीन में बना सस्ता माल जैसे बल्ब, टार्च, फुटबाल आदि प्रवेश कर रहे हैं।
- माल का यह स्वतंत्र पलायन अप्रत्यक्ष रूप से श्रम का ही पलायन होता है। जैसे वियतनाम के श्रमिक ने कम वेतन पर काम करके सस्ती फुटबाल का उत्पादन किया। इस फुटबाल का भारत को निर्यात हुआ। भारत में ऐसी फुटबाल की उत्पादन लागत ज्यादा आती है, क्योंकि वियतनाम की तुलना में भारत में वेतन ऊंचे हैं। फलस्वरूप भारत की फुटबाल निर्माता कंपनी बंद हो गई।
- श्रम के इस पलायन से विश्व के गरीबतम देशों के श्रमिकों को लाभ हुआ है। शेष सभी को नुकसान हुआ है।
- **क्या इससे श्रमिको के वेतन में कमी हो रही है ?** उदाहरण के तोर पर मान लीजिए विश्व में न्यूनतम वेतन वियतनाम में है। वियतनाम की सस्ती फुटबाल पूरे विश्व में बिकने लगीं। वियतनाम में रोजगार उत्पन्न हुए। श्रमिकों को लाभ हुआ। परंतु भारत, केन्या,

ब्राजील आदि तमाम देशों में फुटबाल का उत्पादन बंद हो गया, क्योंकि वहां वेतन अधिक थे। यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरे विश्व के श्रमिकों के वेतन न्यूनतम स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों ने इस कटु सत्य का अनुभव किया।

- वेतन में गिरावट की यह प्रवृति अर्थव्यवस्था के उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होती है, जहां दूसरे देशों से सीधी प्रतिस्पर्धा हो जैसे फुटबाल, कपड़े, स्टील आदि के उत्पादन में। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का दूसरा हिस्सा पेटेंटीकृत उच्च तकनीकों का है, जैसे माइक्रोसाफ्ट द्वारा विंडोज साफ्टवेयर तथा सिस्को सिस्टम द्वारा राउटर के उत्पादन का। इस क्षेत्र में वेतन में गिरावट की प्रवृति पैदा नहीं होती है, क्योंकि दूसरे देशों द्वारा ये माल उत्पादित नहीं किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विकसित देशों द्वारा ऊंचे वेतन दिए जा रहे हैं
- भारत की स्थिति मूलरूप से विश्व के उन शेष देशों जैसी है जो ग्लोबलाइजेशन से आहत हैं, परंतु एक अंतर है। हमारे यहां साफ्टवेयर उद्योग को ग्लोबलाइजेशन से लाभ हुआ है। 10-20 वर्षों में चीन तथा फिलीपींस भी साफ्टवेयर में महारत हासिल कर लेंगे। तब वेतन में गिरावट की मूल दिशा यहां भी प्रकट हो जाएगी। फिलहाल इस क्षेत्र में हमें लाभ हो रहा है। परंतु देश की शेष जनता ग्लोबलाइजेशन से आहत है। चीन के सस्ते माल एवं नेपाल तथा बांग्लादेश से सस्ते श्रमिकों के आयात से भारतीयों को नुकसान हो रहा है

**2. दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा खारिज**

★दक्षिण चीन सागर पर लंबे समय से चल रहे विवाद में चीन को बड़ा झटका लगा है. हेग स्थित अंतराष्ट्रीय पंचाट ने इस इलाके पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है.

★संयुक्त राष्ट्र समर्थित पंचाट ने कहा कि दक्षिण चीन सागर और इसके संसाधनों पर चीन का ऐतिहासिक नियंत्रण साबित करने वाले कोई सबूत नहीं हैं.

★खनिज संसाधनों से समृद्ध दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे इलाके को चीन अपना बताता है जबकि फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान भी इसके कई हिस्सों पर दावा करते हैं. फिलीपींस ही इस मामले को पंचाट में ले गया था जिसने चीन के दावे को फिलीपींस की संप्रभुता का उल्लंघन बताया.

★ पंचाट का फैसला बाध्यकारी है. हालांकि, उसके पास इसे लागू करा पाने की शक्ति नहीं है फिर भी इससे दक्षिण एशिया में इस मुद्दे को लेकर चल रहा टकराव तेज हो सकता है.

★चीन ने इस फैसले को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है. चीन के सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सैन्य टकराव के लिए तैयार रहने को कहा है.

★ अमेरिका इस विवाद में उन देशों का समर्थन कर रहा है जो चीन के दावे को चुनौती दे रहे हैं. फैसला आने के बाद अमेरिका ने एक एयरक्रॉफ्ट कैरियर और फाइटर जेट इस क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया है.

★ पिछले काफी दिनों से चीन की ओर से दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाने के चलते विवाद बना हुआ था. कई बार इसके चलते अमेरिका और चीन के बीच तू तू मैं मैं भी हुई.

**3.इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के दक्षिण चीन सागर पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार की बात खारिज करने पर दुनिया दो भागों के बंटी**

★ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार की बात खारिज कर दी है, जिससे वहां युद्ध को हालात हो गए हैं। भविष्य के इस युद्ध की संभावना की शुरुआत तो चीन ने फैसला न मानने के साथ ही कर दी थी औऱ उसके साथ ही ताइवान ने अपने युद्धपोत को साउथ चाइना सी में रवाना कर आग में घी डालने का काम कर दिया है।

**=>अमरीका और अन्य देशों का मत :-**

अमरीका ने भी चीन को फैसला मानने की चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन की फैसला मानने में ही भलाई है और उन्हें भड़काऊ बयान देने से पहले समझना चाहिए। इसके अलावा अमरीका ने चीन को सलाह दी कि वह भारत से सीख ले कि किस तरह उसने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानते हुए बांग्लादेश से अपना विवाद सुलझाया था।

**=>जापान- द. कोरिया का वार**

इस फैसले के बाद जापान और द.कोरिया ने अपना सैन्य अभ्यास शुरु कर इन अटकलों को ओर ज्यादा बल दे दिया है। जापान ने कहा है कि चीन को न्यायालय का फैसला सम्मान के साथ मानना चाहिए।

**=>चीन का पक्ष :-**

★इन सबके बीच चीन ने युद्ध की धमकी देते हुए कहा है कि हम इस निर्णय को नहीं मानते। उन्होंने चेतावनी दी है कि साउथ चाइना सी को युद्ध का मैदान न बनाया जाए।

चीन ने कोर्ट के जजों पर भी तीखा हमला बोला। चीन उम्मीद करता है कि दूसरे देश उस मौके को चीन को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही सभी देश साउथ चाइना सी इलाके में शांति और स्थिरता को बनाए रखने में चीन के साथ काम करेंगे, न कि इस जगह को जंग की वजह

Gshindi.com

बनाएंगे। चीन के अनुसार फैसला एकतरफा था, क्योंकि कोर्ट के चार जज जापानी जज द्वारा अप्वॉइंट किए गए थे। वहीं, पांच जजों में एक अफ्रीकी और चार जज यूरोप से हैं। उन्हें एशिया की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में क्या पता होगा?

**=>ये है विवाद :-**

★गौरतलब है कि साउथ चाइना में दो बड़े द्विपसमूह स्प्रातली और पारासेल को लेकर चीन और अन्य देशों के बीच तनाव है।

★पारासेल द्विपसमूह पर 1974 तक चीन के साथ ही वियतनाम का भी कब्जा था पर इन दोनों के देशों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें वियतनाम के 14 सैनिक मारे गए और चीन ने इस पूरे द्विप पर कब्जा कर लिया। स्प्रीतली द्विप को लेकर चीन, **वियतनाम, मलेशिया,फिलीपींस और ब्रुनेई के बीच विवाद चल रहा है।**

**=>विवाद की वजह**

★साउथ चाइना सी का लगभग 35 लाख स्क्वेयर किलोमीटर का एरिया विवादित है। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं।

★ अमरीका के मुताबिक, इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है।

★इस समुद्री रास्ते से हर साल 7 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस होता है।

★इस वजह से ये देश इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। चीन ने 2013 के आखिर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया।

★अमरीका और चीन एक दूसरे पर इस क्षेत्र को 'मिलिटराइजेशन' (सैन्यीकरण) करने का आरोप लगाते रहे हैं।

---

**4. क्या है 'ब्रेक्ज़िट', और क्यों करवाया जा रहा है ब्रिटेन में जनमत संग्रह : 10 ख़ास बातें...**

ब्रिटेन इन दिनों एक दिलचस्प दौर से गुज़र रहा है, जिसका नाम 'ब्रेक्ज़िट' (Brexit) है, और इसे लेकर ब्रिटेन के लोग दो खेमों में बंट गए हैं...

1. 23 जून को ब्रिटेन की जनता को जनमत संग्रह के ज़रिये यह फैसला करना है कि वे 28 देशों के समूह यूरोपियन यूनियन (ईयू) में बने रहना चाहते हैं या नहीं...
2. 'ब्रेक्ज़िट' शब्द भी दो शब्दों 'ब्रिटेन' और 'एक्ज़िट' से मिलकर बनाया गया है, और इसे लेकर ब्रिटेन में भी दो गुट बन गए हैं, जिनमें से एक का मत 'रीमेन' (Remain या ईयू में बने रहें) है, और दूसरे का मत है 'लीव' (Leave या ईयू को छोड़ दें)...
3. यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ लेने के पक्षधर लोगों की दलील है कि ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए और बचाए रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो गया है... ये लोग ब्रिटेन में भारी संख्या में आने वाले प्रवासियों पर भी सवाल उठा रहे हैं... उनका यह भी कहना है कि यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के करदाताओं के अरबों पाउंड सोख लेता है, और ब्रिटेन पर अपने 'अलोकतांत्रिक' कानून थोपता है...
4. 'रीमेन' खेमे के लोगों की दलील है कि यूरोपियन यूनियन में बने रहना ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इस फायदे के सामने प्रवासियों का मुद्दा बेहद छोटा है... अधिकतर अर्थशास्त्री इस दलील से सहमत हैं...
5. दरअसल, यूरोप ही ब्रिटेन का सबसे अहम बाज़ार है, और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी... इन्हीं बातों ने लंदन को दुनिया का एक बड़ा वित्तीय केंद्र भी बनाया है... ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना उसके इस स्टेटस को खतरे में डाल सकता है...
6. वैसे भी, सिर्फ जनमत संग्रह की बात से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर काफी उल्टा असर पड़ चुका है, और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग इस समय बीते सात साल के अपने सबसे निचले स्तर पर है...
7. जनमत संग्रह को लेकर ब्रिटेन की प्रमुख पार्टियों में भी दरारें पड़ गई हैं... सत्तासीन कंज़रवेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ईयू में बने रहने के पक्ष में हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी से जुड़े लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन ईयू से बाहर निकल जाने के पक्षधर हैं... देश में जारी इसी बहस के दौरान 16 जून को विपक्षी लेबर पार्टी की 41-वर्षीय महिला सांसद जो कॉक्स की उत्तरी इंग्लैंड स्थित उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में गोली मारकर और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। कॉक्स ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने का समर्थन कर रही थीं।
8. यूरोपियन यूनियन 28 देशों का महासंघ है, जिसकी संसद में यूरोप के सभी देश अपने चुने हुए सदस्यों को भेजते हैं... इसकी कार्यपालिका यूरोपियन कमीशन का एक प्रेज़िडेंट होता है, और एक कैबिनेट भी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं...
9. ब्रिटेन वर्ष 1973 से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद वह शेष यूरोप से हमेशा आशंकित ही रहा है... जहां बाकी यूरोपीय देशों ने शेनजेन एग्रीमेंट के बाद अपनी सीमाओं से आना-जाना काफी आसान कर दिया, वहीं ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं हुआ...

Gshindi.com

10. इसके अलावा बाकी यूरोपीय देशों ने एक ही मुद्रा 'यूरो' को अपना लिया, जबकि ब्रिटेन इससे भी बाहर रहा... वह यूरो के लिए अपनी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग को छोड़ने के लिए कभी राज़ी नहीं हुआ...

**.भारत, दक्षिण अफ्रीका: रक्षा और खनन में सहयोग के लिए समझौते**

- पारंपरिक संबंधों को गति देने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने रक्षा उत्पादन, निर्माण व खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है।
- इसके अलावा दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय सहयोग का संकल्प लिया है
- भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक आकर्षक देश के तौर पर उभर रहा है। दोनों देश न केवल अपनी जरूरतों बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मांगों को भी पूरा कर सकते हैं।

## 6. ब्रह्मोस के बाद वियतनाम से टॉरपीडो का सौदा कर चीन को साधेगा भारत

भारत अब वियतनाम को अपने नए पनडुब्बी वरुणास्त्र टॉरपीडो (जहाज तोड़ने का गोला) बेचने पर जल्द कदम उठा सकता है. ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाइल को लेकर दोनों देशों की बातचीत के बाद अब इस सौदे के लिए अहम कदम उठाया जा सकता है. इसे भारत की वियतनाम के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने की एक और कोशिश बताया जा रहा है.

**=>चीन के दबदबे से चिंतित है भारत-वियतनाम**

एशिया-पैसेफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे से भारत और वियतनाम दोनों ही देश चिंतित हैं. इसी को देखते हुए भारत रक्षा संबंधी सौदों के साथ वियतनाम के सैनिकों को किलो-क्लास सबमरीन सैन्य ट्रेनिंग देने संबंधी योजनाओं पर भी अमल का विचार कर रहा है. खास तौर पर चीन की सक्रियता दक्षिण चीन सागर में बहुत अधिक है. भारत वियतनाम के सहयोग से यहां के कुछ ब्लॉक्स में तेल और गैस की खुदाई भी कर रहा है.

**वियतनाम को ब्रह्मोस देने में है भारत की दिलचस्पी**

भारत की दिलचस्पी वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने में भी है. यह मिसाइल रूस के सहयोग के साथ कुछ अन्य देश जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, खाड़ी और लातिन अमेरिकी देशों की मदद से बनाई गई है. लीथल फ्यूल से ऑपरेट करने वाली यह सर्वाधिक मारक क्षमता वाली ऐंटी शिप मिसाइल है. साथ ही यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और 300 किलो वारहेड के साथ 290 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है.

**एमटीसीआर में भारत शामिल, वियतनाम सदस्य नहीं**

हाल ही में भारत को एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम) में शामिल हुआ है. यह समूह खास तौर से 300 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकने वाली मिसाइलों के निर्यात को नियंत्रित करने वाली संस्था है. MTCR में शामिल होने के बाद भी भारत फिलहाल वियतनाम को यह मिसाइल नहीं बेच सकता. क्योंकि वियतनाम अभी तक इस समूह का का सदस्य नहीं है.

रक्षा मंत्री चाहते हैं जल्द हो वियतनाम से सौदा

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जून में वियतनाम के दौरे के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की डील के बारे में विस्तृत चर्चा की थी. उन्होंने डीआरडीओ और नौसेना वैज्ञानिकों को इस टारपीडो के निर्यात के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया है. अत्याधुनिक तारपीडो वरुणास्त्र को नौसेना में शामिल किया जा चुका है.

डीआरडीओ की लैब में विकसित यह टॉरपीडो समुद्र के अंदर 20 किमी. की रफ्तार से हमला कर सकने में सफल है. विश्व में सिर्फ आठ देशों के पास ऐसे टारपीडो बना सकने की क्षमता है.

## 7. SCO में भारत की पूर्ण सदस्यता के 'मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन' पर हुए हस्ताक्षर

भारत ने नाटो की तोड़ के तौर पर देखे जा रहे शक्तिशाली सुरक्षा समूह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की पूर्ण सदस्यता के लिए प्रकिया की शुरुआत करते हुए दायित्व ज्ञापन (एमओओ) पर हस्ताक्षर किए।

- भारत को सदस्यता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आने वाले समय में करीब 30 ऐसे अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। पाकिस्तान को भी एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है।

**- संभावना है कि एससीओ की सदस्यता से आतंकवाद से मुकाबले के अलावा सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा।**

**- भारत दुनिया में सबसे ज्यादा उर्जा की खपत करने वाले देशों में से एक है। उम्मीद है कि एससीओ का सदस्य बन जाने के बाद मध्य एशिया में तेल एवं गैस उत्खनन परियोजनाओं तक भारत की वृहद पहुंच हो सकेगी। एससीओ के कई सदस्य देशों के पास तेल एवं गैस का विशाल भंडार है।**

- भारत को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत पिछले साल जुलाई में उफा में हुए एससीओ सम्मेलन में हुई थी जब भारत, पाकिस्तान और ईरान को सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर दिया गया था।

Gshindi.com

- एससीओ की स्थापना 2001 में रूस, चीन, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किरगिज गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने की थी।
- - भारत, ईरान और पाकिस्तान को 2005 के अस्ताना सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल किया गया था।

**8. NSG में प्रवेश से भारत को क्या फायदा?**

NSG में प्रवेश से भारत को क्या फायदा?

- वर्तमान में न्यूक्लीयर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी), मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेज़ीम (एमटीसीआर), वासेनार अरेंजमेंट (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) प्रमुख टेक्नोलॉजी निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं।
- ये कोई वैश्विक स्तर पर वार्ता के जरिये की गई संधियां या समझौते नहीं हैं।
- ये वास्तव में क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें समान विचारों वाले देशों ने बनाया है।

**NSG में भारत की सदस्यता:**

सिओल में एनएसजी का पूर्ण सम्मेलन भारत को सदस्यता देने के प्रश्न पर फैसला लेने में नाकाम रहा। ऐसा मुख्यत: इसलिए हुआ, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं आम सहमति पर काम करती हैं। एनएसजी के एक सदस्य देश (चीन) को भारत के प्रवेश पर कड़ी आपत्ति है, जबकि कुछ अन्य सैद्धांतिक स्तर पर भारतीय सदस्यता को समर्थन देने के बावजूद प्रवेश देने की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता चाहते हैं।

**क्या है भारत को फायदे**

- तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के लिए इन निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से सहभागी होना महत्वपूर्ण है ताकि इनमें होने वाला कोई भी घटनाक्रम इसके हितों पर विपरीत असर डाल सके। ऐसा 1992 में हो चुका है, जब एनएसजी के सदस्यों ने परमाणु व्यापार के लिए पूर्ण परमाणु निगरानी की शर्तें लागू कर दी थीं।
- अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत के बढ़ते आर्थिक राजनीतिक प्रभाव के साथ उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को आकार देने वाली वैश्विक संस्थाओं में भी सक्रिय होना चाहिए। इस प्रकार ऐसी संस्थाओं की सदस्यता भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिकाओं के अनुरूप है।
- इनकी सदस्यता से भारत अन्य सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों की अनिश्चितताओं से बच सकेगा। जैसे अमेरिकी कानून के मुताबिक यदि एमटीसीआर द्वारा नियंत्रित चीजों का कोई गैर सदस्य देश किसी दूसरे गैर-सदस्य को निर्यात करता है तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध अपने आप लग जाएंगे।

---

=>भारत का NSG में शामिल होना क्यों ज़रूरी है? एनएसजी में शामिल होने से देश क्या फायदे होंगे?

- भारत का NSG में शामिल होना क्यों ज़रूरी है? दरअसल हमारे देश में **उर्जा की ज़रूरतें बढ़ती** जा रही हैं. और उसे पूरा करने के लिए संसाधनों की भारी कमी है. सरकार मानती है कि परमाणु उर्जा के उत्पादन को बढ़ाना बेहतर विकल्प है. इसीलिए भारत का NSG में शामिल होना जरूरी है.
- न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने का रास्ता भारत के लिए उस वक्त खुला जब 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई. सवाल ये है कि भारत के लिए NSG में शामिल होना इतना ज़रूरी क्यों है? दरअसल एनएसजी में शामिल होने से देश को पांच बड़े फायदे होंगे.

**=>पहला फायदा : परमाणु तकनीक आसानी से मिलेगी**

- भारत एनएसजी में शामिल हुआ तो उसे दवाई से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने तक की तकनीक बेहद आसानी से उपलब्ध होगी.
- भारत के पास अपनी स्वदेशी तकनीक भी है. लेकिन एनएसजी के सदस्य के तौर पर दूसरे देशों के पास मौजूद अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी.
- भारत का लक्ष्य है कि वो उर्जा की अपनी 40 फीसदी जरूरत रीन्यूवेबल और क्लीन एनर्जी से पूरा करेगा. और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब परमाणु उर्जा के उत्पादन को बढ़ाया जाए.

**=>दूसरा फायदा: यूरेनियम आसानी से मिलेगा**

- एनएसजी का सदस्य बनते ही परमाणु उर्जा उत्पादन भारत के लिए आसान हो जाएगा.. क्योंकि रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम उसे सदस्य देशों से आसानी से मिल जाएगा.

**=>तीसरा फायदा : मेक इन इंडिया को बढ़ावा**

- यही नहीं भारत इसके ज़रिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दे सकता है.
- सदस्यता मिलने के बाद भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के उपकरणों का उत्पादन बड़े पैमाने पर अपने यहां कर सकेगा. जिसका इस्तेमाल **आर्थिक और रणनीतिक फायदे** के लिए किया जा सकता है.

**=>चौथा फायदा : मेड इन इंडिया पावर प्लांट**

- भारत के पास वो काबिलियत आ जाएगी कि वो दुनिया के दूसरे देशों को अपने पावर प्लांट बेच सके.
- इसका मतलब ये हुआ कि पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री और इससे संबंधित तकनीक के विकास के बाज़ार में भारत की अपनी मज़बूत जगह बन जाएगी.

**=>पांचवा फायदा : उर्जा जरूरतें पूरी होंगी**

- एक ओर चीन जहां भारत को एनएसजी में शामिल होने से रोकना चाहता है.
- वहीं दूसरी ओर वो 2020 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना करना चाहता है. चीन की तरह ही भारत को भी उर्जा की बड़ी जरूरत है.

- भारत के पास फिलहाल **21 परमाणु संयत्र हैं. जिनसे 5800 मेगावाट बिजली का उत्पादन** किया जा रहा है.

Gshindi.com

- 6 नए रिएक्टर्स अभी बनाए जा रहे हैं. अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को देखते हुए भारत ने **2032 तक 63 हज़ार मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य** बनाया है.

**9. अमेरिका को भारत की जरुरत क्यों ?**

**1.एशिया महाद्वीप में पैर जमाना**

विशेषज्ञों के अनुसार इस सदी में होने वाली समृद्धि अधिकांशतः एशिया-प्रशांत क्षेत्र से आएगी। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति का इस इलाके में नए गठबंधन बनाना तर्कसंगत है। एशिया में चीन के अलावा, भारत ही सिर्फ प्रमुख देश है। भारत के साथ भागीदारी करना अमेरिका के लिए एकमात्र विकल्प रह जाता है।

**2. चीन की चुनौती**

वर्तमान वैश्विक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो आने वाले समय में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। चीन के तथाकथित "शांतिपूर्ण विकास' रणनीति का मुकाबला करने के लिए, भारत अमेरिका के लिए सबसे अच्छा सहयोगी हो सकता है क्योंकि यह 3500 किमी लंबी भू-सीमा साझा करता है।

3. **भारत का आकर्षक हथियार बाजार**

फरवरी 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 2015 के बीच पांच वर्षों की अवधि में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। यह प्रवृत्ति दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के लिए मौजूदा बाजारों (जैसे यूरोप) और प्रतिस्पर्धा (चीन से) में पूर्णता आने के संदर्भ में बड़ा अवसर प्रदान करता है।

**4.भारत का ट्रैक रिकॉर्ड**

इलाके में बेहतर रक्षा सहयोगी बनने के लिए भारत अधिक योग्य है क्योंकि यहां सैन्य-नागरिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और लोकतंत्र क्रियाशील है। इस दृष्टि से अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के तौर पर मान्यता प्रदान की, इससे भारत को अमेरिका से अधिक उन्नत और संवेदनशील तकनीक खरीदने की अनुमति होगी।

5. **ट्रांस-पेसिफिक क्षेत्र में भारत निर्णायक भूमिका में**

- भारत को अब यह मानकर चलना चाहिए कि भारत इस समय ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां पर यह एशिया विशेषकर ट्रांस-पेसिफिक क्षेत्र में, अधिक सक्रिय एवं निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

- स्वाभाविक है कि ऐसे में भारत को किसी एक देश की बजाय कई देशों के साथ साझेदारी करनी होगी, यानी अमेरिका के साथ-साथ रूस (जिसके साथ भारत दशकों तक अत्यंत करीबी सैन्य संबंध रख चुका है), जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के साथ।

- विशाखापत्तनम से भारत इसकी शुरुआत करता हुआ भी दिखा, जहां भारतीय नौसेना आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 54 देश शामिल हुए थे।

**11. ब्रेग्जिट: अति-राष्ट्रवाद के उभार के पीछे है यूरोप में बढ़ती असमानता, वैश्वीकरण को धक्का (The Hindu Analysis)**

- अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप का उदय और ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला क्या संकेत देते हैं? साधारण शब्दों में कहें तो इसका सीधा सा मतलब समूचे विश्व में अति.है सकता बन कारण का उदय के राष्ट्रवाद-
- अधिकतर उदारवादी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ब्रिटेन की आवाम ने यूरोपीय संघ के भाग के रूप में एक संयुक्त अर्थव्यवस्था की व्यवस्था से बाहर निकलने का फैसला करके एक बहुत बड़ी गलती की है.\
- आने वाले महीनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति बनने में सफल रहते हैं तो कुछ ऐसे ही शब्द अमरीकियों की पसंद को लेकर भी कहे जा सकते हैं.

- यूरोपीय संघ को छोड़ने के फैसले को करीब 52 प्रतिशत मत मिले जबकि 48 प्रतिशत लोग ईयू के साथ बने रहने के हिमायती थे. यह अनुपात स्पष्ट करता है कि ब्रिटेन के निवासी इस बात को लेकर सशंकित थे कि उन्हें सीमा के किस ओर रहना है.

**- 1990 में विश्व व्यापार संगठन (डब्लूएचओ) की स्थापना और तमाम यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ के तत्वाधान में इकट्ठे आने के फैसले के साथ वैश्विक पूंजीवाद के सपने ने उड़ान भरी. दो दशक बाद वैश्वीकरण ने सीमा विहीन एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं का वायदा किया.**

- **यूरोपीय संघ में इसका मतलब था कि श्रमिक अब बिना वीजा के झंझट के आसानी से आवाजाही**कर सकते थे ओर बाकी दुनिया के लिये इसका मतलब ऐसा ही वीजा के माध्यम से आसानी से करना था.
- आखिरकार सीमामुक्त विश्व के सपने का सीधा सा मतलब था सभी देशों की आमदनी में अच्छा खासा मुनाफा जो आगे जाकर श्रमिकों की आय में वृद्धि का रूप ले रही थी.

*=>बेरोजगारी का सामना*

- *वृद्धि की एक निश्चित अवधि को छोड़कर यूरोप की जनता को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा.*
- उदाहरण के लिये 2000 के प्रारंभ में ईयू-28 में कुल मिलाकर 20 मिलियन सं अधिक बेरोजगार थे जो वहां की कुल श्रमिक शक्ति के 9.2 प्रतिशत थे.
- 2001 की दूसरी तिमाही में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या गिरकर 19.6 मिलियन और बेरोजगारी दर गिरकर 8.7 प्रतिशत तक पहुंच गई.
- 2004 के अंत तक काम और नौकरी तलाशने वालों की संख्या 21.1 मिलियन तक पहुंच गई और इसी दौरान बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत की दर को छूने के करीब पहुंच गई थी.
- यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ के कर्मचारियों के लिये सबसे बेहतरीन समय 2005 से 2008 के मध्य का था .उस दौरान ईयू-28 की बेरोजगारी गिरकर 16.1 मिलियन लोगों तक पहुंच गई थी जो कुल कामकाजी आबादी का 6.8 प्रतिशत थी.
- लेकिन 2008 के बाद से बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है करीब .10 प्रतिशत के निशान के करीब. अप्रैल 2016 में यूरोपीय क्षेत्र द्वारा सीजनलीबेरोजगारी समायोजित- की दर 10.2 प्रतिशत थी.
- हालांकि यूरोपीय संघ **28 देशों का एक समूह है लेकिन इसमें मुख्यतः जर्मनी और फ्रांस का ही बोलबाला** देखा जाता था.

*=>आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार -:*

- विकसित देशो में बड़े पैमाने पर फैली इस बेरोजगारी ने इन देशों को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुर्नविचार करने को मजबूर किया है.
- डब्लूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार 2008 के बाद से जी-20 अर्थव्यवस्थाओं ने 1583 नये व्यापार सुधारों को अपनाया है और मात्र 387 को हटाया है.
- 2015 के मध्य अक्टूबर और 2016 के मध्य मई के बीच मे ं इन देशों ने 145 नए संरक्षवादी उपायों को पेश किया है.
- ''दुनिया बहुत तेजी से यह समझ रही है कि वैश्वीकृत विश्व के जरिये सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों का ही लाभ हुआ है और उनकी बीच भी सिर्फ चुनिंदा ही लोगों का.''
- दुनिया में तेजी से इस बात को लेकर विश्वास बढ़ रहा है कि तेजी से बढ़ रही इस वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी लाभार्थी अगर कोई है तो वह है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अमीर परिवार और कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक.

**- अमरीकी थिंक टैंक इकनामी पालिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट** के अनुसार, ''वर्ष 2000 से 2007 के बीच अमरीका में 16 प्रतिशत की उत्पादकता वृद्धि के बावजूद एक आम कर्मचारी को सिर्फ 2.6 प्रतिशत की वेतन वृद्धि देखने को मिली. इसमें भी 20 प्रतिशत कर्मचारियों को मात्र 1 प्रतिशत की वेतन वृद्धि मिली जबकि 80 प्रतिशत कामगार 4.6 प्रतिशत की वेतन वृद्धि पाने में सफल रहे.''

- एक तरफ जहा दुनियाभर में तकनीक और प्रौद्योगिकी की मदद से लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा किये जा रहे हैं वहीं यूरोप और अमरीका में विशेषकर बुजुर्ग और अल्प-शिक्षित लोगों के बीच शिकायत बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उन्हें अपने काम की प्रवृत्ति में निरंतर हो रहे परिवर्तन का सामना करने के लिये खासा संघर्ष करना पड़ रहा है.

यह बहुत **अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि आखिरका**र क्यों ब्रेग्जिट के बुजुर्गों ने एक बड़ी संख्या में ''साथ छोड़ें'' के विकल्प को चुना जबकि युवा वोटरों ने ''साथ रहने'' के विकल्प का चुनाव किया.

---

**12. भारत बना एमटीसीआर का 35वां सदस्य, उच्च मिसाइल तकनीक तक पहुंच**

- भारत आज मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) का पूर्ण सदस्य बन गया है. इस अहम ग्रुप का **भारत पैंतीसवां सदस्य** देश है.
- तीन दिन पहले चीन और कुछ अन्य देशों के कड़े विरोध के कारण भारत एनएसजी (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) की सदस्यता हासिल करने से वंचित रह गया था.

- एमटीसीआर में भारत की सदस्यता **किसी भी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत का पहला प्रवेश** है.

- विदेश सचिव एस जयशंकर ने फ्रांस, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग के राजदूतों की मौजूदगी में एमटीसीआर में शामिल होने के दस्तावेज पर दस्तखत किया.

**=>समूह का 35वां सदस्य भारत :-**

- चीन ने हाल ही में सियोल में संपन्न 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की पूर्ण सत्र की बैठक में भारत के प्रवेश की राह में रोड़ा अटकाया. हालांकि चीन 34 सदस्यीय एमटीसीआर का सदस्य नहीं है.

- चूंकि, भारत का असैन्य परमाणु करार अमेरिका के साथ है. इसलिए वह **एनएसजी, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया समूह और वेसेनार अरेंजमेंट जैसे निर्यात नियंत्रण व्यवस्था** में शामिल होने का प्रयास कर रहा है.
- **ये समूह पारंपरिक, परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के साथ ही प्रौद्योगिकी का नियमन करते हैं.**

=>**"उच्च मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद में सक्षम"**

- पिछले साल इटली ने एमटीसीआर में भारत की सदस्यता का विरोध किया था. वह मरीन विवाद को लेकर भारत से नाखुश था. हालांकि, केरल तट के पास दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीनों को अपने मुल्क वापस लौटने की इजाजत मिलने के बाद इटली ने अपने विरोध के स्वर को नरम कर लिया.
- एमटीसीआर में प्रवेश के भारत के प्रयासों को तब प्रोत्साहन मिला, जब उसने इस महीने की शुरुआत में हेग आचार संहिता का हिस्सा बनने पर सहमति जताई. हेग आचार संहिता बैलिस्टिक मिसाइल की अप्रसार व्यवस्था से संबंधित है.
- एमटीसीआर की सदस्यता हासिल करने के साथ ही **भारत उच्चस्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद करने में सक्षम होगा और रूस के साथ इसके संयुक्त उपक्रम (Brahmos)को भी बढ़ावा मिलेगा.**

**=>"क्या है MTCR?**

1. MTCR यानि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम
2. MTCR 34 देशों का समूह
3. दुनियाभर में मिसाइल के प्रसार को रोकना
4. मानवरहित हथियार पर भी रोक लगाने का काम
5. मिसाइल क्षमता 300 किलोमीटर के दायरे में रहे
6. चीन और पाकिस्तान नहीं हैं सदस्य

**=>"MTCR से भारत को फ़ायदा" :-**

1. भारत मानवरहित ड्रोन ख़रीद पाएगा
2. अमेरिका से ख़रीद सकता है प्रिडेटर ड्रोन
3. ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बेच सकेगा
4. NSG में भारत के दावे को मज़बूती

---

**13. जानिए यूरोपीय यूनियन के बारे में सब कुछ और जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य"**

**1- क्या है यूरोपीय यूनियन**

यूरोपियन यूनियन यूरोप के 28 देशों का एक राजनैतिक एवं एवं आर्थिक मंच है जहां पर ये सदस्य देश अपने प्रशासकीय कार्य करते हैं, यूरोपीय यूनियन के नियम सभी सदस्य देशों पर लागू होता है।

**2- 1957 से हुई इसकी शुरुआत**

1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से छह यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की और इसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहा और 2007 में लिस्बन समझौते के तहत सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरु हुई। आज यूरोपीय यूनियन में 6 से बढ़कर सदस्य देशों की संख्या 28 हो चुकी है।

**3- सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार**

यूरोपिय यूनियन के सदस्य राष्ट्र एकल बाजार के रूप में व्यापार करते हैं इसके कानून सभी सदस्य देशों पर लागू होता है, यूरोपीय यूनियन के नागरिकों को व्यापार के लिए चार सुविधाएं निश्चित तौर पर मिलती हैं।

**4- एकल मुद्रा प्रणाली**

1999 में यूरोपिय संघ के 15 सदस्य देशों ने एक नई मुद्रा यूरो को अपनाया। इसके साथ यूरोपीय यूनियन ने अपनी विदेश, सुरक्षा, न्याय नीति की भी घोषणा की। यूरोपीय यूनियन के किसी देश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की बाध्यता को खत्म कर दिया गया।

**5- यूरोपीय यूनियन है कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य**

यूरोपीय यूनियन संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय यूनियन के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन के के महत्वपूर्ण संस्थानों में यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायलय एवं यूरोपियन सेंट्रल बैंक इत्यादि शामिल हैं।

**6- 2012 में मिला शांति का नोबेल पुरस्कार**

यूरोपीय यूनियन को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

**7- 28 देशों का संगठन है यूरोपीय यूनियन**

यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों में आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातीविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, एवं युनाइटेड किंगडम और कोएशिया हैं, जबकि तीन देश इसका सदस्य बनने की प्रकिया में हैं और आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहें हैं।

**8- सभी यूरोपीय देश नहीं हैं इसके सदस्य**

यूरोपीय यूनियन में कुछ यूरोपीय देश जैसे स्वीटजरलैंड, नार्वे, एवं सोवियत रूस इसका हिस्सा नहीं हैं। कुछ सदस्य राष्ट्रों के भूमि क्षेत्र भी यूरोप का हिस्सा होते हुए भी संघ के भौगोलिक नक्शे में शामिल नहीं है, उदहारण के तौर पर चैनल एवं फरोर द्वीप का हिस्सा।

**9- काउंसिल आफ यूरोपीय यूनियन है प्रमुख कार्यकारी संगठन**

यूरोपीय यूनियन अपने कई प्रशासनिक एवं अन्य इकाइयों द्वारा संचालित होता है, जिनमें मुख्य रूप से काउंसिल आफ यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय कमीशन, एवं यूरोपीय पार्लियामेंट मुख्य हैं। यूरोपीय आयोग संघ के प्रमुख कार्यकारी अंग के तौर पर काम करता है और इसके प्रतिदिन के कामों की जिम्मेवारी इसी पर होती है।

**10- ब्रिटेन ने क्यों चुनी बाहर निकलने की राह**

- ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन के कानून का पालन करना पड़ता था जिसमें ब्रिटेन को दिक्कत का सामना करना पड़ता था।
- ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहने के कारण प्रतिवर्ष कर्ज में डूबता जा रहा था।
- ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और ब्रिटेन के लोगों की नौकरियों पर प्रवासियों ने कब्जा जमा रखा है है जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था।

---

**14. ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद**

- ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना, इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाएगी। अभी तक 'एकीकृत यूरोप' की बात कही जाती रही थी। अब वह खत्म हो गई है। अब एक अलग 'ब्रिटिश विजन' सामने आएगा।
- स्कॉटलैंड भी अपनी अलग सोच लेकर चलेगा, क्योंकि वहां से आए नतीजे यूरोपीय संघ के पक्ष में थे। इसी तरह, अन्य यूरोपीय देश भी अपना-अपना नजरिया लेकर आगे बढ़ेंगे। जाहिर है कि यूरोपीय संघ को एक 'विफल मॉडल' की तरह अब पेश किया जा सकता है। बहरहाल, ब्रिटिश जनता की जो राय आई है, वह कमोबेश तय ही थी। यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने को लेकर ब्रिटेन शुरू में भी काफी उलझन में था। उस दौर में मेरी नियुक्ति ब्रसेल्स में ही थी।
- तब ब्रिटेन का यह मानना था कि चूंकि उसकी व्यापक वैश्विक भूमिका है, लिहाजा उसे यूरोपीय संघ में भी खास रुतबा दिया जाए और ब्रिटिश पाउंड को भी भरपूर तवज्जो मिले। हालांकि तब वहां एक राय यह भी बन रही थी कि चूंकि यूरोप कहीं ज्यादा समृद्ध बन गया है, लिहाजा ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। काफी माथापच्ची के बाद 1973 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बना।
- हालांकि बाद के वर्षों में यह भावना ब्रिटेन में उभरी कि ब्रिटेन का जितना फायदा यूरोपीय देशों ने उठाया, उतना ब्रिटेन यूरोपीय संघ का नहीं उठा सका, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज धुंधला हो गया है। इसके अलावा, यह सोच भी शिद्दत से उभरी कि ईयू के अपेक्षाकृत कमजोर देशों के लिए ब्रिटेन को ज्यादा रकम अदा करनी पड़ रही है। जबकि सच यह है कि पिछले वर्ष करीब 8.5 अरब पाउंड यूरोपीय संघ को दिए गए, जो उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा हिस्सा माना जाएगा।
- पाउंड के घटते रुतबे भी सवालों के घेरे में थे, और माना जा रहा था कि उसकी भूमिका लगातार कम हो रही है। रही-सही कसर प्रवासियों के मुद्दे और रोजगार के संकट ने पूरी कर दी। आर्थिक ताकत के तौर पर एशियाई देशों के उभरने से भी ब्रिटेन को अपने रुतबे में गिरावट आती दिखी। नतीजतन, विरोध की भावना शुरू हुई और अब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया है।
- सवाल यही है कि इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी बदलेगी और देश-दुनिया पर इसका कितना असर पड़ेगा? शेयर बाजार लुढ़कने लगे हैं और पाउंड में भी गिरावट आई है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि शेयर बाजार अनुमान व संभावना पर ही ऊपर-नीचे होते हैं। मगर आर्थिक मोर्चे पर इस घटनाक्रम को कोई बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा नहीं लग रहा।
- यूरोपीय संघ में जर्मनी के बाद ब्रिटेन दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था। यह ऐसा मुल्क है, जो परमाणु शक्ति से संपन्न है और सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य है। यह मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, और अमेरिका का करीबी है। लिहाजा उस पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हां, फिलहाल ब्रिटिश पाउंड की स्थिति डांवांडोल रहने से अमेरिकी डॉलर में मजबूती आ सकती है।
- इस फैसले का सर्वाधिक असर जिस पर पड़ेगा, वह है बहुलवादी-संस्कृति की भावना। प्रवासियों की आमद चूंकि एक बड़ा मुद्दा रही है, लिहाजा सीमा पर कई तरह की बंदिशें लग सकती हैं। दोनों हिस्से यानी ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अन्य देश, रक्षात्मक रणनीति अपनाएंगे। अब संबंधों का

Gshindi.com

भी नया समीकरण बनेगा। अमेरिका व यूरोपीय संघ (ब्रिटेन को छोड़कर), अमेरिका व ब्रिटेन, और ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के बीच नए कूटनीतिक, आर्थिक व रणनीतिक संबंध बनते हुए हम देखेंगे।

- इस घटनाक्रम से भारत को नुकसान भी है, तो फायदा भी। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2015-16 में ब्रिटेन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14.02 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत को साढ़े तीन अरब डॉलर से ज्यादा का फायदा हुआ। यह फायदा बढ़ सकता है। अभी मुक्त व्यापार को लेकर यूरोपीय संघ से हमारी बातचीत चल ही रही थी। अब हमें इसे लेकर ब्रिटेन के साथ अलग और यूरोपीय संघ के साथ अलग समझौते करने होंगे। यूरोपीय संघ शायद न भी माने, पर उम्मीद यही है कि ब्रिटेन इस मामले में नरम रुख अपनाएगा। खासकर वहां काम कर रहे भारतीय कामगारों की सामाजिक सुरक्षा जैसे मामलों में उसके रुख में नरमी दिख सकती है।

- इसकी वजह यही है कि उसे अभी भारत जैसे बड़े बाजार की तलाश है। हमारे छात्रों को भी वहां विशेष तवज्जो मिल सकती है। आशा है कि अब आसानी से उन्हें वहां दाखिला मिल सकेगा। ब्रिटेन की कोशिश यह भी होगी कि इंग्लैंड के निवेश को भारत खास महत्व दे। जिस तरह मॉरिशस, साइप्रस या सिंगापुर से आने वाले निवेश को लेकर भारत के रुख में उदारता होती है, ठीक वैसी ही नरमी वह भी चाहेगा। इससे ब्रिटिश पाउंड को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन एक मुश्किल भारतीय कंपनियों को लेकर आ सकती है, क्योंकि उन्हें पूरे यूरोप का बाजार नहीं मिलेगा।

हालांकि अगर हम इस मुद्दे पर दबाव बनाएं, तो संभव है कि हमारी भूमिका कमतर न हो। यहां यह सावधानी रखने की जरूरत होगी कि रोजगार पर किसी तरह का संकट न आए। चूंकि यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे में रोजगार भी एक रहा है, इसलिए यदि युवाओं को काम नहीं मिला, तो न सिर्फ कारोबारी कंपनियों के खिलाफ, बल्कि वहां की सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने से बाहरी देशों की कंपनियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि अभी जो वहां की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आएंगे, उसे लेकर खास नीति बनाई जाए।

विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ ही तमाम विभागों व मंत्रालयों को, जो ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। बहरहाल, नजर अब इसी बात पर होगी कि वहां से किस तरह के कूटनीतिक संबंध विकसित होते हैं। अगर रक्षात्मक कूटनीति की तरफ ब्रिटेन या यूरोपीय संघ आगे बढ़ता है, तो हमें उस हिसाब से रणनीति बनानी होगी। चूंकि आशंका यह भी है कि बहुसांस्कृतिक भावना पर हमले हो सकते हैं, लिहाजा उससे हमें सावधान रहना होगा।

**"ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने का भारत पर असर"**

- अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर होता है तो यूरोपियन यूनियन से कारोबारी रिश्ते रखने वाले देशों पर बुरा असर पड़ेगा. भारत के लिए तो यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है. 50 करोड़ आबादी वाले यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था 16 खरब डॉलर है जो पूरी दुनिया की जीडीपी के एक चौथाई के बराबर है. सरकार के आंकड़ें के मुताबिक 2015-16 में ब्रिटेन के साथ व्यापार 94 हजार 300 करोड़ रुपये रहा जिसमें 59 हजार 100 करोड़ रुपये निर्यात और 34 हजार 700 करोड़ रुपये का आयात हुआ

- ब्रिटेन में काम कर रही 800 भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है. खास तौर पर भारतीय आईटी सेक्टर के 6 से 18 फीसदी कमाई ब्रिटेन से ही होती है. भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में घुसने का रास्ता ब्रिटेन से शुरु होता है. ऐसे में ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने पर यूरोप के देशों से नए करार करने होंगे. कंपनिय़ों का खर्च बढ़ेगा. और अलग अलग देशों के अलग अलग नियम-कानून से जूझना होगा.

- ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने पर करेंसी पर भी असर पड़ेगा. यूरो-पाउंड के झगड़े में दुनिया भर में डॉलर की मांग बढ़ने से डॉलर महंगा होगा. डॉलर महंगा होने से विदेश से खरीदा जानेवाला सोना और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी महंगे हो सकते हैं. डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटेगी. ऐसा होने से भारत को कच्चे तेल के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. यानि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी. अगर सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को रोकना चाहती है तो फिर उसे अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी छूट देनी होगी.

- एक्साइज ड्यूटी की छूट में पैसे खर्च किए तो राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है. ये रोकने के लिए आय के नए स्रोत खोजने होंगे. ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने पर दुनिय़ा भर के शेयर बाजारों में अनिश्चितता का माहौल रहेगा. इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है. हालांकि अगर आईटी समेत भारतीय गुड्स निर्यात करनेवाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर ये है कि रुपया सस्ता होने से उन्हें ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलेगी.

- अगर ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाता है तो आईटी सेक्टर पर असर देखने को मिल सकता है. ब्रेक्सिट से करेंसी में उतार-चढ़ाव से दिक्कतें बढ़ेंगी और ज्यादातर आईटी कंपनियों पर असर दिखेगा. बता दें कि एचसीएल टेक की 33 फीसदी आय यूरोप से आती है. टीसीएस की कुल आय में यूरोप का योगदान 14 फीसदी का है, तो विप्रो की आय में 12 फीसदी का योगदान है. टेक महिंद्रा की आय में भी 12 फीसदी का योगदान है, तो इंफोसिस की आय में 6.6 फीसदी का योगदान है.

- दरअसल ब्रेक्सिट ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का चुनावी वादा था, ऐसे में अब ये जनमत संग्रह हो रहा है. हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में बने रहने के पक्ष में हैं. आखिर ब्रेक्सिट की नौबत क्यों आई है, इस पर बताना चाहेंगे कि यूरोप के कानूनों से ब्रिटेन को बिजनेस में रुकावटें पैदा हो रही हैं. ब्रिटेन से यूरोप को ज्यादा फायदा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को कम फायदा है. ब्रेक्सिट होने से

ब्रिटेन का यूरोप से आने वाले लोगों पर नियंत्रण होगा. यही नहीं ब्रिटेन में प्रवासी नागरिकों के अपने घर पैसे भेजने पर आंशिक रोक लगेगी. साथ ही ये भी एक कारण है कि यूरोप के पूर्ण एकीकरण में ब्रिटेन शामिल होना नहीं चाहता है.

- ब्रेक्सिट का असर ऑटो सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा. ब्रेक्सिट होने पर ट्रेड की शर्तें कड़ी हो सकती हैं और इसका जेएलआर पर निगेटिव असर संभव है, इससे टाटा मोटर्स दबाव में आ सकता है. जेएलआर की कुल बिक्री का 80 फीसदी हिस्सा यूरोप से आता है. वहीं भारत फोर्ज की आय का 25 फीसदी हिस्सा यूरोप से आता है. यूरोप में मदरसन सुमी की कई सब्सिडियरी हैं और मदरसन सुमी की 80 फीसदी आय सब्सिडियरी से ही आती है.

- अगर ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के पक्ष में वोटिंग की, तो दुनियाभर के शेयर और कमोडिटी बाजारों मे गिरावट आएगी. ग्लोबल मार्केट में 10 फीसदी तक गिरावट का अनुमान है. ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने पर डॉलर में मजबूती मुमकिन है और इससे रुपया टूटेगा. भारत के कुल एक्सपोर्ट का 15 फीसदी हिस्सा ब्रिटेन जाता है और भारत में कुल एफडीआई का 8 फीसदी ब्रिटेन से आता है. ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने पर भारत में कारोबार पर असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन आगे चलकर भारत को ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने होंगे.

---

**15. शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना भारत**

- उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 23-24 जून को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन के दौरान भारत को पाकिस्तान के साथ चीन के प्रभुत्व वाले इस समूह की सदस्यता मिल गयी है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिया।
- एससीओ को नाटो के मुकाबले तैयार हो रहे संगठन के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी सदस्यता **भारत को आतंकवाद से मुकाबला करने के साथ ही सुरक्षा और रक्षा** से संबंधित मुद्दों पर व्यापक तरीके से अपनी बात कहने में मदद करेगी।
- दुनिया में सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाले देशों में शामिल भारत एससीओ का सदस्य बनने के बाद मध्यएशिया में बड़ी गैस और तेल अन्वेषण परियोजनाओं में अपनी पैठ बढ़ा सकता है।

- एससीओ ने पिछले साल जुलाई में उफा में हुए सम्मेलन के दौरान भारत को सदस्य बनाने के लिए जमीन तैयार की थी और तब भारत, पाकिस्तान तथा ईरान को सदस्यता देने में प्रशासनिक अवरोधों को साफ किया गया था। भारत सम्मेलन में एससीओ की पूर्ण सदस्यता की प्रक्रिया पूरी की।

**=>SCO का इतिहास :-**

- रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में एक सम्मेलन में एससीओ की स्थापना की थी।

- भारत, ईरान और पाकिस्तान को 2005 के अस्ताना सम्मेलन में पर्यवेक्षकों के तौर पर इसमें शामिल किया गया था।

- ताशकंद में जून 2010 में हुए एससीओ के सम्मेलन में नयी सदस्यता पर लगी पाबंदी हटा दी गयी थी और समूह के विस्तार का रास्ता साफ हो गया था।

- भारत को लगता है कि एससीओ सदस्य के रूप में वह क्षेत्र में आतंकवाद के खतरे पर ध्यान देने में बड़ी भूमिका निभा सकेगा।
- भारत एससीओ के साथ और उसके क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे (आरएटीएस) के साथ अपने सुरक्षा संबंधी सहयोग को गहरा करना चाहता है।
- रूस एससीओ में भारत की स्थाई सदस्यता का पक्षधर रहा है वहीं चीन ने पाकिस्तान को शामिल करने पर जोर दिया है।

---

**16. भारत - थाईलैंड सम्बन्ध**

भारत एवं थाईलैंड ने अर्थव्यवस्था, आतंकवाद से निबटने, साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी से निबटने में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया। साथ ही दोनों देश ने रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में नजदीकी संबंध कायम करने पर आगे बढे हैं।

★ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत यात्रा पर आये उनके थाई समकक्ष जनरल प्रयुत चान ओ छा के बीच हुई व्यापक वार्ता के बाद इस आशय की घोषणा की गई। संतुलित समग्र आर्थिक एवं भागीदारी समझौते को शीघ्र सम्पन्न करना एक साझा प्राथमिकता है।

★ दोनों देशों ने भारत-म्यामां-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा भारत-म्यामां और थाईलैंड के बीच मोटर वाहन समझौते पर जल्द हस्ताक्षर को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर बल दिया है।

★ सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधी अधिकारियों के कार्यक्रम तथा नगालैंड विश्वविद्यालय एवं थाईलैं के चियांग माई विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र सहित दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

★भारत ने थाईलैंड से पर्यटकों को भारत के पर्यटन स्थलों और विशेष रूप से बौद्ध स्थलों के प्रति आकर्षित करने के लिए, जल्द ही थाई नागरिकों को दोहरे प्रवेश वाले ई.पर्यटक वीजा की सुविधा देने का ऐलान किया।

GShindi.com

★ आतंकवाद मुद्दे की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अवगत हैं कि आतंकवाद का तेजी से प्रसार हो रहा है तथा कट्टरपंथी विचारधारा ने एक साझा चुनौती उत्पन्न की है। इन चुनौतियों से निबटने के हमारे साझा लक्ष्य में भारत थाईलैंड का उसकी सहायता एवं सहयोग के लिए विशेष तौर पर आभारी है।

,★ आतंकवाद के अलावा दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराधों एवं मानव तस्करी से निबटने के लिए हमारे सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति जतायी।'

★ व्यापार एवं वाणिज्य के मामले में मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच 'विविधिकृत वाणिज्यिक संपर्क न केवल संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचायेंगे, बल्कि इससे व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि संभव हो पाएगी।
दोनों देशों के बीच व्यापार के अलावा व्यापक विनिर्माण एवं निवेश संपर्क के विपुल अवसर हैं।

★भारत आधारभूत क्षेत्र में थाई मजबूती विशेषकर पर्यटन आधारभूत ढांचे और इस क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं के बीच विशेषतौर पर एक समन्वय देखता है।

- 'सूचना प्रौद्योगिकी, दवाएं, आटो उपकरण एवं मशीनरी संभावित गठजोड़ के कुछ अन्य क्षेत्र हैं। हम संतुलित समग्र आर्थिक एवं भागीदारी समझौते को शीघ्र सम्पन्न करना एक साझा प्राथमिकता के रूप में देखते हैं।'

---

**16. भारत की वर्तमान विदेश नीति के तत्व : सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, NSG और MTCR की सदस्यता**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी 5 दिनी विदेश यात्रा पर रवाना हुए थे इस यात्रा का मुख्य मकसद ऊर्जा, पर्यावरण, रक्षा और सुरक्षा जैसे विभिन्न् क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेना और भविष्य में आपसी सहयोग की गति तेज करना है।
- ऐसा लगता है पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री ने जिस 'नेबरहुड फर्स्ट" को भारतीय विदेश नीति के फास्ट ट्रैक पर लाने, एक्ट ईस्ट की नीति पर बल देने तथा शेष विश्व के साथ संतुलन के साथ आगे बढ़ने की जो कोशिशें शुरू की थीं, उनके मिले-जुले परिणाम ही सामने आ पाए।
- इसलिए अब भारतीय राजनय के समक्ष पहला विषय इन नीतियों की समीक्षा का तो था ही, नई आवश्यकताओं के अनुरूप भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाने का भी था, ताकि नए संयोजनों के जरिए राजनय की स्थायी उपलब्धियां हासिल हो सकें, **विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, एनएसजी की सदस्यता और एमटीसीआर की सदस्यता**।

**=>"स्टैंडबाय मोड से एक्टिव मोड में विदेश नीति :-**

- भारतीय विदेश नीति लंबे समय से स्टैंडबाय मोड पर दिख रही थी, इसलिए देश की अपेक्षाएं नई सरकार से कुछ अधिक थीं। उन अपेक्षाओं पर शत-प्रतिशत खरे उतरने का श्रेय तो नेतृत्व को नहीं दिया जा सकता, लेकिन कूटनीतिक सक्रियता से मिले परिणामों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता।

=>प्रधानमंत्री की 5 दिनी यात्रा के प्रमुख उद्देश्य :-
पहला आर्थिक और दूसरा सामरिक।

1. मोदी की इस यात्रा ने **अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड और अमेरिका** के साथ भारत जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सुरक्षात्मक और सामरिक संयोजन किया है, उसे प्रथमदृष्टया सामरिक कूटनीति के लिहाज से लाभदायक माना जा सकता है।
2. मोदी ने भारतीय राजनय को आर्थिक ट्रैक पर कहीं तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है क्योंकि उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इसके केंद्र में थे। इस दृष्टि से उम्मीद थी कि **मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ ऊर्जा आदि के लिए कतर और स्विट्जरलैंड से धन मिलने** की संभावनाएं बढ़ेंगी।
3. अफगानिस्तान में **सलमा बांध का उद्घाटन** कर पड़ोसी के साथ सांस्कृतिक जीवंतता को सार्थक करते हुए प्रधानमंत्री जब कतर पहुंचे तो वहां भारत और कतर के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
4. भारत और कतर ने वित्तीय खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने तथा गैस संपन्न् खाड़ी देश से बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश आकर्षित करने सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
5. ध्यान रहे कि कतर एक गैस बहुल खाड़ी देश है, जहां विदेशी निवेश की संभावनाएं पर्याप्त हैं। यानी कतर भारत की ऊर्जा और आर्थिक जरूरतों को एक साथ पूरा करने में सहायक हो सकता है। साथ ही वित्तीय खुफिया इकाई भारत और कतर वित्तीय सूचना इकाई (क्यूएफआईयू) के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर से धन के प्रवाह का पता लगाने और कतर से भारत में निवेश में मदद मिलेगी। इससे अधिकारियों को धन शोधन, आतंकवाद वित्त पोषण और अन्य आर्थिक अपराधों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
6. **स्विट्जरलैंड में महत्वपूर्ण उपलब्धि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप** (एनएसजी) में भारत के शामिल किए जाने के लिए समर्थन संबंधी रही। हालांकि स्विट्जरलैंड के साथ टेक्नोलॉजी और निवेश के साथ-साथ काले धन के मसले पर बातचीत की संभावनाएं थीं, क्योंकि स्विट्जरलैंड भारतीय टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण और बड़े पूंजी निवेश के लिए तैयार हो सकता था। हालांकि काले धन पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है।

- इस यात्रा में अमेरिका में प्रधानमंत्री की पहलकदमी सबसे महत्वपूर्ण रही, जहां प्रधानमंत्री ने**अमेरिकी संसद को संबोधित कर भारतीय लोकतंत्र की समृद्धता और गतिशीलता की अनुभूति**कराई और **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में प्रवेश पाकर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक आर्म्स व्यवस्था** का हिस्सा बना।
- विशेष बात यह कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में भारत के शामिल होने के बाद अब भारत अपनी **ब्रह्मोस जैसी उच्च तकनीकी मिसाइलें मित्र देशों को बेच सकेगा,**अमेरिका से ड्रोन विमान खरीद सकेगा आदि।
- यही वजह है कि एमटीसीआर की घोषणा के बाद भारत और अमेरिका भारतीय सेना को प्रीडेटर श्रंखला के मानवरहित विमान बेचने से जुड़ी अपनी चर्चा को तेज कर सकते हैं।
- इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने **एमटीसीआर और तीन अन्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्था- ऑस्ट्रेलिया समूह, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और वासेनार समझौते** में भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया था। वहीं भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने के मामले में ओबामा प्रशासन फिलहाल सब अच्छा रहने की ही कामना कर रहा है।
- हालांकि चीन इस समूह में भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है। चीन का तर्क है कि भारत एनएसजी में प्रवेश पाने की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि उसने एनपीटी (परमाणु अप्रसार संधि) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

फिलहाल भारत वैश्विक बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार व्यवस्था में शामिल हो गया था और आशा भी थी कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत को प्रवेश मिल जाएगा। इसमें प्रवेश पाकर भारत ने एक सामरिक उपलब्धि तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी एनएसजी और सुरक्षा परिषद में प्रवेश का प्रश्न बरकरार है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत के लिए अहम है। इसलिए उपलब्धि अभी अधूरी है.

---

## National Issues:

**1. पंजाब ड्रग्स समस्या : समाज को खोखला करते हुए मादक पदार्थ**

कभी हरित क्रांति का अगुवा रहा पंजाब आज ड्रग्स की समस्या के कारण चर्चा में है।ड्रग्स से लत लोगो की तादाद बहुत बड़ी है।

=>एक नजर आंकड़ो पर:-

★सोसाइटी फ़ॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (एपीआईएम) के मुताबिक़ पंजाब में ड्रग्स और दवाइयों की लत के चपेट में क़रीब 2.3 लाख लोग हैं. जबकि क़रीब 8.6 लाख़ लोगों के बारे में अनुमान हैं कि उन्हें लत तो नहीं है, लेकिन वो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं.

★रिपोर्ट के मुताबिक़ नशा करने वालों में 99 फ़ीसदी मर्द, 89 फ़ीसदी पढ़े लिखे, 54 फ़ीसदी शादी शुदा लोग हैं. हेरोइन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मादक पदार्थ है (53 फ़ीसदी). हेरोइन इस्तेमाल करने वाला इस पर रोज़ाना क़रीब 1400 रुपए ख़र्च कर डालता है.

=>"क्यों पंजाब में नौजवान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं?

♂असली समस्या है बेरोजगारी:-

★पंजाब के नौजवानों के लिए आजीविका के विकल्पों का अभाव। यह वही पंजाब है, जो कभी अपने उद्यमी किसानों के लिए सराहा जाता था, जिसने 1960 और 70 के दशक के आरंभिक वर्षो में हरित क्रांति की कामयाबी की शुरुआती कहानियां रचीं। 1980 के दशक के बाद पंजाब देश के सबसे अधिक प्रति-व्यक्ति आय वाले सूबों में शामिल रहा।

★लेकिन पिछले दो दशकों में यह कृषि विकास दर के मामले में ज्यादातर राज्यों से पिछड़ता गया है। न सिर्फ तमाम मुख्य फसलों की पैदावार और उत्पादन थम-सा गया है, बल्कि जोत का रकबा कम होने से मुनाफा भी घटता चला गया है। फिर प्राकृतिक संसाधनों की बिगड़ती स्थिति ने भी नौजवानों को किसानी के काम से विमुख किया है।

★मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता और गिरते भूजल-स्तर के कारण खेती करना अब काफी महंगा कार्य हो गया है, और इसके मशीनीकरण के साथ हालात चरम पर पहुंच गए हैं।

★ यंत्रों के कारण मजदूरों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, ऐसे में अब तक कृषि कार्य से रोजगार पा रहे कामगार बेकार हो रहे हैं। पंजाब में कृषि क्षेत्र की बदतर हालत किसानों की खुदकुशी से भी जाहिर होती है

★हाल के वर्षो में विदेश जाने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है और राज्य में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव में बेरोजगारी की समस्या बद से बदतर होती गई है।

=>निष्कर्ष (Conclusion)

★पंजाब में ड्रग्स की समस्या कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है। सरकार की नाकामी ने यकीनन इस समस्या को और गंभीर बनाया है, पर यह मसला आर्थिक है। यह मुद्दा एक ऐसी रणनीति पर गंभीर बहस की जरूरत बता रहा है, जो न सिर्फ खेती छोड़ने वाले नौजवानों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने में समर्थ हो, बल्कि श्रम-बल का हिस्सा बनने वाले नए युवा-युवतियों की अपेक्षाओं को भी पूरा करती हो।

★ड्रग्स की लत का खतरा तो हमारी आर्थिक नीति के गंभीर रोग का लक्षण मात्र है, जो रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में नाकाम रही है। पंजाब जैसी बेचैनी दूसरे सूबों में भी दिखने लगी है और यही वक्त है कि केंद्र सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने को लेकर एक ठोस रणनीति बनाए। लेकिन अफसोस, समस्या के हल की बात तो दूर, इसकी गंभीरता ही नहीं समझी जा रही है।

**2. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशे : एक विश्लेषण**

**शिक्षा के आंकड़ो पर एक नजर:**

- संख्या के आधार पर देखा जाए, तो दुनिया में भारत की स्कूली शिक्षाहोगी। पर स्थान सरेदू बाद के चीन व्यवस्था-
- देश के15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं।
- इन 15 लाख स्कूलों में 11 लाख सरकारी और चार लाख प्राइवेट स्कूल हैं।
- प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 85 लाख है, जिनमें से 47 लाख अध्यापक सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं।

**शिक्षा की हालत:**

- परीक्षाफल घोषित होते हैं, तो ऐसे तथ्य उभरकर आते हैं, जो बताते हैं कि हमारी स्कूली शिक्षा संख्यात्मक रूप से कितनी भी आगे बढ़ रही हो, पर गुणात्मक रूप से उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।
- हाल में बिहार की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो कुछ हुआ, उससे वहां की स्कूली शिक्षा की हालत का जायजा लिया जा सकता है।
- इसी राज्य में जब प्राइमरी स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों की नौकरी नियमित करने के लिए परीक्षा ली गई, तो शिक्षक भी बेशर्मी से नकल करते पाए गए। स्कूली शिक्षा की दुर्दशा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, कम या ज्यादा सब जगह यही हाल है

**शिक्षा में सुधार के लिए लिये गए कदम**

- आजादी के बाद शिक्षा नीति दो बार 1968 और 1986/1992 में घोषित की गई थी।
- स्कूली शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को यह वैधानिक जिम्मेदारी दी गई कि छह से14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा औपचारिक रूप से किसी ऐसे स्कूल में दी जाए, जहां सभी न्यूनतम मानक पूरे होते हों।
- इसी कानून के तहत हर निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।
- हाल ही में सुब्रमण्यम समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया

**सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशे :**

- समिति ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में लागू किए गए आठवीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल न करने के प्रावधान को बदलकर पांचवीं कक्षा तक सीमितकरने का सुझाव दिया है।
- समिति ने छठी से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई में कमजोर बच्चों को सुधारात्मक कोचिंग देने और परीक्षा पास करने के दो अतिरिक्त अवसर देने का सुझाव दिया है।
- निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत स्थान गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान का सुब्रमण्यम समिति ने पुरजोर समर्थन किया है और उसे अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूलों में भी लागू करने का सुझाव दिया है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के वास्ते प्राइवेट स्कूलों के लिए भूमि, भवन, शिक्षक, फर्नीचर, विषयक जो न्यूनतम मानक लागू किए गए थे, उन मानकों को सरकारी स्कूलों पर भी सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है। साल 1968 की शिक्षा के नीति-अंतर्गत लागू किए गए त्रिभाषा फॉमरूले के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन पर भी सुब्रमण्यम कमेटी मुखर है। इसका कहना है कि पांचवीं तक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में दी जानी चाहिए और प्राथमिक स्तर पर दूसरी भाषा तथा माध्यमिक स्तर पर तीसरी भाषा के चुनाव का अधिकार राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी त्रिभाषा फॉमरूले से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
- सुब्रमण्यम समिति ने 10वीं की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया है। चूंकि 10वीं की परिक्षा में फेल होने वाले ज्यादातर बच्चे गणित व विज्ञान विषयों से होते हैं, इसलिए इन दो विषयों में अब दो तरह से प्रश्न और बुनियादी -जाएंगे बनाए पत्र- रहेगा। विकल्प का चुनने पत्र-प्रश्न भी कोई से में दोनों का विद्यार्थियों स्तर। उच्च
- समिति को एक और अच्छा सुझाव मिड को योजना मील-डे-10वीं तक के स्कूलों में विस्तारित करने का है। समिति का यह भी कहना है कि शिक्षकों को मिडजाए। रखा मुक्त से संचालन के मील-डे-
- समिति ने स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं से यह योजना संचालित करवाने को कहा है।
- स्कूली शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है शिक्षक, जिनमें से अधिकांश में इस पेशे से कोई आत्मीय लगाव नहीं पाया जाता है। उनके लिए यह सिर्फ रोजी कि है यह उपाय एकमात्र का सुधारने क्वालिटी की शिक्षा स्कूली कि है माना यह ने कमेटी है। साधन का रोटी-

नियुक्ति की शिक्षकों, न्यूनतम योग्यता, प्रशिक्षण और पेशे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में गुणात्मक सुधार करना। मौजूदा शिक्षकों को पांच वर्ष में एक बार प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया है और भविष्य में नए शिक्षकों की भर्ती के लिए पांच वर्षीय एकीकृत बीएहै गई की भी सिफारिश की करने शुरू कोर्स बीएड-बीएससी/, जो10वीं और 12वीं के बाद शुरू होंगे।

- समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम और पुस्तकों के लेखन में शिक्षक संघों की भागीदारी की भी सिफारिश की है।

**सिफारिशों का विश्लेषण** :भारत की स्कूली शिक्षा को आज जिस ऊर्जावान रूपांतरण, नेतृत्व क्षमता, कुशल प्रबंधन और विपुल संसाधनों की जरूरत है, उसकी स्पष्ट तस्वीर सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में नहीं दिखाई देती।

हमारी स्कूली शिक्षा साफ तौर पर वर्ग-विभाजन और सामाजिक भेदभाव का शिकार है। देश में संपन्न वर्ग और शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए महंगे और आलीशान स्कूल हर शहर में उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर, गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चे उन सरकारी या निजी स्कूलों में धकेल दिए जाते हैं, जहां दिखावटी तौर पर बुनियादी ढांचा तो खड़ा है, किंतु पढ़ाई-लिखाई सिर्फ नाम के लिए होती है। सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों में शिक्षा नीति को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने की बात कही गई है, पर उसमें केंद्र व राज्य सरकारों को देश के हर बच्चे को एक जैसी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया गया है।

## 3. जनसांख्यिकी : आबादी के स्वरूप में बदलाव और चुनौतियां

जनगणना के आधार पर यदि सरकार की मानें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में आई स्थिरता को शुभ संकेत कहा जायेगा लेकिन यदि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की मानें तो आने वाले तीस सालों में देश की शहरी आबादी दोगुनी हो सकती है। उनके अनुसार विकसित देशों में आमतौर पर शहरीकरण का स्तर 60 प्रतिशत से अधिक है। भारत को उस स्तर तक पहुंचने में वक्त लगेगा।

- दो से तीन दशक में देश के शहरीकरण का प्रतिशत 60 होना चाहिए, लेकिन इसके लिए 7 से 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि की जरूरत होगी। देश में शहरीकरण की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मौजूदा दौर में 30-35 प्रतिशत आबादी शहरी हो चुकी है।
- यह एक बढ़ा परिवर्तन है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में शहरीकरण की वृद्धि दर 31.16 प्रतिशत थी। इससे यह साफ हो जाता है कि देश में शहरीकरण की गति धीमी रही है। आजादी के बाद 1951 में हमारी शहरी आबादी सिर्फ 17 प्रतिशत थी। इस तरह अबतक देश में शहरीकरण दो प्रतिशत प्रति दशक की दर से बढ़ा है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीस साल बाद देश में शहरी आबादी में 60 फीसदी से भी अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।

महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भी शहरीकरण को आज की सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। आजादी के साढ़े छह दशक बाद शहरों की बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह गंभीर समस्या है।

- भारत में स्वशासन की व्यवस्था बहुत पुरानी है। इस चुनौती का सामना करने के लिए शहरों में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत बनाना होगा, सीवेज सिस्टम और ट्रीटमेंट सिस्टम को मजबूत करना होगा और स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर शहरीकरण की व्यवस्था बेहतर बनायी जा सकती है।
- जाहिर सी बात है भले शहरीकरण की वृद्धि दर धीमी रही हो लेकिन शहरीकरण में वृद्धि तो हुई और इसके पीछे आबादी में वृद्धि और देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं तथा रोजगार का अभाव वह अहम् कारण रहा जिसके चलते गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा।
- यही अहम् वजह है जिसके कारण दुनिया के अच्छे देशों की सूची में फिसड्डी हैं हम। 'दि गुड कंट्री इंडेक्स-2015' नामक सूची में शामिल दुनिया के 163 देशों में भारत को 70वें स्थान पर और स्वीडन को दुनिया का सबसे अच्छा देश करार दिया गया है।
- यह सर्वे किसी मुल्क में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, लोगों का जीवन स्तर, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड आर्डर, प्लेनेट एंड क्लाइमेट, ऐश्वर्य, समानता, स्वास्थ्य आदि जैसे विषयों को ध्यान में रख किया गया था।
- इसके अलावा 163 देशों के विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक योगदान को भी परखा गया। विडम्बना है कि इसमें कुल 35 मानकों के आधार पर दुनिया के सबसे अच्छे देशों की तैयार की गई टा ॅप टेन देशों की इस सूची में कोई भी एशियाई देश अपनी जगह नहीं बना पाया। जबकि एशियाई देशों में शीर्ष स्थान वाला जापान 19वें नम्बर पर, अमेरिका 21वें व चीन 27वें नम्बर पर है।
- स्वास्थ्य पर खर्च में भारत नेपाल से भी पिछड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी खर्च बेहद कम होने के कारण देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खस्ताहाल है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी निवेश के मामले में भारत की स्थिति बदतर है। हमारे पड़ोसी देश भूटान, श्रीलंका और नेपाल में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रति व्यक्ति खर्च हमसे ज्यादा है। उनका स्वास्थ्य सेवा पर खर्च क्रमशः 66 डालर, 45 और 17 डालर है जबकि भारत में केवल 16 डालर ही है।
- सिर्फ म्यांमार और बांग्लादेश ही दक्षिण-पूर्व एशिया में ऐसे देश हैं जिनका स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति खर्च भारत से कम यानी प्रति व्यक्ति 11 और 4 डालर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट-2015 की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि यहां 11.5 हजार लोगों की सेहत का जिम्मा एक सरकारी डाक्टर के जिम्मे है। जबकि देश में कुल मिलाकर 9.38 लाख डाक्टर हैं।
- ये कहां हैं यह मंत्रालय को भी पता नहीं है। देश में 80-85 फीसदी स्वास्थ्य सेवा पर लोग खर्च खुद उठाते हैं। कई बार उन्हें इसके लिए अपने जेवर, घर और जमीन भी बेचनी पड़ती है। इस वजह से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं।

- यह आबादी में वृद्धि का ही नतीजा है कि आज देश में हर साल खेती की जमीन औसतन 30 हजार हेक्टेयर की दर से घटती चली जा रही है। यह स्थिति चिंतनीय है। खेती योग्य जमीन जो 2011 में 18.201 करोड़ हेक्टेयर थी, वह 2013 में घटकर 18.195 करोड़ हेक्टेयर रह गई है। 2016 में उसमें और कमी आई होगी। फिर जो कृषि योग्य बची जमीन है, उसकी सिंचाई की समस्या बहुत बड़ी है। आज कुल 45 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। जाहिर है पानी की कमी है।

- विश्व बैंक चेता ही चुका है कि 'जल संकट के चलते देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। लोगों का विस्थापन बढ़ सकता है। यह भारत समेत विश्व में संघर्ष की समस्याएं खड़ी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निकाय के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से जल संकट में बढ़ोतरी हो रही है। विश्व बैंक ने बीते दिनों 'हाई एंड ड्राई क्लाइमेट चेंज, वाॅटर एंड दि इकाॅनामी' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा है कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आय और शहरों के दिनोंदिन हो रहे विस्तार से पानी की मांग में भारी बढ़ोतरी होगी, जबकि आपूर्ति अनियमित और अनिश्चित होगी।

- भारत में पानी का उपयोग अधिक कुशलता और किफायत से किये जाने पर बल देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे भारत में औसत से कम बारिश होने से पानी की किल्लत तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही पानी की मांग में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होगी।' फिर खाद, बीज आदि की भी समस्या कम नहीं है। कुल 2.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। 1.1 करोड़ जमीन ऐसी है जिस पर बीते 5 सालों से खेती ही नहीं हुई है।

- वर्तमान में देश में प्रजनन दर 2.3 है। यदि हमें आबादी में बढ़ोतरी पर काबू पाना है तो इसे 2.1 पर लाना होगा। हाल-फिलहाल भारत में 54 फीसदी परिवारों में एक या दो बच्चे हैं। इन हालात में 2020 तक आबादी स्थिर होने की उम्मीद की जा रही है। जनगणना के आंकड़े सबूत हैं कि देश के आधे से अधिक राज्यों में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है।

- हां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, असम में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से उपर है। देश की अधिकांश आबादी वाले बिहार और उत्तर प्रदेश में यह तीन को भी पार कर गई है। जाहिर है आबादी की बढ़ोतरी में इनका योगदान ज्यादा है।

- कुछ धार्मिक समूहों की बात दीगर है जो आबादी की बढ़ोतरी में बहुत आगे हैं। इसके पीछे उन समूहों की राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर होने की अदम्य लालसा हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं। इस समय देश की आधी आबादी की उम्र 18 से 25 के करीब है।

- अनुमानतः 2020 में यह औसतन 23-29 के करीब होगी। इनके लिए रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था उस समय सरकार के लिए टेड़ी खीर साबित होगा। यदि ऐसा कर पाने में कामयाबी मिलती है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस दशा में भारत समृद्ध देशों की पांत में खड़ा होगा।

- 2050 में यही पीढ़ी वृद्धावस्था के दौर में पहुंचेगी। तब एक ओर बच्चे कम पैदा होंगे, नतीजन उत्पादक हाथों की तादाद कम होगी और बूढ़ों की तादाद ज्यादा होगी जिनकी देखभाल बेहद जरूरी होगी। जाहिर है इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी अधिक होगी जिनकी पूर्ति कर पाना नौजवान पीढ़ी के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल आबादी की स्थिरता के बावजूद चुनौतियां कम नहीं होंगी। इसे झुठलाया नहीं जा सकता।

## 4. SC ने मानीं लोढ़ा समिति की कई सिफारिशें, 'वन स्टेट, वन वोट' का नियम होगा लागू

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में व्यापक और ढांचागत बदलावों के लिए दी गई जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति की सुझाई गई सिफारिशों में अधिकतर पर अपनी सहमति जता दी है।

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में ढांचागत बदलावों के मद्देनजर कोर्ट ने कई बड़े सुझावों में बोर्ड में मंत्रियों को पदाधिकार नहीं दिए जाने और किसी भी अधिकारी की उम्र 70 वर्ष तक तय करने की अहम सिफारिश को भी हरी झंडी दे दी है।

**=>वन स्टेट, वन वोट की सिफारिश मंजूर :-**

बीसीसीआई के लिए सिर दर्द बनी हुई एक राज्य एक वोट अधिकार की लोढ़ा समिति की सिफारिश को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके तहत एक राज्य में केवल एक क्रिकेट संघ को ही बीसीसीआई में वोट का अधिकार दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में तीन क्रिकेट संघों के मामले में खास ध्यान देते हुए अदालत ने 'रोटेशन' आधार (बारी-बारी) से प्रत्येक संघ को वोट देने की अनुमति दी है।

- महाराष्ट्र की ही तरह गुजरात के भी एक से अधिक क्रिकेट संघ होने की स्थिति में उसे भी रोटेशन आधार पर ही वोट का अधिकार दिया गया है। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों के खिलाफ एक संघ एक वोट के अधिकार के मामले पर सबसे अधिक विरोध जताया था। लेकिन न्यायालय ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है।

- देश में सट्टेबाजी को कानूनी रूप से वैध करने के मामले को कोर्ट ने संसद पर छोड़ दिया है। लोढ़ा समिति ने देश में लगातार बढ़ती सट्टेबाजी को देखते हुए कई अन्य देशों की तरह इसे कानूनी रूप से वैध बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसी तरह बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के तहत लाने के प्रस्ताव पर भी कोई निर्णय संसद पर छोड़ा गया है।

- उच्चतम न्यायालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के सदस्य को बीसीसीआई की संचालन परिषद में शामिल किए जाने की सिफारिश को भी मान लिया है।

- इसके अलावा अदालत ने बीसीसीआई में आये इन बदलावों पर निगरानी रखने और सिफारिशों को लागू करने का काम भी लोढ़ा समिति को सौंपर है। इस बीच बीसीसीआई ने अदालत को भरोसा जताया है कि वह सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय का सम्मान करता है और सिफारिशों को लागू करने का पूरा प्रयास करेगा।

- उधर, मुख्य न्यायाधीश ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस फैसले का सम्मान करते हुए बोर्ड में बदलावों को स्वीकार करेगा।

- अदालत ने बीसीसीआई को लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए छह महीने की समय सीमा दी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला ने इस मामले पर अपना निर्णय गत 30 जून को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कई दौर की सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को अपना निर्णय सुनाया है।

- लोढ़ा समिति की सिफारिशों को बीसीसीआई में लागू करने को लेकर इस वर्ष मार्च में सुनवाई शुरू हुई थी। बीसीसीआई ने समिति की कुछ सिफारिशों को अव्यवहारिक बताते हुए कोर्ट में अपील की थी।

- गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने ही लोढा समिति का गठन किया था जिसने चार जनवरी को दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में सुधारों के लिये सिफारिशें सुझाई थीं। वहीं कुछ राज्य क्रिकेट संघों के अलावा पूर्व क्रिकेटरों कीर्ति आजाद, बिशन ङ्क्षसह बेदी ने भी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुये लोढा समिति की सिफारिशों को लागू किये जाने की मांग की थी।

- अदालत के इस निर्णय पर खुशी जताते हुये जस्टिस लोढा ने कहा है कि यह भारतीय क्रिकेट और भारतीय खेलों के लिये बड़ा दिन है और उन्हें उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट प्रशंसक सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय पर खुश होंगे।

- गौरतलब है कि जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिर लोढा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था जिसे बीसीसीआई की गतिविधियों की समीक्षा करने और बोर्ड में आवश्यक ढांचागत सुधार किए जाने पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था ताकि बोर्ड में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके बाद इसी वर्ष चार जनवरी को शीर्ष अदालत ने समिति की सिफारिशों को जारी किया था।

- इसके बाद अदालत ने बोर्ड के सामने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए तीन मार्च की समय सीमा तय की थी। हालांकि बीसीसीआई ने अधिकतर सिफारिशों को अव्यवहारिक बताया था और अदालत में अपील की थी। वैसे बोर्ड कई सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुका है जिसके तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है।

- पीठ ने यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली कि हितों के टकराव से बचने के लिये क्रिकेट प्रशासन में एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिये। इसके साथ ही कैग द्वारा नामित व्यक्ति के आने के बाद BCCI की अन्य सभी प्रशासनिक समितियों को खारिज कर दिया।

- कोर्ट ने यह फैसला संसद पर छोड़ दिया है कि बोर्ड के कामकाज को आरटीआई के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं जिसकी सिफारिश लोढा समिति ने की थी। इसके अलावा क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने पर फैसला भी संसद के जिम्मे छोड़ दिया है।

- इसके अलावा प्रसारण अधिकारों संबंधी मौजूदा करार में किसी बदलाव का फैसला भी बोर्ड पर छोड़ दिया है। यह भी बोर्ड ही तय करेगा कि हितों के टकराव को टालने के लिये क्या फ्रेंचाइजी के सदस्य को बोर्ड में होना चाहिये।

---

**5. भारत में कोल खनन और खनन से जुड़ा आदिवासी विस्थापन**

- भारत दुनिया में कोयला का तीसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है. हमारी दो तिहाई बिजली कोयले से आती है. भारत सरकार की योजना 2020 तक कोयले का सालाना उत्पादन दोगुना करने की है ताकि बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

★करीब 70 फीसदी भारत का कोयला मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में है. छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में करीब 2.8 करोड़ आदिवासी रहते हैं.

♂♂भारत की मुख्य खदानें♂♂

1.छत्तीसगढ़ में एईसीसीएल कुसमांडा खदान

2.झारखंड के तेतरियाखड़ में सीसीएल खदान

3.ओड़िशा के बसुंधरा में एमसीएल खदान

- एमनेस्टी के मुताबिक इन तीनों खदानों की वजह से 9,250 परिवार प्रभावित हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट में इन उल्लंघनों का जिक्र किया गया है.

**=>कोल बियरिंग एरियाज एक्ट 1957 :-**

★एक्ट के मुताबिक अगर कोई सरकार धारा 4 के तहत किसी जमीन को अधिग्रहित करने की मंशा जाहिर करती है तो उसे प्रभावित समुदाय की सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी और नहीं उसे मूल निवासियों से पूर्व में इसके लिए अनुमति लेनी होगी.

★अधिकारियों को जमीन लेने के बदले में कोई मुआवजा देने की भी जरूरत नहीं होगी. साथ ही मानवाधिकार के हनन को लेकर आकलन किए जाने की भी जरूरत नहीं होगी. इन अवधि के दौरान सभी लोगों के जमीन खरीदने और बेचने के अधिकार निलंबित रहेंगे.

**=>पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986**

- पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया के तहत राज्य के प्रदूषण नियंत्रण विभाग को प्रभावित समुदाय के लोगों के साथ सार्वजनिक बातचीत करनी होती है. इस बैठक में वह अपनी चिंताओं को साझा करते हैं.

**=>पंचायत अधिनियम 1996 :-**

- पीईसीए एक्ट के तह अधिसूचित इलाकों में जमीन लेने से पहले पंचायतों और ग्राम सभाओं से बातचीत करनी होती है. एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया बेहद खराब रही है.

**=>राइट ओवर ट्रेडीशनल लैंड्स, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006**

★ पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 2009 में जारी आदेश के मुताबिक मंत्रालय से औद्योगिक परियोजना को मंजूरी मिलने के पहले राज्य सरकार को संबंधित परियोजना के लिए ग्राम पंचायत की सहमति लेनी होगी और इसमें कम से 50 फीसदी से अधिक सदस्यों का होना जरूरी होगा. इस सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी. इस कानून की वजह से जबरन अधिग्रहण पर रोक लगती है.

**=>रिपोर्ट की अहमियत**

★पिछले पांच दशकों के दौरान भारत में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की वजह से बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ है. एक अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा 5 करोड़ हो सकता है.

★ मार्च 2015 में कोयला बिल में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि कोयला और खनिज खदानों का ठेका उन्हीं को दिया जाएगा जो इसके लिए सबसे ज्यादा बोली लगाएंगे.

---

**6.दुनिया की आबादी बढ़ना बहुत चिंताजनक है तो आदिवासियों की आबादी घटना भी फिक्र की बात**

- बढ़ती आबादी से उपजने वाली चिंताओं पर दुनिया को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है. जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या के तौर पर विमर्श और नीतियों का आधार बनी हुई है. लेकिन, इसके बरक्स **आदिवासियों की घट रही जनसंख्या** पर न के बराबर बात हो रही है.

- संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि आज दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 37 करोड़ आदिवासी रह रहे हैं. भारत में भी लगभग 705 जनजातीय समूह हैं जिनकी कुल संख्या 2011 में 10 करोड़ से थोड़ा ज्यादा दर्ज की गई थी.

- चिंता की बात यह है कि इनमें कई ऐसे जनजातीय समूह हैं जो अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं. अंडमान में जारवा जनजाति की जनसंख्या तो लगभग 400 के आंकड़े तक सिमट गई है.

- भारत के जिन राज्यों में एक बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है उनमें छत्तीसगढ़ प्रमुख है. 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के सात जिलों जशपुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कोरिया में आदिवासी आबादी काफी गिरी है.

- करीब 30 फीसदी आदिवासी आबादी वाले इस राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों को देखें तो वहां आबादी की वृद्धि दर तेजी से घटी है. 2001 की जनगणना में यह दर 19.30 फीसदी थी जो 2011 में घटकर 8.76 फीसदी रह गई. इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद तमाम आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार से इस मुद्दे की तरफ ध्यान देने की मांग की थी लेकिन, उसका कोई खास नतीजा देखने में नहीं आया.

- छत्तीसगढ़ की पांच संरक्षित जनजातियों-बिरहोर, पहाड़ी, अबूझमाड़िया, बैगा, कोरवा और कमार- की आबादी लगातार कम हो रही है. राज्य में लुप्त प्राय बिरहोर आदिवासियों की आबादी का आंकड़ा 401 तक सिमट गया है. जशपुर जिले में बसने वाली असुर जाति के तो अब सिर्फ 305 लोग बचे हैं।

- कुछ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को इसकी वजह मानते हैं. वे कहते हैं कि नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 95 फीसदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर काबिल डॉक्टर नहीं हैं.

- आदिवासी इलाकों में परिवार नियोजन बंद करा दिया था लेकिन, अब टारगेट पूरा करने के लिए यह अभियान चोरी-छिपे चलाया जा रहा है.

★ हजारों साल से अपनी दुनिया में मस्त और अपनी कम ज़रूरतों में खुश रहने वाले आदिवासियों पर आधुनिकीकरण की मार भी पड़ रही है. जानकारों के मुताबिक उनके परिवेश में दूसरे समुदायों के दखल से उनका विस्थापन तो हो ही रहा है, उनमें कई आधुनिक बीमारियों का संक्रमण भी तेजी से फैलता जा रहा है.

★ लंबे समय से अपने परिवेश तक सीमित रहे आदिवासियों की प्रतिरोधक क्षमता इन बीमारियों के आगे बेहद कमजोर पड़ जाती है इसलिए उनकी मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है.

★ भोजन के मोर्चे पर सिमटते संसाधन इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं. बाजरा, कोदों, कुटकी जैसे अनाजों की घटती खेती के साथ आदिवासियों का परंपरागत भोजन खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है.

★एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते 54 फीसदी आदिवासी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. तीन साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण डायरिया होता है. आयरन की भरपूर मात्रा के चलते बाजरा न सिर्फ शरीर के लिए पोषक होता है बल्कि डायरिया से लड़ने में भी यह बहुत प्रभावी होता है.

★यह तथ्य सामने आने के बाद सरकार ने कई जगहों पर बच्चों को आंगनबाड़ी में जिंक और आयरन की गोलियां देने का उपाय खोजा है. लेकिन इसी तरह की आपात कोशिशें इस दिशा में नहीं दिखतीं कि आदिवासी समुदाय को फिर उसकी परंपरागत फसलों से जोड़ा जाए.

Gshindi.com

★ अक्सर यह भी कहा जाता है कि आदिवासियों की आबादी पर मुख्यधारा के दूसरे समुदायों की आबादी बढ़ने का दुष्प्रभाव पड़ रहा है. कहा जाता है कि जंगलों में आम शहरी और ग्रामीण समुदाय का दखल बढ़ने से ऐसे चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं. इसे सही ठहराने के लिए कई उदाहरण भी दिए जाते हैं.

★जैसे अंडमान द्वीप में रहने वाली जारवा जनजाति को पर्यटकों के लिए अघोषित रूप में ह्यूमन सफारी की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह अबूझमाड़ में रहने वाले माड़िया आदिवासियों को भी अजूबे की तरह देखने आने वालों की संख्या कम नहीं रहती.

★लेकिन इस तर्क में यह बात छिपाने की कोशिश की जाती है कि वे कौन हैं जो वहां दखल देकर आदिवासियों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उनके वनों, रीति-रिवाजों,पेड़-पौधों, भोजन और भाषा को नष्ट करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

★ ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसकी जिम्मेदार भी हमारी बढ़ती आबादी यानी आम जनता है. एकबारगी तो यही लगता है क्योंकि अक्सर हवाला दिया जाता है कि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं इसलिए जंगलों का भी सफाया हो रहा है और आदिवासियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है.

★ आबादी का बढ़ना चिंता की बात नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता. लेकिन किसी समुदाय का अस्तित्व खत्म होना भी कम चिंताजनक नहीं है. 'कथित विकास के नाम पर विकास का बाहरी मॉडल आदिवासियों पर थोपा जा रहा है जिससे इनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो रहा है. इनकी घटती आबादी को लेकर किसी को कोई परवाह नहीं है.

★ आदिवासी समाज की सेहत हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य की भी सूचक है. उनकी खुशहाली का मतलब है कि हमारे जंगल और बड़े अर्थों में देखें तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित है. इसलिए दुनिया की आबादी बढ़ना जितना चिंताजनक है उससे कम चिंताजनक आदिवासियों की आबादी घटना नहीं है

**Qus. आप उन आंकड़ो को किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं , जो दर्शाते है की भारत में जनजातीय लिंगानुपात , अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले , महिलाओं के अधिक अनुकूल है| UPSC 2015**

**7. जनसंख्या को काबू करने में अभी कम से कम अभी पांच दशक का समय ओर**

- परिवार कल्याण कार्यक्रम की विफलता के कारण आबादी को काबू करने में अभी कम से कम पांच दशक का समय और लगेगा।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय का अनुमान है कि जनसंख्या में वास्तविक कमी का दौर 2060 के बाद ही शुरू हो पाएगा। लेकिन तब तक देश की आबादी 1.8 अरब के करीब पहुंच चुकी होगी।
- स्वास्थ्य मंत्रलय और जनसंख्या स्थिरता कोष के ताजे आकलन के अनुसार यदि 2020 तक कुल प्रजनन दर 2.1 पर पहुंच जाती है तो फिर 60 के दशक में आबादी में कमी आने का दौर शुरू होगा।
- हालांकि जिस प्रकार से 55 फीसदी आबादी की हिस्सेदारी वाले छह बड़े राज्यों में प्रजनन दर अभी ऊंची बनी हुई है, उससे लगता नहीं कि 2020 तक भी यह लक्ष्य हासिल हो पाएगा।
- लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब छोटे परिवार की आवश्यकता समझ रहे हैं। यदि 2020 की बजाय 2025-26 तक भी सरकार प्रजनन दर को 2.1 तक लाने में सफल रहती है तो इसके 35 सालों के बाद आबादी में वास्तविक कमी का दौर शुरू हो जाएगा और देश की जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा।

Gshindi.com

## वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई

**1.76** फीसदी रह गई सालाना वृद्धि दर 2.15 से घटकर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2011 की जनगणना के नतीजे बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है।

## मौजूदा प्रजनन दर

**2.3** कुल प्रजनन दर है अभी देश की। इसे 2020 तक 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 राज्य यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं जबकि छह बड़े राज्यों को छोड़ बाकी काफी हद तक लक्ष्य के करीब है।

## राज्यवार प्रजनन दर की स्थिति

**8. शिक्षा: संस्थाओं की साख का सवाल**

★शिक्षा एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है, जिसका निर्मल प्रवाह जीवनदायिनी धारा है। जिस समाज और सभ्यता में शिक्षा के इस महत्त्व को समझ लिया जाता है, उसकी प्रगति की राह के हर प्रकार के अवरोध दूर करने के ज्ञान और कौशल से युक्त व्यक्ति सदा आगे आ जाते हैं।

★ आज शिक्षा की अवश्यकता किसी को भी समझानी नहीं पड़ती है। सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि संविधान के निर्देशानुसार चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध कर दिया गया है। प्रमाणस्वरूप यह कहा जाता है कि आजादी के समय की साक्षरता दर अठारह प्रतिशत से बढ़ कर आज पचहत्तर प्रतिशत के ऊपर है, जबकि आबादी में तीन गुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

★यह उपलब्धि ध्यान तो आकर्षित करती है, पर एक अन्य उपलब्धि इससे भी बड़ी है। आज हर परिवार अपने बच्चों- लड़के और लड़की दोनों- को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, जिसमें नए और उपयोगी कौशलों का सीखना भी शामिल हो, दिलाना चाहता है।

★आज से पचास-साठ साल पहले ऐसा नहीं था। निस्संदेह यह एक बड़ी कामयाबी है, मगर इसी के साथ देश के सामने एक बड़ी चुनौती भी उभरी है, जिसका समाधान केवल ईमानदार राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही संभव है। पचास और साठ के दशक तक सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की साख का लोहा हर तरफ माना जाता था।

★नैतिकता को जीवन का आधार बना कर जीने वाले अध्यापकों और प्राध्यापकों की उपस्थिति हर तरफ थी। आज के युवा यह सुन कर हैरान रह जाते हैं कि उस दौरान यह सोचना असंभव था कि किसी विश्वविद्यालय का प्राध्यापक ट्यूशन या कोचिंग करेगा! उनके दरवाजे हर उस विद्यार्थी के लिए सदा खुले रहते थे, जिसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो।

★देश के हर जिले में 'मिडिल स्कूल' के किसी न किसी नामी-गिरामी हेडमास्टर का नाम लोग अत्यंत सम्मान के साथ लेते थे, जो नियमित पढ़ाने के बाद भी 'दिन-रात' एक करके वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराते थे। 'एवजी' पढ़ाने वाले जैसे शब्द तब न संकल्पना में थे और व्यवहार में होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था।

★स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्कूलों के अध्यापकों ने ही गांधी की वाणी और विचार दूर-दराज के लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। कितनों ने ही यातनाएं सहीं, जेल गए, मगर आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम और मानव मूल्यों का महत्त्व बता गए। अपेक्षा तो यह थी कि जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, देश विकास और प्रगति के साथ शांति और भाईचारे की ओर भी अग्रसर होगा। जो लोग पंक्ति में अंतिम छोर पर पहुंचा दिए गए थे, उन्हें मानवोचित सम्मान देकर सभी अन्य के साथ बराबरी पर लाया जाएगा और एक समतामूलक समाज बनेगा, जिसमें समरसता और भाईचारे की सुगंध हर तरफ बिखरी होगी।

★ऐसा न हो पाने के अनेक कारण हो सकते हैं, मगर दूरदृष्टि पूर्ण विश्लेषण सदा यही दर्शाता है कि केवल शिक्षा को सही स्वरूप देने वालों का उचित व्यक्तित्व विकसित कर ही समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अब यक्ष प्रश्न है कि शिक्षा और उसकी संस्थाओं की साख फिर से कैसे स्थापित की जा सकती है?

★ अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो वहां वह क्या करता है, कैसे करता है या नहीं करता है, इसका निर्णय उसे खुद करना होता है। उस पर पाठ्यक्रम और परीक्षा जैसे बंधन तो होते हैं, मगर बच्चों से वह कैसे व्यवहार करता है, उनसे कितना आदर पाता है, यह उसकी अपनी योग्यता, कर्मठता और मानवीय मूल्यबोध से निर्धारित होता है, किसी के आदेशों से नहीं। अध्यापकों से की जाने वाली अपेक्षाओं में यह भी शामिल है कि वह खुद पाठ्यक्रम निर्माण कर सके और उसके निर्माण के मूल तत्त्वों से परिचित हो।

★शिक्षा की साख सुधार में अध्यापक अपना किरदार तभी निभा सकता है जब उसके प्राचार्य और अन्य अधिकारी यह जानें और मानें कि उसकी 'स्वायत्तता' उसे सम्मानपूर्वक प्रदान की जानी चाहिए। 'स्वायत्तता' शब्द का प्रचलन ज्यादातर तो विश्वविद्यालयों से जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह वहां भी न अध्यापकों को उपलब्ध होती है और न कुलपति को।

★गुरुकुल और आश्रम पद्धतियों में यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि समाज और राजतंत्र आवश्यक संसाधन तो उपलब्ध कराते थे, मगर क्या कभी किसी राजा ने ऋषि को यह आदेश दिया होगा कि अमुक विषय ही सिखाना है, या अमुक घंटे ही मेरा पुत्र सीखेगा और फिर आराम करेगा?

★लगभग पूरी शिक्षा को कुछ मूलभूत तत्त्वों के इर्दगिर्द समेटा जा सकता है: 'क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कौन पढ़ाएं, कब पढ़ाएं'। इन पर निर्णय लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जहां प्रजातंत्र की संघीय व्यवस्था संविधान में स्वीकृत है, नीतिगत स्तर पर समरूपता आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी की सहमति से शिक्षा नीति निर्धारण भी स्वीकार्य होना चाहिए।

★कक्षा दस और बारह की बोर्ड परीक्षाओं के स्तर भी समान होने चाहिए, ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में किसी भी अभ्यार्थी के साथ अन्याय न हो। विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण की स्वतंत्रता केवल कागजों पर न होकर व्यवहार में भी परिलक्षित होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की नियामक संस्थाएं अकादमिक सहयोग और मनोबल बढ़ाने के लिए जानी जाएं तो अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।

gshindi.com

★विश्वविद्यालय को नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े तो स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसी प्रकार जब राज्य स्तर के संस्थान यह निर्धारित करते हैं कि सारे राज्य में अमुक पाठ अमुक तिथि तक पूरा हो जाना चाहिए, तब अध्यापक का मनोबल नीचे आ जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं।

★प्रशासनिक स्तर पर अनेक प्रकार की गिरावट व्यवस्था में प्रवेश कर गई है, जिसका समूल उखाड़ फेंका जाना साख स्थापित करने की पहली शर्त है। सरकारी स्कूलों में मानदेय पर अल्पकालीन नियुक्तियां, जोड़-तोड़ के तबादले, राजनेताओं के दबाव, अधिकारियों द्वारा अध्यापकों का तिरस्कार और असम्मान आदि कुछ ऐसे प्रचलन हैं, जो सारे देश में कमोबेश देखे जाते हैं।

★कोई भी राष्ट्र अपनी भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करता है, जब वह बिना अध्यापकों के स्कूल चलता है। विश्वविद्यालयों में पचास-साठ प्रतिशत रिक्त अकादमिक पदों के रहते ऊंची श्रेणी के शोध की अपेक्षा करता है! भारत के समाज में आज भी लोग स्कूलों की मदद करने को आगे आने को उत्सुक हैं। यहां ऐसी परंपरा सदा से रही है। मगर सरकारी तंत्र की अरुचि और निजी तंत्र की शिक्षा से लाभांश कमाने की प्रवृत्ति ने समाज को शिक्षा से और उसके संस्थानों से दूर कर दिया है।

★आज भी वही संस्थाएं नाम कमा रही हैं, जहां सही नेतृत्व मिल रहा है। अगर कुलपति, प्राचार्य, मुख्य अध्यापक के पद केवल उनकी, योग्यता, कर्मठता, मूल्यपरकता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर भरे जाएं तो दो-चार वर्षों में देश में शिक्षा की सूरत बदल सकती है, बिना किसी हंगामे के।

★लेकिन इसके लिए चाहिए समाज का पूर्ण सहयोग, शासन तंत्र पर बदलाव के लिए दबाव और अध्यापकों पर पूर्ण विश्वास! यह सच है कि किसी भी देश के लोगों का स्तर उनके अपने अध्यापकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता है। यह समझ ही वह कुंजी है, जो शिक्षा में नया सवेरा ला सकती है।

---

**9. केरला में जंक फूड पर fat टैक्स**

केरल बजट में उन रेस्तरां पर 14.5 प्रतिशत फैट टैक्स (मोटापा कर) लगाने का प्रस्ताव किया है जो बर्गर, पिज्जा और पास्ता जैसे जंक फूड बेचते हैं।

- भारत में किसी भी राज्य में इस तरह का टैक्स लागू नहीं है।
- इससे पहले इसी तरह की टैक्स व्यवस्था डेनमार्क और हंगरी में लागू है।
- सरकार ने यह कहते हुए यह टैक्स लगाए हैं कि राज्य की व्यवस्था आर्थिक संकट से जूझ रही है।
- राज्य सरकार के बजट में 12,000 करोड़ रुपये के 'ऐंटी-स्लोडाउन पैकेज' में प्रस्तावित किया गया है। इस राशि को सड़क, पुल एवं आईटी पार्कों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा।
- नेशनल सर्वे एजेंसी ने केरल में स्कूल जाने वाले छात्रों पर दो अध्ययन किए. साल 2010 में वीएमएस बेलारी द्वारा हाई स्कूल के बच्चों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि 12 प्रतिशत बच्चों का वज़न ज्यादा था और 6.3 फीसदी मोटे थे.
- साल 2012 में किए गए दूसरे अध्ययन में पाया गया कि सरकारी स्कूल की तुलना में जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते थे उनमें मोटे होने के आसार ज्यादा थे. ये अध्ययन जिनेवा ग्लोबल हेल्थ प्लेटफार्म ने किया था.
- टैक्स लगाने को लेकर दुनियाभर में बहस हो रही है. जहां कुछ लोगों का तर्क है कि इससे मोटापे का स्तर घटाने में मदद मिलेगी वहीं कुछ इस टैक्स लगाने पर ही सवाल उठाते है.

---

**10. स्कूल और आंगनबाड़ी को एक ही निगरानी तंत्र में लाने की पहल**

- स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति से ले कर उनके प्रदर्शन और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए तैयार हो रही आईटी आधारित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जल्द ही एकीकृत कर दिया जाएगा। साथ ही इससे आंगनबाड़ी को भी जोड़ा जाएगा।

- इससे सरकार के लिए बच्चों तक तीन साल की उम्र से स्कूल छोड़ने तक नियमित रूप से **पहुंच पाना आसान** हो सकेगा।

- आईटी आधारित तंत्र को एकीकृत करने की पहल पर सैद्धांतिक रूप से कोई मतभेद नहीं है। **इससे फायदा यह होगा कि बच्चों के लिए शुरुआत से ही सभी योजनाएं एक साथ समग्र रूप से लागू** की जा सकेंगी।

- आंगनबाड़ी में दी जाने वाली 70 फीसदी सेवाएं वही हैं, जिनकी निगरानी स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी अलग व्यवस्था के तहत कर रहा है।"

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय अपने निगरानी तंत्र को न सिर्फ एक-दूसरे के लिए उपलब्ध करवा देंगे, बल्कि इसे पूरी तरह एकीकृत करने के लिए काम करेंगे।

- इस लिहाज से आधार पहचान पत्र बड़ी भूमिका निभा सकता है। इससे बच्चों से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार काफी हद तक कम किया जा सकेगा। विभिन्न मंत्रालयों का श्रम भी बचेगा।

- योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी यह एकीकरण मददगार साबित होगा। अगर एक बच्चा तीन साल की उम्र में आंगनबाड़ी में पहुंचता है, तभी उसके सभी आंकड़े एकीकृत व्यवस्था में दर्ज हो जाएंगे।

- ये आंकड़े स्कूल और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए भी उपयोग में लाए जा सकेंगे। इसमें कोशिश की जाएगी कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर सभी लाभार्थी के बायोमीट्रिक आंकड़े उपलब्ध हों। यह काम आधार के जरिए आसानी से हो सकता है।

## 11. स्कूल-पूर्व शिक्षा अनिवार्य हो: यूनीसेफ की रिपोर्ट

- पहली कक्षा से शुरू होने वाली औपचारिक पढ़ाई से पहले की शिक्षा और नौवीं-दसवीं कक्षाओं को भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।
- **यूनीसेफ की रिपोर्ट** में खास तौर पर स्कूल-पूर्व शिक्षा की बदहाली के सामने आने के बाद सरकार ने इस संबंध में भरोसा दिलाया है।
- नई शिक्षा नीति में भी इस संबंध में प्रस्ताव आए हैं। स्कूल-पूर्व शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य किए जाने की जरूरत को अब गंभीरता से समझा जा रहा है।
- स्कूल-पूर्व शिक्षा और लोअर सेकेंडरी कक्षाओं- नौवीं और दसवीं को भी सार्वभौमिक बनाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके।"

  =>**स्कूल-पूर्व शिक्षा की आवश्यकता क्यों ?**
- शिक्षा को अलग-अलग खांचों और सांचों में बांधना ठीक नहीं है। इसे समग्रता से और एकीकृत रूप में पेश किया जाना चाहिए।
- यूनीसेफ की यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में तीन से छह वर्ष की उम्र के 7.4 करोड़ बच्चों में से लगभग दो करोड़ बच्चे किसी भी तरह की पूर्व-शिक्षा हासिल नहीं कर रहे।
- जबकि इसके लिए आंगनबाड़ी जैसे व्यापक कार्यक्रम दशकों से चल रहे हैं।
- रिपोर्ट में सबसे **अहम सिफारिश यही है कि स्कूल-पूर्व शिक्षा को मजबूती देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाया जाए।**
- यहां बच्चों को खेलने और पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मिले। ज्यादा प्रशिक्षित शिक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपलब्ध हों और बेहतर आधारभूत ढांचा हो।
- साथ ही यह अभिभावकों को भी स्कूल-पूर्व शिक्षा के लिए जागरूक करने पर जोर देती है।

  **विशेष :-** वर्ष 2009 में संसद से शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया गया था, जो प्रावधान करता है कि छह से 14 वर्ष की आयु का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से इसका दायरा बढ़ाने की मांग उठ रही है।

## 12. बाल श्रम का कलंक:

भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों व अधिनियमों में बच्चों की सुरक्षा की खातिर व्यवस्थाएं की गई हैं। समय-समय पर इस उद्देश्य से नए कानून भी बनाए जाते रहे हैं। इस सब के बावजूद बाल श्रम की समस्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है

**बाल श्रम :आंकड़ो पर एक नजर:**

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल साठ हजार से अधिक बच्चे गुम होते हैं। ये गुमशुदा बच्चे बाल व्यापार, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, जबरिया भीख, मानव अंग व्यापार आदि 'धंधों' के लिए महंगी कीमतों पर बेचे जाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक हर साल इससे लगभग पैंतालीस अरब डॉलर अर्थात दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा काला धन कमाया जाता है।
- **गुम होते बच्चे** :यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में शोषण व भेदभाव के शिकार करोड़ों बच्चे अपने-अपने देश से गायब हो चुके हैं। भारत में भी बच्चों की तस्करी के आंकड़े भयावह हैं। गुम होते बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे बच्चे कहीं बाल वेश्यावृत्ति जैसे घृणित पेशे में झोंक दिए जाते हैं या खतरनाक उद्योगों या सड़क के किनारे किसी ढाबे में जूठे बर्तन धोने में लगा दिए जाते है ।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में चौदह वर्ष से कम उम्र के लगभग बारह करोड़ बाल मजदूर हैं, जो स्कूल जाने के बजाय पेट की भूख मिटाने के लिए कठोर श्रम करने को विवश हैं।

**बाल तस्करी व् बाल श्रम** : आइएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस आदि ऐसे एशियाई देश हैं जहां बच्चों के शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं, जहां बाल मजदूरों की संख्या अधिक है

**भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदम**

- भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोलह खतरनाक व्यवसायों तथा पैंसठ खतरनाक प्रक्रियाओं की बाकायदा सूची जारी कर उनमें चौदह वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रोजगार देना निषिद्ध घोषित कर रखा है।
- स्कूल चलो अभियान, मध्याह्न भोजन, सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा सरकार बाल श्रम रोकने के लिए प्रयासरत है।
- शिक्षा अधिकार कानून 2009, जिसके तहत चौदह साल तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार है।

Gshindi.com

- बाल मजदूर प्रतिबंधित एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दोषी को दस हजार से बीस हजार रुपए तक के अर्थदंड सहित एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।
- सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बच्चों को घरेलू बाल मजदूर के रूप में काम पर लगाने के विरुद्ध एक निषेधाज्ञा जारी की गई है

बाल श्रम पूरी दुनिया में एक प्रमुख सामाजिक व आर्थिक समस्या बन चुका है, जो बच्चों की शारीरिक व मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। बाल मजदूरों में से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू व अन्य प्रतिबंधित कार्यों में लगे हुए हैं।

**क्या करने की आवश्यकता है**

बच्चों के विरुद्ध उत्पीड़न और अपराध की बढ़ती घटनाएं आज विकासशील ही नहीं, कई विकसित देशों में भी चुनौती बन कर सामने आ रही हैं। महज कानून बना देने से यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। सरकार को इसके हल के लिए बाल श्रमिक अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना होगा और बाल श्रम विरोधी कानून तथा राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध परियोजना को शिक्षा अधिकार कानून के अनुरूप बनाना होगा। साथ ही समाज को भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा ताकि बेसहारा, बेघर बच्चों व बाल श्रमिकों को पुनर्वास के माध्यम से शिक्षा के अधिकार का सीधा लाभ मिल सके।

**13. नई शिक्षा नीति में दाखिले की उम्र चार साल करने की सिफारिश**

- भारत में **शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की उम्र 6 साल** है लेकिन प्री स्कूल के नाम पर ढाई साल के बाद से ही बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है
- यही वजह है कि प्राइवेट प्ले स्कूलों की तर्ज पर अब इसे सरकारी स्कूलों में भी लागू करने की योजना है. नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसे शामिल करने की सिफारिश की गई है
- साल 2010 में पहली बार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए देश में शिक्षा का अधिकार कानून बना था अब इसे **4 साल की उम्र से ही लागू करने पर विचार** हो रहा है
- नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है की किसी भी बच्चे का दिमाग 4-6 साल के उम्र में नई चीजें सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है. इसी का फायदा उठा कर प्ले स्कूल की तादाद बढ़ रही है. इसका व्यवसायीकरण भी हो रहा है. इसलिए आज के माहौल में 4-6 साल के प्री स्कूल को भी शिक्षा का हिस्सा बना देना चाहिए.
- इस सुझाव को अमल में लाने के लिए समिति ने आंगनबाड़ियो को जिम्मेदारी देने की बात कही है. मौजूदा समय में देश में 16 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल के नीचे है.
- 2015 तक के आंकड़े बताते हैं की 3 से 6 साल की उम्र तक के करीब साढ़े 3 करोड़ बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं. ऐसे में सरकार को प्री स्कूल का फॉर्मूला लागू करने में आसानी होगी.

- हालांकि कुछ जानकार आंगनबाड़ी को प्री स्कूल का जिम्मा देने के खिलाफ भी हैं. अगर नई शिक्षा नीति की सिफारिश को अमल में लाया जाता है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होगा. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्ले स्कूल का खर्चा उठाना आसान नहीं होता है

- नई शिक्षा निति की इस ड्राफ्ट पालिसी की बात अगर देश में आने वाली शिक्षा निति में शामिल कर ली जाती है, तो हर गली मोहल्ले में दो कमरों में खुलने वाले प्ले स्कूलों और क्रेच पर लगाम लग जायेगा.
- साथ हे इनके लिए नियम और कये कानून बनाने से इनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो जायेगा. लेकिन सरकार को इस बात का धयान देना होगा की नन्हे बच्चों पर इसके बाद स्कूल के बस्तों का बोझ न आ जाये.

**14. ज्यादातर घरों में बुजुर्गों का उत्पीड़न : सर्वे**

- एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ उनके अपने बुरा बर्ताव करते हैं भले ही उनकी आर्थिक, सामाजिक हालत, स्वास्थ्य स्थिति और परिवार में उनकी भूमिका जो भी हो।

- 15 जून को संयुक्त राष्ट्र बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस के मौके पर गैर सरकारी संस्था ऐजवेल फाउंडेशन ने भारतीय घरों में बुजुर्गों के साथ होती बदसुलूकी की वजह और इसका प्रभाव समझने के लिए अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से भासमूचे भारत के 323 जिलों के 3400 से ज्यादा बुजुर्गों से बातचीत की। इसका मुख्य केंद्र बुजुर्ग लोगों की जरूरत और अधिकारों पर था।

- अध्ययन में पाया गया है कि 65 फीसदी वृद्ध गरीब हैं और उनकी आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। 35 प्रतिशत के पास धन या संपत्ति, बचत, निवेश, पैतृक धन या लायक बच्चे हैं। भले ही उनकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, ज्यादातर बुजुर्गों के साथ किसी न किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक, सन् 2025 तक दुनिया भर में 60 साल या इससे ज्यादा आयु के बुजुर्गों की संख्या 1.2 अरब हो जाएगी और वैश्विक तौर पर करीब चार से छह प्रतिशत बुजुर्ग लोगों के साथ घर में किसी न किसी तरह का बुरा व्यवहार किया जाता है।

- सर्वेक्षण में शामिल किए गए नौ प्रतिशत बुजुर्गों ने कहा कि उनका शारीरिक तौर पर उत्पीड़न होता है या हमला होता है, जबकि 13 फीसदी ने कहा कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं की जाती हैं। अन्य 13 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें मानसिक यातनाएं दी जाती है।

## Disaster Management

**1. भारत में आपदा प्रबंधन : कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) की रिपोर्ट**

**=>भारत में संभावनाएं ज्यादा**

- भारत, दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा यहां की 1.2 अरब आबादी पर मंडराता रहता है। देश के कई इलाके तो इस लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, इसके बावजूद देश का आपदा प्रबंधन बेहद खराब स्थिति में है।

**- आपदा प्रबंधन पर आई कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।**रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) का गठन किया गया था, लेकिन इसके पास न तो उचित सूचनाएं होती हैं, न ही एक्शन कंट्रोल।

- सीधे शब्दों में कहें तो प्राकृतिक आपदा से निपटने में यह पूरी तरह फेल साबित हुआ है। इसके कारणों को खंगालते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि **ढांचागत व्यवस्थाएं होने के बावजूद कम्यूनिकेशन में कमी इसका सबसे बड़ा लूप होल है। इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी प्रभावी नहीं होने के कारण कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता। इसके कारण न तो आपदा के पूर्व संकेत जुटाए जाते हैं, न ही बचाव व राहत कार्यों की सही समय पर शुरुआत हो पाती है।**

- अापदाओं की बारंबारता की स्तिथि भारत में है। दिसंबर 2015 में तमिलनाडू की राजधानी चेन्नई को भी प्रकृति के रौद्र रूप का सामना करना पड़ा था, जब भारी बारिश के चलते पूरा शहर एक टापू में बदल गया और देश के दूसरे हिस्सों से उसका संपर्क टूट गया।
- वहीं इससे पहले कश्मीर दो भयावह बाढ़ का सामना कर चुका है, जबकि जंगल में आग की हालिया त्रासदी झेल चुके उत्तराखंड में पिछले कई सालों से बरसात के दौरान आपदा की स्थिति आ खड़ी होती है।
- वहीं मौसम विभाग के मुताबिक भारत में इस वर्ष अच्छे मानसून की उम्मीद है। यह उस संकेत के बाद कहा जा रहा है जबकि भारत में अल निनो के अस्पष्ट प्रभाव के चलते मौसम, खासतौर से मानसून का अनुमान लगाना मुश्किल है।

**=>सिस्टम को बेहतर बनाना होगा**

- इन सारी संभावनाओं और हकीकत के बीच पिछले महीने उत्तराखंड में बादल फटने के कारण आई प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर देश के आपदा प्रबंधन को कटघरे में ला खड़ा किया है। आपदाएं सिर्फ हमारे यहां नहीं आतीं, दुनिया के अन्य देश भी इसका सामना करते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर बनाया है।

**=>तीन बड़ी वजह जिन्होंने व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया**

**१. संचार (communication)**

- कम्यूनिकेशन कमजोर होने से पूरा प्रबंधन फेल हो जाता है। जापान और चीन ने अपना कम्यूनिकेशन मजबूत कर लिया है। अब इसी दिशा में ऑस्ट्रेलिया ने भी कदम बढ़ाए हंै और वह दुनिया का पहला टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी, आईबीएम और ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हाई-टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट एनआईसीटीए के साथ मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया डिजास्टर मैनेजमेंट ह्श्वलेटफॉर्म का मुख्य फोकस कम्यूनिकेशन पर है। यह सभी जगह से डाटा एकत्रित करके कम्यूनिकेट करेगी।

**२. योजना (planing)**

बारिश के मौसम में बादल फटना, बाढ़ आना जैसी आपदाएं आने की आशंका होने के बावजूद हमारे यहां इसके लिए तय प्लानिंग नहीं की जाती। इसकी तुलना में हम ओमान देश के इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम से सबक ले सकते हैं। यहां 1988 में इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया। 2007 में गोनू साइक्लोन के बाद इसे रिवाइव करके नेशनल कमेटी फॉर सिविल डिफेंस (एनसीसीडी) बनाया गया। यह प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का प्लान तैयार करना, उसे समय-समय पर अपडेट कर, उसके हिसाब से काम करती है।

**३. तालमेल (coordination)**

- भारत के आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी है सरकार व सरकारी एजेंसियों के साथ उनका कमजोर को-ऑर्डिनेशन। इसके कारण सही समय पर बचाव के उपाय नहीं हो पाते। चीन की नेशनल कमेटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन (एनसीडीआर) सरकारी मंत्रालयों और विभागों के साथ चीनी रेडक्रॉस समेत कुल 34 इकाइयों के साथ को- ऑर्डिनेट करती है।

- इस सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को स्थानीय स्तर पर अपनाया गया है। यहां एनसीडीआर आपदाओं की सूचना से लेकर उसे कम करने और आपदा के बाद राहत कार्य की जिम्मेदारी संभालती है।

## Internal Security:

### 1. ये पैलेट गन क्या है और क्यों पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों पर इसका इस्तेमाल किया? (J&K Protest)

हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे के बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच अब तक सैकड़ों दफा हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। कई दफा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बल पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से हजारों घायल हो गए हैं और सैकड़ों लोगों को देखने में दिक्कत आने लगी है।

**=>ये नॉन लीथल हथियार है यानी गैर-जानलेवा हथियार :-**

★ ये नॉन लीथल हथियार है यानी गैर-जानलेवा हथियार जिससे जान नहीं जाती है। जब आपकी खुद की जान अटकी हो और कोई दूसरा उपाय न हो तो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर और क्या इस्तेमाल किया जाए। आप लोगों पर डंडा चलाएंगे तो क्या ऐसी हिंसक उग्र भीड़ भागेगी?

**=>उपद्रव में शामिल लोगों ने आंसू गैस का जैसे तोड़ निकाल लिया है :-**

- इसके अलावा नॉन लीथल वेपन के तौर पर आंसू गैस के गोले हैं। उपद्रवियों में शामिल लोगों ने इसका जैसे तोड़ निकाल लिया है और कई बाद देखा गया है कि वह पहले से तैयार रहते हैं। आंसू गैस का गोला फायर होने पर ये लोग उस पर गीले बोरे डाल देते हैं जिससे उसका असर नहीं के बराबर हो जाता है।

- इसके बाद और हथियार हैं जिसे मिर्ची बम कहते हैं। इसे आलियोरेजन भी कहा जाता है। इसे लोगों पर फेंकने पर आंखों और त्वचा में जलन होने लगती है। पर ये भी उतना असरदार नहीं होता क्योंकि इसका असर भीड़ में मौजूद चंद लोगों तक ही सीमित रहता है और सैकड़ों लोगों की भीड़ पर काबू पाना मुश्किल सा हो जाता है।

**=>पैलेट गन से एक बार फायर होने से सैकड़ों छर्रे निकलते हैं जो रबर और प्लास्टिक के होते हैं**

★ले देकर पुलिस और सीआरपीएफ के पास पैलेट गन ही बचती है। इसके एक बार फायर होने से सैकड़ों छर्रे निकलते हैं जो रबर और प्लास्टिक के होते हैं। ये जहां-जहां लगते हैं उससे शरीर के हिस्से में चोट लग जाती है। अगर आंख में लग जाए तो वह काफी घातक होता है। इसकी रेंज 50 से 60 मीटर होती है। छर्रे जब शरीर के अंदर जाते हैं तो काफी दर्द तो होता है। पूरी तरह ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं।

**=>सुरक्षा बल का कहना है वे इसे कमर के नीचे फायर करते हैं :-**

★सुरक्षा बल की कोशिश होती है कि इसे सामने से फायर न करें लेकिन, ज्यादातर इनकी भिड़ंत आमने-सामने होती है। सुरक्षा बल का ये भी कहना है वो इसे कमर के नीचे फायर करते हैं लेकिन ये कई बार कमर के ऊपर भी लग जाता है। वजह है जैसे बंदूक से निशाने साधे जाते हैं और गोली वही लगती है जहां फायर की जाती है। पैलेट गन में ऐसा कुछ भी नहीं है।

★सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि इसके खराब रिजल्ट्स मालूम है, पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पैलेट बंदूकें ही हैं जिन्हें विरोध के दौरान आसानी से इस्तेमाल किया जा सका है।

★★ऐसा भी नहीं कि इस हथियार का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। इसका इस्तेमाल तो 2010 से हो रहा है। भीड़ से निपटने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में हो रहा है।

★हो सकता है अब पहली बार इतनी आवाजें उठ रही हैं तो इसके दूसरे विकल्प के बारे में भी सोचा जाए। जिससे बेकाबू लोगों पर काबू भी पाया जा सके और सुरक्षा बलों को भी कोई नुकसान न हो।

### 2. ऑपरेशन 'संकट मोचन'

- दक्षिण सूडान में जारी गृह युद्ध में फंसे सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान
- 'संकट मोचन' का उद्देश्य लगभग तीन सौ भारतीयों को दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा से सुरक्षित बाहर निकालना है।
- ऑपरेशन संकट मोचन में भारतीय वायुसेना के दो सी-17 जहाज का इस्तेमाल किया जाएगा।
- सिर्फ उन भारतीयों को बाहर निकाला जाएगा जिनके पास वैध भारतीय यात्र दस्तावेज होगा।

GShindi.com

**3. आइएस (IS) का बढ़ता खतरा**

**=>क्यों भारत को सतर्क रहना चाहिए**

- आजकल आतंकी घटनाएं जिस निरंतरता से हो रही हैं वह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह मानकर चलना कि हमारे देश में युवाओं का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस्लामिक स्टेट यानी आइएस के जेहादी दर्शन की ओर आकर्षित हो रहा है, बहुत खतरनाक होगा।
- गृह मंत्रलय बार-बार कहता है कि इस्लामिक स्टेट की पैठ भारत में बहुत सीमित है। यह तथ्य भले अपनी जगह सही हो, लेकिन जैसा कि अमेरिका ने आतंकवाद पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है, भारत में जिस प्रकार आइएस का ऑनलाइन प्रचार चल रहा है, उससे उसे बहुत खतरा है।
- लेखक तुफैल अहमद के लेख के अनुसार देश के तमाम छोटे-बड़े शहरों-जैसे छपरा, देहरादून, अलीगढ़, भीलवाड़ा, इंदौर और जबलपुर में युवाओं का एक वर्ग आइएस के दर्शन का समर्थन करता है।
- तुफैल अहमद के अनुसार यह मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का कुप्रभाव है।
- हाल  में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे ऐसा लगने लगा है कि आइएस के आतंकी भारत की सीमाओं पर न केवल दस्तक दे रहे हैं, बल्कि घुसपैठ भी कर चुके हैं। जैसे की बंगलादेश में हुआ हमला

**=>सोशल मीडिया और IS का फैलता झाल**

- भारत में जिस तरह इंटरनेट और मोबाइल फोन का प्रसार बढ़ रहा है, पढ़े-लिखे युवाओं का आतंकवाद की तरफ आकर्षित होना देश की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
- आइएस भले ही इराक-सीरिया में अपनी जमीन खो रहा हो, परंतु विदेशों में उसका फैलाव जिस तेजी से बढ़ रहा है वह सभी देशों और विशेष रूप से मुस्लिम आबादी वाले देशों के लिए खतरे की घंटी है।
- कुछ युवा IS से प्रभावित होकर भारत में दंगा करने की फिराक में थे|
- हाल में नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी-एनआइए ने हैदराबाद में आइएस के एक मॉड्यूल के 11 युवाओं को गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि ये युवा चारमीनार के निकट भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गोमांस रखकर सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते थे। विशिष्ट व्यक्तियों पर हमला करने की भी उनकी योजना थी।

**=>क्या हमारी सुरक्षा IS को निपटने में सक्षम है**

यदि हमारी आंतरिक सुरक्षा सदृढ़ होती तो हमें चिंता करने का कोई कारण नहीं था। हम किसी भी स्थिति से निपट लेते, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था न केवल लचर है, बल्कि उसको सुदृढ़ बनाने की दिशा में उदासीनता भी है।

- कुछ सराहनीय कदम जैसे की  नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का विकेंद्रीकरण, आतंकवाद निरोधक प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों की स्थापना, एनआइए का गठन और तटीय सुरक्षा योजना तैयार करना इस दिशा में उल्लेखनीय कदम थे पर reform का यह दौर थम सा गया है
- पुलिस सुधार भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुए हैं और नेटग्रिड की योजना भी मंथर गति से आगे बढ़ रही है।

**=>आवश्यकता किस बात की है**

भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में खासतौर से देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। सेना, नौसेना और वायुसेना सभी को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों ने हमारी आर्थिक नीतियों को सराहा है, परंतु दुर्भाग्य से आंतरिक सुरक्षा का ढांचा आज भी जर्जर है और उसे सुधारने के लिए जो कदम आवश्यक हैं वे नहीं उठाए जा रहे हैं। बेहतर शांति व्यवस्था किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार बनती है। सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देश की प्रगति और विदेशों में सफलता का आधार है।इसके लिए आवश्यक है की हम पुलिस प्रणाली में सुधार लाए

---

**4. निहितार्थ: माओवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में अब एक आदिवासी बटालियन बनेगी**

केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की एक आदिवासी बटालियन के गठन को हरी झंडी दे दी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक खासतौर पर माओवाद से निपटने के लिए बनने वाली इस बटालियन में सिर्फ छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी होंगे. पहले पांच साल तक इसकी तैनाती बस्तर में ही रहेगी.

- इस तरह की बटालियन बनाने का प्रस्ताव सीआरपीएफ की तरफ से चार महीने पहले आया था. तर्क दिया गया था कि इससे बस्तर में बेरोजगार आदिवासी युवाओं को माओवाद के असर से दूर ले जाया सकेगा. साथ ही अलग-अलग नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए एक दंडकारण्य बटालियन बने.

=>कारण और उसके निहितार्थ :-

1. रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण यह है कि एक तो यह नक्सलवाद की सबसे ज्यादा ग्रस्त इलाका है और दूसरा, सुरक्षा बलों में इस जिले का प्रतिनिधित्व सबसे कम भी है.

2- सरकार ने इस बटालियन में भर्ती के लिए लंबाई और छाती की माप जैसे शारीरिक योग्यता संबंधी मानदंडों में भी ढील दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी पात्रता की शर्तें पूरी कर सकें.

3- इस कदम से सुरक्षा अभियानों को मजबूती मिलेगी. इसका कारण यह है कि आदिवासियों को इलाके के भूगोल की कहीं बेहतर जानकारी होती है.

4- इसके अलावा स्थानीय सूचनाओं तक उनकी पहुंच होने के कारण वे इस इलाके में लड़ने के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं.

- 90 के दशक में इसी तरह की एक बटालियन का गठन सीआरपीएफ ने पूर्वोत्तर में भी किया था. लेकिन किसी नक्सल प्रभावित इलाके में यह कदम पहली बार उठाया गया है.

- सरकार ने पहले भी कोटे के जरिये हर बटालियन में आदिवासियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की थी हालांकि उसका यह कदम ज्यादा कामयाब नहीं हो सका.

---

**5. आतंकवाद की नई चुनौती**

**ढाका में हुए आतंकी हमले के कुछ चुकाने वाले तथ्य**

- कुछ हमलावर, जिनकी पहचान हुई है, अमीर घरों से संबंधित थे। अच्छे स्कूलों और कॉलेजों से उनकी पढ़ाई हुई थी
- कई अमीर घरों तक इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की पहुंच ने यह मिथक तोड़ दिया है कि वैश्विक आतंकवाद में सिर्फ गरीब घरों के युवा शामिल हैं।
- पढ़े-लिखे समृद्ध पृष्ठभूमि के कई युवाओं को आतंकी गतिविधियां आकर्षित कर रही हैं।
- वे इस्लाम की खातिर और जन्नत मिलने के नाम पर दुनिया में कहीं भी हमला करने को तैयार हैं।
- इनका जाल अब एशिया से लेकर पश्चिमी देशों तक फैल गया है। इनके पास पैसा ही नहीं, दिमागी क्षमता भी अधिक है।
- सोशल साइटों ने इनकी पहुंच दूरदराज में पढ़े-लिखे युवाओं तक कर दी है। यह पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती है।
- अमीर घरानों की कई पढ़ी-लिखी महिलाएं भी वैश्विक आतंकी नेटवर्क से जुड़ गई हैं। बांग्लादेश में बेशक यह पहली बार सामने आया है

**आमिर घरानों का आतंकवाद से झुडाव का इतिहास**

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने 2006 के आसपास इस्लामाबाद में कुछ अमीर घरानों के लोगों के अलकायदा और तालिबान से जुड़ने की सूचना दी थी। इस्लामाबाद के पॉश इलाके में कुछ अमीर घरों की महिलाओं के एक समय आतंकी गतिविधियों का ठिकाना बन गई लाल मस्जिद के साथ सक्रियता से जुड़े होने की सूचना पाकिस्तान सरकार को थी। लाल मस्जिद पर सैन्य कार्रवाई के बाद भी इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में अलकायदा और तालिबान का नेटवर्क विकसित होता रहा।

**आतंकी संगठनों के पास दो तरह के लड़ाके :**

- एक लड़ाके वे हैं जो गरीबी और गुरबत के कारण आतंकी बन गए हैं। दूसरे वे हैं जो अमीर घरों से संबंध रखते हैं
- पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों में बहुतायत संख्या उन लोगों की है जो गरीबी के कारण शहरों में आए और उन पर मदरसों की नजर पड़ी।
- फगान तालिबान ने भी गरीब घरों के बच्चों को अच्छे वेतन और बढ़िया खाने के बहाने आतंकी कार्रवाई में शामिल किया। अफगान तालिबान कमांडर को प्रतिमाह दो सौ से तीन सौ डॉलर वेतन देता रहा है, वहीं छोटे लड़ाके को प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता रहा।
- अफगान तालिबान के साथ ताजिक, उजबेक और उइगर आतंकी जुड़े रहे। इनमें ज्यादातर गरीब घरों के ही लड़के हैं।
- अभी तक अफ्रीका से लेकर एशिया तक गरीब घरों के लड़कों को आतंक फैलाने के लिए आतंकी संगठन भेजते रहे।
- परन्तु 2015 में कराची हमले में यह सामने आया की शामिल की आतंकी आमिर परिवारों से सम्बन्ध रखते थे| जांच एजेंसियों ने जब इसके बाद खोज अभियान चलाया तो पता चला कि कराची में इस्लामिक स्टेट की महिला शाखा इन्होंने ही गठित की है।
- **बांग्लादेश** के कई युवा इस्लामिक स्टेट की तरफ आकर्षित हुए। कुछ तो सीरिया तक पहुंच गए।
- **वैश्विक आतंकवाद में अमीर घरों के युवा ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं।** यूरोप में इसका मामला 2004 में ही सामने आ गया था। यूरोप में समृद्ध घरों की कई महिलाएं इस्लामिक स्टेट का साथ देने सीरिया पहुंच गईं। फ्रांस में पैदा हुई सम्मानित परिवारों की बीस से ज्यादा लड़कियों को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के साथ सक्रिय देखा गया।

आज वैश्विक आतंकी संगठनों के पास पैसा काफी है। जरुरत इस बात की इस आतंकवाद को न केवल सामरिक तरीको से पर बौधिक स्तर पर भी निपटा जाए | सोशल मिडिया भी एक बड़े चैलेंज के रूप में सामने आया है| इससे भी नए तरीके से deal करना होगा ताकि इससे उपझे खतरे को रोका जा सके

---

**6. आतंक को पनाह देने वाले देशों की जवाबदेही तय हो**

- आतंकवाद की समस्या से निपटने में संयुक्त राष्ट्र के 'निष्प्रभावी' नजर आने पर अपनी चिंता जाहिर करने के साथ ही भारत ने आतंकवाद पर अंतरराष्ट्रीय समझौते को 'अभियोजन या प्रत्यर्पण' (Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT))के कानूनी सिद्धांतों के साथ जल्द अपनाए जाने का आह्वान किया.
- दुनिया में आतंकी हमलों के लिए मदद मुहैया कराने वाले और आतंकियों को सुरक्षित शरण देने वाले देशों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद पर हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते में इस प्रावधान को शामिल किए जाने की मांग की है।
- आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के तौर पर हम सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। यह दुनिया भर में निदरेष लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में आतंकवाद को सही ठहराने के लिए कोई भी तर्क उचित नहीं माना जा सकता। आतंकी हमलों को मदद पहुंचाने वाले संगठन और आतंकियों का समर्थन व उन्हें शरण देने वाले देशों को अब जवाबदेह बनाने का समय आ गया है। इस जरूरत को अब और नहीं टाला जा सकता है। कोई देश इस खतरे से बचा नहीं है और न कोई अकेला देश आतंकवाद के खतरे को खत्म नहीं कर सकता।

**7. भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क देश को समर्पित**

- भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क शुरू किया गया जिसकी मदद से **थलसेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए परिस्थिति के अनुसार जानकारी साझा करेंगे**।

- सामरिक एवं अत्यंत सुरक्षित रक्षा संचार नेटवर्क (डीसीएन) की पहुंच लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर और द्वीप क्षेत्रों तक पूरे भारत में है।

- यह नेटवर्क सैन्य प्रक्रिया के सभी चरणों में उस सहयोग (ज्वाइंटमैनशिप) की ओर एक कदम है, जिसे सरकार सशस्त्र बलों में लाने की कोशिश कर रही है।

- तीनों बलों के अपने स्वयं के कमान, संचार एवं खुफिया नेटवर्क हैं लेकिन ऐसा पहली बार है जब बड़े स्तर पर तालमेल के लिए एक समर्पित नेटवर्क होगा।

- 'इन दिनों युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, यह बात तकनीक निर्धारित करती है। **इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में है** और यह इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय सेना एवं सिग्नल कोर उनके सामने आने वाली हर प्रकार की चुनौती एवं जिम्मेदारी से निपटने में सक्षम हैं।'

- डीसीएन का निर्माण एचसीएल ने करीब 600 करोड़ रपए की परियोजना के तहत किया है।

- यह नेटवर्क देशभर में फैले 111 प्रतिष्ठानों को कवर करता है और उच्च गुणवत्ता वाली आवाज, वीडियो, डेटा सेवाएं मुहैया कराता है।

---

**8. भारतीय सेना का आधुनिकीकरण : समस्याएं और समाधान**

- रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ले. जनरल डीबी शेखावत के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय समिति का गठन किया है जो थल, वायु और नौसेना के मौजूदा ताने-बाने में बदलाव लाने के लिए अपने सुझाव देगी और फालतू तंत्र की कांट-छांट करने के साथ-साथ रखरखाव के खर्चे को कम करने के उपाय सुझाएगी।
- समिति की सिफारिशों से उन पदों को समाप्त किया जा सकेगा जो तकनीकी उन्नति के चलते अब बेमानी हो चुके हैं। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आधुनिकीकरण करने का यह मतलब नहीं कि सुरक्षा सैनिकों की गिनती में भी इजाफा किया जाए।
- इस सोच के पीछे सरकार के पास दो मुख्य कारण थे।

1. एक है सैनिकों की तनख्वाह और रखरखाव के खर्च में लगातार वृद्धि। इससे कुल रक्षा बजट का 20 फीसदी से भी कम हिस्सा हथियारों और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए बचता है।
2. दूसरा कारण है दिसंबर 2015 में सेना के सम्मिलित कमांडर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह सुझाव, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे वक्त में जहां दुनिया की अन्य मुख्य ताकतें अपनी सेना की संख्या में कटौती कर रही हैं और तकनीक पर ज्यादा निर्भरता ला रही हैं वहीं हम आज भी अपनी फौज की संख्या बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहे हैं।
3. प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडरों से आह्वान किया था कि वे सभी स्तरों पर एक सम्मिलित रक्षा तंत्र की भांति काम करें ताकि मौजूदा सैनिक-अनुपात को कम करने के अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्टॉक जमा करने हेतु जिस भारी फंड की जरूरत पड़ती है, उसमें भी कटौती की जा सके।

दरअसल उपरोक्त निर्णय लेने की वजह रक्षा बजट में उपलब्ध पैसे की कमी है। पिछले एक दशक से रक्षा बजट में कुल सकल उत्पादन का प्रतिशत घटता ही जा रहा है। हालांकि इस साल 2015-16 के वित्त वर्ष के लिए तय किए गए बजट प्रावधानों के मुकाबले रक्षा बजट में 1.16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन यदि इनमें रक्षा मंत्रालय द्वारा लौटाए गए 18,295 करोड़ रुपयों को भी गिन लें तो रकम में यह इजाफा लगभग 9 प्रतिशत बैठता है। यहां पर पेच यह है कि इस पैसे में मुद्रास्फीति, डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन और हथियारों एवं उपकरणों की कीमतों में बेतहाशा वैश्विक वृद्धि शामिल नहीं है।

- 'एक रैंक-समान पेंशन' योजना पर क्रियान्वयन के चलते सेनानिवृत्त सैनिकों के पेंशन भुगतान मद में काफी इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैनिकों की तनख्वाह, और भत्तों का भुगतान रक्षा बजट से किए जाने से सैन्य और सिविल संस्थागत खर्चे में बहुत इजाफा हो जाएगा।

- 1990 के दशक में हमें इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा था। तब सेनाध्यक्ष होने के नाते मैंने तीन साल के दौरान सैनिकों की कुल संख्या में 50,000 कर्मियों (जिनमें अधिकांश गैर-लड़ाकू बल से संबंधित थे) की कटौती की थी, बशर्ते कि इसकी एवज में बचाए गए पैसे को सेना को नई खरीद के लिए आरक्षित किया जाए। हालांकि उस वक्त सेना के अंदर और बाहर इस निर्णय की काफी मुखालफत हुई थी। हम इस योजना को अमलीजामा पहनाने में सफल हुए थे परंतु इस परियोजना के तीसरे साल में हुए कारगिल युद्ध ने इस पर विराम लगा दिया था।

- आज भारतीय सेना 38,000 अधिकारियों (वैसे इनकी कुल प्रस्तावित संख्या 49,631 है) और 11.38 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है। विभिन्न काडरों के पुन:अवलोकन और संचालन हेतु आई अजीत विक्रम सिंह रिपोर्ट लागू होने से सेना में आधार के मुकाबले ऊपरी ढांचा ज्यादा भारी हो गया और इसका हश्र यह हुआ कि धरातल पर काम करने वालों के बनिस्पत मुख्यालय में बैठने वाले अधिकारियों की संख्या में काफी इजाफा हो गया। जाहिर है ऐसी व्यवस्था त्वरित और छोटे अंतराल के युद्ध जीतने के लिए बने आधुनिक रक्षा प्रबंधन के अनुरूप नहीं है।

- पिछले एक दशक में दुनिया की सभी मुख्य ताकतों ने इस प्रकार की कवायद करने का यत्न किया है और अपने सैनिकों की संख्या में भारी कमी की है। वर्ष 2012 में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों की कुल संख्या में 20 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की थी। रूस की सेना ने भी अपने बड़े डिवीजनल हेडक्वार्टर आधारित सैन्य व्यवस्था में कटौती लागू कर इन्हें त्वरित-प्रतिक्रिया और छोटे बलों में परिवर्तित कर दिया है। अमेरिका की सेना ने भी 2017 तक कुल 80,000 सैनिकों की गिनती कम करने का फैसला लिया है।

- चीन ने हाल ही में अपने सैन्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 3,00,000 फौजियों की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसके पीछे मंतव्य यह है कि पीएलए का पुनर्गठन करते हुए नवीनतम तकनीक से लैस चल-सेना में तबदील करना।

- पिछले एक दशक में भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमता में बड़े पैमाने पर तकनीक आधारित प्रणालियों का समावेश किया है, जिसमें संचार और डिजिटलकरण भी शामिल है। अब हमारे नए सैनिक ज्यादा पढ़े-लिखे और कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन जैसे आधुनिक यंत्र चलाने में माहिर हैं। इनमें अधिकांश के पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी है।

- मगर सेना ने शायद ही कभी संस्थागत सुधारों, गैर उपयोगी विभागों और मानवीय संसाधनों पर होने वाले खर्च में कटौती करने का कोई प्रयास किया होगा। इसी बीच, वे सैन्य विभाग जो परिचालन के हिसाब से इतने जरूरी नहीं हैं, उनमें नियुक्तियों की संख्या में कटौती की जानी चाहिए ताकि खर्च में कमी लाई जा सके। इसके लिए निम्न सुझाव हैं: सेना के सभी अंगों में सम्मिलित-अभियान-तालमेल में सुधार लाना ताकि किसी मोर्चे पर दोहरे-तिहरे प्रयास से बचा जाए और प्रत्येक यूनिट के मेडिकल, राशन, स्टेशन डयूटी और अन्य सुरक्षा संबंधी खर्चों में कमी लाई जा सके। हेडक्वार्टर्स खासकर फील्ड फॉर्मेशन,

- प्रशिक्षण संस्थाएं और बेमानी पड़ चुकी संस्थाओं के मुख्यालय आकार में कमी की जाए। प्रचालन-तंत्र और प्रशिक्षण सुविधाएं जैसे कि ईएमई, ऑर्डेनेंस, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी एजूकेशन कोर इत्यादि में कई विभागों का विलय और इनके आकार में छंटाई की जाए। गैर-जरूरी संस्थाएं जैसे आर्मी फार्म्स, आर्मी पोस्टल सर्विस का विलय या फिर इनका काम ठेके पर बाहरी क्षेत्र से करवाया जाए। सभी शांतिकालीन संस्थाओं का पुन:आकलन। भूमि या ऐसी सुविधाएं जो भले ही किसी भी यूनिट या फॉर्मेशन के अंतर्गत हों, उनका बहुउद्देशीय इस्तेमाल किया जाए।

- इन दिनों सीमा तक सटे क्षेत्रों में भी ऑटोमोबाइल और सिविलियन कार्यों का रखरखाव एवं मरम्मत तंत्र काफी विकसित और सदैव उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर सेना ठेके पर इनकी जिम्मेवारी निजी क्षेत्र को दे सकती है, विशेषकर माल ढुलाई में और यदि सीधे वाहन निर्माता को इस कार्य में सम्मिलित कर पाए तो भी ज्यादा बेहतर होगा।

---

## Geography:

1. भयानक भूकंप (Earthquake) से बर्बाद हो सकते हैं पूर्वी भारत के कई शहर!

- वैज्ञानिकों के मुताबिक, बांग्लादेश के नीचे एक भयंकर भूकंप बन रहा है। एक नए शोध में यह चेतावनी दी गई है कि यह भूकंप पूर्वोत्तर भारत के कई शहरों को बर्बाद कर सकता है।
- जर्नल में छपे शोध में वैज्ञानिकों का कहना है उनके पास दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा के नीचे की दो टेक्टॉनिक प्लेट्स के पास बढ़ते तनाव के सबूत हैं।

- उनका अनुमान है कि अगर तनाव की सीमा टूटती है तो इस क्षेत्र के कम से कम 140 मिलियन लोगों पर असर पड़ेगा।
- सिर्फ कंपन के सीधे प्रभाव से विनाश नहीं होगा, बल्कि महान नदियों के रास्तों, समुद्र तट के करीब की जमीन में व्यापक दौर पर बदलाव आ जाएगा। यह नया खतरा एक सबडक्शन जोन है। जहां पृथ्वी के क्रस्ट का एक हिस्सा, या फिर एक टेक्टॉनिक प्लेट किसी दूसरे को धक्का देती है।
- **क्यों है ज्यादा खतरा :** दुनिया के सबसे भयानक भूकंप इन्हीं जोन के आस-पास आते हैं। जैसे हिन्द महासागर और सुनामी, जिसने 2004 में 2,30,000 लोगों को मार डाला था। 2011 के टोहोकू भूकंप और जापान के चारों तरफ आई सुनामी 20,000 से ज्यादा को बहा लग गई थी। इसी की वजह से फुकूशिमा परमाणु आपदा भी आई थी। अभी तक पता चले सभी खतरनाक जोन समुद्र के नीचे थे, लेकिन यह भूमि के नीचे है, जिससे खतरा बढ़ जाता है।
- रिसर्चर्स के मुताबिक, भारत और हिन्द महासागर की एक बड़ी प्लेट एशिया में उत्तर-पूर्वी हिस्से पर करोड़ों-अरबों साल से धक्के मार रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर में हिमालय बना, और 2015 नेपाल भूकंप आया जिसमें करीब 9,000 लोग मारे गए। बांग्लोदश और पूर्वी भारत को इन भूकंपों से सबसे ज्यादा खतरा होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का विस्तृत डेल्टा इसकी चपेट में होगा। भूकंप का असर म्यांमार और उसके आगे भी जा सकता है

**2. परिवहन तरीके के रूप में जल मार्ग के अधिकतम उपयोग के लिए किए गए उपाय**

(i) नदी समुद्र पोत अधिसूचना के जरिये भारतीय तटीय जलों के भीतर संचालन के लिए मानव एवं तकनीकी आवश्यकता का परिनियमन;
(ii) तटीय व्यापार संचालनों को सुगम बनाने के लिए अंत: स्थलीय पोत सीमाओं की घोषणा;
(iii) तट से 20 मील की दूरी के भीतर संचालन करने वाले तटीय पोतों के लिए तटीय जहाज रानी नियम जारी करना;
(iv) बड़े बंदरगाहों को तटीय कार्गो, तटीय पोतों के लिए लंगर डालने में वरीयता एवं विशिष्ट तटीय पोतों हेतु लंगर डालने के निर्माण के लिए ग्रीन चैनल के उपयोग की सलाह देना;
(v) एग्जिम कार्गो या खाली कंटेनरों या भारत में दो बंदरगाहों के बीच घरेलू कार्गो ले जाने वाले तटीय पोतों द्वारा उपयोग के लिए बंकर ईंधनों (आईएफओ 180 और आईएफओ 380 सीएसटी) पर सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट;
(vi) तटीय जहाज रानी के लिए 70 प्रतिशत के सर्विस टैक्स को घटाकर सड़क एवं रेल के समतुल्य लाना एवं
(vii) सीमा शुल्क परिक्रियाओं का सरलीकरण आदि।

जल मार्ग के जरिये ऑटोमाबाइल कार्गो के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रॉल-ऑन–रॉल-ऑफ पोतों के लिए तटीय व्यापार शुल्क में कमी करने के अतिरिक्त यथा मूल्य आधार की जगह प्रति इकाई के आधार पर गोदी शुल्क बड़े बंदरगाहों के लिए लागू किया गया है एवं एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे भारतीय बंदरगाह तक कारों के परिवहन के लिए तटीय यात्रा पर रॉल-ऑन–रॉल-ऑफ पोतों के लिए रियायती दरों पर टैरिफ की अनुशंसा की गई है।

**3. देश में 2.30 लाख टन यूरेनियम का भंडार है**

पूर्वी सिंहभूम जिले के नरवा पहाड़ स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूसील) में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष शेखर बासु ने बताया कि देश में 2.30 लाख टन यूरेनियम का भंडार है और खपत के मुताबिक हजार-पांच सौ वर्षों तक चलेगा।

★ सिंहभूम बेल्ट यूरेनियम भंडारण के लिए लिहाज से बड़ा एवं बेस्ट सेंटर है। यहां विश्वस्तरीय माइनिंग की जाती है।

=>यूरेनियम की नई खदानें खुलने का क्रम जारी:

★ खनिज अन्वेषण निगम (एएमडी) के सहयोग से यूरेनियम की नई खदानें खोलने का क्रम जारी है।

- तुमल्लापल्ली (आंध्रपदेश), राजस्थान, मेघालय, गोगी (कर्नाटक) में खदान का काम प्रगति पर है।
- नरवा-तुरामडीह के बीच तथा जादूगोड़ा एवं बागजाता के पास भी यूरेनियम के नये पॉकेट मिले हैं। वहां भी खनन शुरू होगा।

=>900 टन यूरेनियम की है खपत:

★ देश में 900 टन प्रतिवर्ष यूरेनियम की खपत है। अभी 500 टन का उत्पादन भारत अपनी खदानों से करता हैं।

Gshindi.com

## Ethics and Governance:

1. **आम आदमी को भी भ्रष्ट बाबुओं को दंडित करने का हक देगी सरकार**

पहली बार केंद्र ने आम आदमी को भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने के वास्ते अधिकार संपन्न बनाने का फैसला किया है।

**क्यों यह फैसला :** यह कदम सुब्रमण्यम स्वामी बनाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद उठाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रासंगिक कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नागरिक को उस जनसेवक पर मुकदमा के लिए शिकायत दर्ज करने से रोकता है जिसपर अपराध करने का आरोप है।

इस फैसले के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को बिना किसी प्रस्ताव या दस्तावेजों के आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने संबंधी निजी व्यक्तियों से अनुरोध मिले हैं। डीओपीटी ने आज जारी मसविदा दिशानिर्देश में कहा कि यह उल्लेखनीय है कि ऐसे अनुरोध, जो नागरिकों से मिले हैं, शिकायत की तरह के हैं और उनके साथ उनके पक्ष में कोई दस्तावेज सबूत नहीं है, जिनकी जांच करवा सकते हैं यानी कि ऐसे अनुरोध बिना किसी प्रस्ताव या दस्तावेज के बगैर होते हैं।

उसने कहा कि जांच एजेंसियों से प्राप्त मामलों के लिए मूलभूत मापदंड और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि निजी व्यक्ति से प्राप्त अभियोजन मंजूरी संबंधी अनुरोध से निबटने के लिए प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान की जाए।

**2. बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 को मंजूरी**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 को लोकसभा में पेश करने को मंजूरी दे दी।

**संशोधन क्यों:**

इस विधेयक के प्रावधानों के क्रियान्वयन के दौरान कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। लेकिन प्रस्तावित संशोधन के अधिनियम के रूप में तब्दील होने के बाद इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी।

**उद्देश्य** :संशोधन का उद्देश्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के संदर्भ में इस विधेयक को मजबूत करना है।

इसके कानून बनने के बाद बेनामी लेनदेन और अनुचित रूप से की जाने वाली गतिविधियों को रोका जा सकेगा। संशोधन के बाद इसके कानूनी प्रावधानों से सरकार को और सशक्त बनाया जा सकेगा और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा। इसलिए यह सभी नागरिकों में न्याय संगतता को बढ़ावा देगा। हालांकि आय घोषणा योजना के तहत अपनी बेनामी संपत्तियों की घोषणा करने वाले लोगों को बेनामी अधिनियम के तहत राहत मिल जाएगी।

**3. काले धन पर विशेष जांच दल की पांचवी रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें**

★काले धन पर बने विशेष जांच दल ने अपनी पांचवी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है। विशेष जांच दल ने पांचवी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

1. **नकद लेनदेन:** विशेष जांच दल ने यह महसूस किया कि बड़े पैमाने पर बिना बही खाते का धन जमा किया गया है और नकद रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न देशों में इस संबंध में बनाये गये प्रावधानों, विभिन्न रिपोर्टों तथा ऐसे लेनदेन से संबंधित मामलों में अदालतों की टिप्पणी पर विचार करने के बाद विशेष जांच दल ने यह महसूस किया कि ऐसे लेनदेन की ऊपरी सीमा तय करने की आवश्यकता है।

★इस प्रकार, विशेष जांच दल ने सिफारिश की है कि 3,00,000 रूपये से ऊपर नकद लेनदेन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जानी चाहिए और ऐसे लेनदेन को कानून के अंतर्गत अवैध और दंडनीय बनाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

2. **नकदी रखना:** विशेष जांच दल ने महसूस किया कि बिना बही-खाते के नकद के रूप में धन रखा गया है। समय-समय पर कानून को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर नकदी की प्राप्ति की गई है, इसलिये नकदी लेनदेन की उपर्युक्त सीमा तभी सफल हो सकती है, जब नकदी रख्ने की एक सीमा तय होगी।

★ इस तरह का सुझाव पहले की रिपोर्टों में दिया गया है। विशेष जांच दल ने 15 लाख रूपये तक नकद रखने का सुझाव दिया है। यदि किसी व्यक्ति या उद्योग को इससे अधिक रकम रखने की आवश्यकता है, तो इसलिए क्षेत्र के आयकर आयुक्त से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

**4. कॉर्पोरेट संस्थानों में पारदर्शिता पर वैश्विक संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट**

★भ्रष्टाचार हमेशा विकास की राह में बड़ी बाधा साबित होती है और इसके पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है पारदर्शिता का अभाव. आम भारतीय इसके भुक्तभोगी रहे हैं और गाहे-ब-गाहे इसके विरुद्ध आवाज भी उठाते रहते हैं. इस निराशाजनक परिदृश्य में अब एक संतोषजनक खबर यह आयी है कि भारतीय कंपनियां सांगठनिक रूप से उत्तरोत्तर पारदर्शी होती जा रही हैं.

★सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता पर निगाह रखनेवाली प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले 15 देशों की 100 से अधिक कंपनियों का अध्ययन किया गया है.

★ इनमें सभी भारतीय कंपनियों ने सांगठनिक पारदर्शिता में 75 फीसदी या इससे अधिक स्कोर हासिल किया है. यह औसत अन्य देशों की कंपनियों से बहुत अधिक है.

★ इस मामले में चीनी कंपनियों का रिकॉर्ड सबसे खराब है. भारत की बेहतर स्थिति का बड़ा कारण ठोस कंपनी एक्ट का होना है, जबकि चीन में भ्रष्टाचाररोधी कानून या तो हैं ही नहीं, या फिर बहुत ही कमजोर हैं.

★इस अध्ययन में ब्राजील, मैक्सिको और रूस की कंपनियां भी शामिल की गयी हैं और कुल 54 कंपनियों का स्कोर 50 फीसदी या इससे अधिक रहा है.

★ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक पारदर्शी होने का सुझाव दिया है, ताकि बढ़ते भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके और आर्थिक विकास का लाभ ज्यादा-से-ज्यादा आबादी तक पहुंचाया जा सके. हालांकि भारत को इस रिपोर्ट से अधिक संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है.

★कुछ दिन पहले ही जारी हुई ग्लोबल फ्रॉड सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट में 285 कंपनियों के अध्ययन के बाद बताया गया था कि जिन कंपनियों में कॉरपोरेट भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं, उनमें से 25 फीसदी कंपनियां भारतीय हैं. भारत की 80 फीसदी से अधिक कंपनियों ने निवेश, व्यापारिक लेन-देन आदि में घपले से पीड़ित होने की बात भी कही थी.

★ऐसे में यह जरूरी है कि सरकारें और कंपनियां विभिन्न रिपोर्टों, दस्तावेजों तथा अपने अनुभवों के आधार पर भ्रष्टाचार को रोकने तथा पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज करें. इस संबंध में नियम-कानूनों को कठोर करने, व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आर्थिक विकास के लाभ को समुचित रूप से बांटने की दिशा में ठोस पहल की जरूरत है.

---

## Agronomy:

Agronomy:

**1. भारत का दलहनी संकट और मोजांबिक से दाल आयात : समेकित दूरगामी खाद्यान्न और कृषि नीति बनाना वक्त की जरूरत**

भारत और मोजांबिक के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत मोजांबिक में अरहर और उड़द की दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उस बढ़े हुए उत्पादन को बाद में भारत खरीद लेगा।

- वर्तमान में भारत मोजांबिक से लगभग एक मिलियन लाख टन दालें हर साल आयात करता है। अगले पांच साल में इसे दो मिलियन टन तक ले जाने की योजना बनाई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोजांबिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर दस्तख्त हुए।

★ भारत की योजना **मोजांबिक में एक रिवर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन** बनाने की भी है, जिसका इस्तेमाल भारत को दालें भेजने के लिए होगा। मोजांबिक के किसान भारत के लिए दालों का उत्पादन करेंगे और भारत मोजांबिक को यह गारंटी देगा कि वह दालों की पूरी फसल खरीद लेगा। जब योजना कार्यान्वित हो जाएगी, तो भारत में दालों की कीमतों पर नियंत्रण होना संभव होगा, क्योंकि निकट भविष्य में यह संभव नहीं लगता कि घरेलू उत्पादन से भारत में दालों की जरूरत पूरी हो सके।

★भारत में लगभग 17 मिलियन टन दालें हर साल पैदा होती हैं और यह जरूरत से लगभग पांच लाख टन कम है। इस कमी को आयात से पूरा किया जाता है।

★ पांच मिलियन टन बहुत बड़ी मात्रा है, इसमें अगर किसी वजह से कमी हो जाए, तो दालों के भाव तेजी से बढ़ने लगते हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां प्रोटीन की जरूरत बड़ी हद तक दालों से पूरी होती है।

★भारतीय उप-महाद्वीप के अलावा बाकी दुनिया में दालों की खपत बहुत कम होती है, इसलिए जिन अन्य देशों में दालें उगाई जाती हैं, वे भारत को निर्यात करने के लिए ही उगाई जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में दालों की मांग तेजी से बढ़ी है, जबकि उस हद तक उत्पादन नहीं बढ़ा है।

★ ऐसे में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों से दालें आयात की जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए दालों का बड़ा निर्यातक है, लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलिया में फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए भी दालों की कीमतें बढ़ी हुई हैं।

★ लगातार दो साल मानसून खराब होने से घरेलू उत्पादन कम हुआ है, यह भी किल्लत की एक वजह है। सरकार की योजना यह भी है कि दालों का इतना बड़ा सुरक्षित भंडार रखा जाए, जिसका इस्तेमाल दाम बढ़ने की स्थिति में दामों को नियंत्रण में रखने के लिए किया जा सके। अगर सरकार लगभग दो-ढाई लाख टन दालों का भंडार रख सके, तो यह दामों को प्रभावित करने में कारगर हो सकता है।

★सरकार की योजना यह भी है कि म्यांमार से भी मोजांबिक की तरह का समझौता किया जाए। यह संभावना है कि भारत में दालों की खपत अगले आठ-दस साल तक बढ़े और फिर वहीं स्थिर हो जाए।

★ खपत बढ़ने की वजह गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार है, जिससे उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगी है। लगभग पांच साल बाद भारत की आबादी भी लगभग स्थिर हो जाएगी, जिसके कुछ समय बाद दालों की खपत भी बढ़ना बंद हो जाए।

★सरकार को इस हिसाब से सिर्फ दालों के लिए ही नहीं, सभी खाद्य पदार्थों के लिए योजना बनानी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाकृत समृद्धि के साथ अनाज की खपत कम होती जाती है और अन्य खाद्य पदार्थों की जरूरत बढ़ती जाती है। ऐसे में, अगर 10-20 साल के लिए जरूरत और उत्पादन को संतुलित करने की योजना बनाई जाए, तो इससे किसानों को फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का सामना नहीं करना होगा।

★मोजांबिक और म्यांमार की तरह अन्य उत्पादक देशों को भी इस योजना का अंग बनाया जा सकता है। एक समेकित दूरगामी खाद्यान्न और कृषि नीति बनाना वक्त की जरूरत है।

**2. पहाड़ी इलाकों में मछली पालन : समावेशी विकास में योगदान**

मछली पालन की संभावना :निचे दीये गए पहलुओं को ध्यान में रखें तो पहाड़ी इलाकों में ठंडे पानी की मछलियों से संबंधित कारोबार के विकास की अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं| जैसे की

- इन इलाकों में अपार जल संसाधन मौजूद है और ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछलियों की पर्याप्त विविधता भी पाई जाती है।
- भारत के पर्वतीय इलाकों में पाई जाने वाली अधिकांश मछलियां काफी पौष्टिक हैं और खाने में बेहद स्वादिष्ट भी होती हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन के अलावा इन मछलियों में अमीनो एसिड, आंशिक रूप से असंतृप्त वसा अम्ल और मूल्यवान खनिज भी पाए जाते हैं।
- जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक फैले हिमालय के विशाल पर्वतीय इलाके में आठ हजार किलोमीटर लंबी नदियां और जलधाराएं मौजूद हैं।
- इनके अलावा अनगिनत मानवजलाशय निर्मित-, झीलें और तालाब भी हैं। तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी घाटों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बेशुमार जल क्षेत्र हैं जिनमें कई कीमती मछलियां पाई जाती हैं।
- देसी महसीर, स्नो ट्रॉउट, एक्सॉटिक ट्रॉउट और कार्प मछलियों को भारत के बाहर लोग काफी पसंद करते हैं।
- सुनहरी महसीर, गहरे पानी की महसीर और चॉकलेटी रंग वाली महसीर की गिनती स्पोर्ट फिश के रूप में होती है।
- उत्तरहै। जाती पाई भी विशिष्टता कआकर्ष में मछलियों कार्प कुछ वाली जाने पाई में इलाकों पहाड़ी पूर्वी-
- उत्तरत एक का मछलियों वाली होने इस्तेमाल लिए के सजावट राज्य पहाड़ी पूर्वी-रह से भंडारहै गृह- । उनका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए बहुत अधिक निवेश की भी जरूरत नहीं होती है और इसे युवा कारोबारी आसानी से अपना सकते हैं। **हांलांकि इन सभी कारोबारी संभावनाओं का दोहन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना:**
- पर्यावरणऔ अनुकूल-र संपोषणीय तरीका ही अपनाया जाए।
- इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि पर्वतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही यह स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय को बढ़ावा देने वाला भी होना चाहिए
- इंसानी हस्तक्षेप के चलते नदियों और नालों में पानी का प्रवाह कम होना, नैसर्गिक आवास में कमी और जल प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। इसे सावधानी से निपटना होगा ताकि प्रक्रति की नैसर्गिकता बनी रहे
- जलवायु परिवर्तन इससे जुड़ा एक और खतरनाक पहलू है क्योंकि ठंडे पानी की मछलियां तापमान को लेकर काफी संवेदनशील होती हैं। पानी के गर्म होने से मछलियां अधिक ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ जाने को मजबूर हो सकती हैं जहां पर जाना कठिन हो जाएगा। इनसे निपटने के लिए सोचीहै। होती दरकार की रणनीति समझी-

**3. अरहर की नई किस्म विकसित, दोगुना होगा उत्पादन**

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र (आईआईपीआर) कानपुर के विशेषज्ञों ने अरहर की नई किस्म विकसित की है।

- यह अन्य किस्मों की तुलना में दो गुना प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन देगी। मौजूदा समय में उपलब्ध दालों की किस्म 9-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। आईआईपीआर द्वारा विकसित इस नई किस्म में प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल तक उत्पादन होगा।

- केंद्र सरकार आईआईपीआर के साथ मिलकर अरहर की **नई किस्म आईपीए-203** को मध्यप्रदेश में प्रोत्साहित करेगी। यह किस्म असिंचित क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है।

- फिलहाल इसे तमिलनाडू के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। **यह 260 दिन की फसल** है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है यह किस्म प्रदेश में अगले खरीफ सीजन में बाजार में आएगी। इसे प्रयोग के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्रों पर लगाया जाएगा।

- उधर, कृषि विभाग ने अंचल में अरहर का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को **धारवाड़ पद्धति** अपनाने की सलाह दी है। धारवाड़ पद्धति के अंतर्गत प्रति एकड़ बीज की दर एक किलोग्राम लगती है। पौध अंतरण अधिक होने से इंटरक्रॉपिंग अपनाने में आसानी रहती है और खरपतवार नियंत्रण करने में सुविधा मिल जाती है। पौधरोपण के 30-35 दिन पर पौधों की शीर्ष तुड़ाई करने से अधिक संख्या में शाखाएं निकलती है और झाड़ीनुमा बनकर अधिक फैलाव हो जाता है। उत्पादन बढ़ जाता है।

## Miscellaneous:

### 1. नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर विश्व धरोहर, यूनेस्को ने दी नई पहचान

यूनेस्को ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। 15 जुलाई को करीब दो बजे यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर जब इसे शामिल किया तो विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की खोई प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई मिली।

★यूनेस्को नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन (यूनेस्को) ने महाबोधि मंदिर के बाद बिहार के दूसरे स्थल नालंदा के खंडहर को विश्व धरोहर में शामिल किया है।

★★विश्व धरोहर में शामिल होने वाला यह भारत का 33 वां धरोहर है।

**=>बढ़ेंगे सैलानी :-**

★वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने से यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। सैलानियों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक चुस्त होगी।

★धरोहर के संरक्षण पर पहले से अधिक खर्च किये जाएंगे। कर्मियों की संख्या बढ़ेगी। साइट के कम से कम दो किलोमीटर दूरी को बफर जोन घोषित किया गया है। इसके विकास, सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेवारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बिहार सरकार की होगी।

**=>कनिंघम ने की थी खोज**

★नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।

★ पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ई के आसपास हुई थी। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी।

★ हर्षवर्द्धन ने भी इसको दान दिया था। हर्षवर्द्धन के बाद पाल शासकों ने भी इसे संरक्षण दिया। न केवल स्थानीय शासक वंशों, बल्कि विदेशी शासकों ने भी इसे दान दिया था।

**=>बख्तियार खिलजी ने जला दिया था विश्वविद्यालय:-**

★विश्वविद्यालय का अस्तित्व 12वीं शताब्दी तक बना रहा। लेकिन तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला डाला।

**=>कहां है नालंदा के खंडहर**

- बोधगया से 62 किलोमीटर व पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में -14 हेक्टेयर में फैले हैं विश्वविद्यालय के अवशेष।

**=>कैसी है इमारतें**

★खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। मठ या विहार इस परिसर की पूर्व दिशा में स्थित थे, जबकि मंदिर या चैत्य पश्चिम दिशा में। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार-एक थी।

★ वर्तमान समय में भी यहां दो मंजिली इमारत है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई है। संभवत: यहां ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा भग्न अवस्था में है।

**=>मंदिर संख्या तीन है सबसे विशाल :-**

★मंदिर संख्या 3 इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे-बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपो में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में बनी हुई हैं।

**=>बौद्ध शिक्षा का था प्रमुख केन्द्र**

★पांचवी से बारहवीं शताब्दी में नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका था। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग भी यहां अध्ययन के लिए आया था।

**=>दुनिया का पहला आवासीय विवि था नालंदा महाविहार**

★दुनिया के इस पहले आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 10 हजार छात्र रहकर शिक्षा लेते थे। 2,000 शिक्षक उन्हें दीक्षित करते थे। यहां आने वाले छात्रों में बौद्ध यतियों की संख्या ज्यादा थी।

**=>यहां थी तीन लाइब्रेरी**

Gshindi.com

★प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में तीन लाइब्रेरी थीं। इनके नाम रत्नसागर, रत्नोदधि व रत्नरंजिता थे। माना जाता है जब विश्वविद्यालय में आग लगायी गयी, तो ये पुस्तकालय छह माह तक जलते रहे थे। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि विज्ञान की खोज से संबंधित पुस्तकें विदेशी लेकर चले गये थे।

★यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाने से न सिर्फ नालंदा और बिहार, बल्कि पूरे देश की गरिमा बढ़ी है। गरिमा बढ़ने के साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व बिहार सरकार के दायित्व भी काफी बढ़ गये हैं।

**2. भारत की 3 नए स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल**

यूनेस्को (UNESCO )ने इस साल भारत से जुड़े तीनों नामांकनों को अपने विश्व विरासत स्थलों मंजूरी दे दी | ये है

- चंडीगढ़ के केपीटोल कांप्लेक्स
- कंचनचंघा पार्क (**first 'mixed' heritage site from India.** A **'mixed site' exhibits qualities of both natural and cultural significance**.)
- नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल पहली बार है जब किसी देश के तीन स्थलों को समिति की बैठक के एक ही सत्र में विश्व विरासत सूची में जगह मिली हो। भारत की अब 35 साइट्स (27 cultural properties, seven natural sites and one mixed site) विश्व विरासत स्थलों में शामिल हो चुकी है|

**युनेस्को विश्व विरासत स्थल** ऐसे खास स्थानों ( को कहा जाता है, जो **विश्व विरासत स्थल समिति**द्वारा चयनित होते हैं; और यही समिति इन स्थलों की देखरेखUNESCO के तत्वाधान में करती है।

**#उद्देश्य**: इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

**3. WHO रिपोर्ट: भारत के 57% डॉक्टरों के पास नहीं है मेडिकल योग्यता**

★ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत के 57 प्रतिशत एलोपेथिक डॉक्टरों के पास मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है।

★इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से एक तिहाई डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल सेकेंडरी स्कूल तक ही शिक्षित हैं और दूसरों का इलाज कर रहे हैं।

★ यूएन वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट "द हैल्थ वर्कफोर्स इन इंडिया" में यह खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट वर्ष 2001 के तथ्यों पर आधारित है।

**3.ग्रामीण क्षेत्रों में 18.8 प्रतिशत मेडिकल क्वालीफाई**

★ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 18.8 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी ही मेडिकल क्वालीफाई हैं।

★ औसतन एक लाख की आबादी में 80 डॉक्टर हैं जिनमें 36 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास एलोपेथिक, होम्योपेथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी से संबंधित कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है।

★ डब्ल्यूएचओ ने इस स्टडी में आंकड़े 2001 की जनगणना से लिये हैं।

**4.रियो में 14 खेलों में 122 भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे अपनी चुनौती**

इस साल रियो डी जेनेरियो में होने वाले 31वें ओलंपिक खेलों में 122 भारतीय खिलाड़ी 14 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे।

★ बता दें कि इस बार ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल उतरने जा रहा है।

चूंकि इस बार ओलंपिक में हमारा सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है। ऐसे में खिलाडियों से अपेक्षाकृत ज्यादा पदकों की उम्मीद होगी।

- जिन लोगों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है उनमें से अधिकतर को सरकार की ओलंपिक पोडियम स्कीम से लिया गया है। हर खिलाड़ी को उसकी पसंद के हिसाब से प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

★ अपनी तैयारी के लिए उन्होंने जहां भी भेजने के लिए कहा उन्हें भेजा गया। उन्हें भारतीय से लेकर विदेशी कोच उपलब्ध कराए गए। हमने रियो में उनके लिए उचित आवास की व्यवस्था भी कर ली है।

इस ओलंपिक दल में एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 38, हॉकी में 32, निशानेबाजी में 12, कुश्ती में आठ, बैडमिंटन में सात, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और टेनिस में चार-चार खिलाड़ी अपनी चुनौती रखेंगे।

**5. रघुवीर चौधरी को 51वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार**

- गुजरातीके मशहूर लेखक रघुवीर चौधरी को 51 वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया।
- गांधीनगर के बापुरा में जन्मे 77 वर्षीय चौधरी को वर्ष 2015 के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
- उनकी अब तक 80 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

**6. मुस्लिम छात्रों की संख्या में 44 फीसदी वृद्धि के अलावा जनगणना के ताजा जारी आंकड़े क्या बताते हैं?**

शिक्षा के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है. भारत में 2001 से 2011 के बीच पांच से 19 वर्ष के आयु वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 30 फीसदी बढ़ी है.

★ इस मामले में परंपरागत रूप से पिछड़े रहे समुदायों के लिए यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है जिसे भविष्य के लिए अच्छा संकेत कहा जा सकता है.

★ द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना से जुड़े जो नवीनतम आंकड़े जारी हुए हैं वे बताते हैं कि पांच से 19 वर्ष के आयु वर्ग में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या 44 फीसदी बढ़ी है.

★ मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में देखें तो यह आंकड़ा 53 फीसदी तक जाता है. नतीजा यह है कि अब इस समुदाय में पांच से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 63 फीसदी विद्यार्थी हैं.

★ हालांकि हिंदुओं की तुलना में यह आंकड़ा अब भी कम है इस वर्ग में 73 फीसदी विद्यार्थी हैं.

★ जैन समुदाय के लिए यह आंकड़ा 88 फीसदी है जो देश में सबसे ज्यादा है.

★ रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो देश में 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में काम की तलाश कर रहे युवाओं की संख्या 20 फीसदी है. ईसाई समुदाय में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा 26 फीसदी है. यह एक चिंताजनक पहलू हैं क्योंकि इस इस समुदाय में पांच से 19 साल के आयुवर्ग का 80 फीसदी हिस्सा विद्यार्थियों से बनता है.

★ आंकड़ों के मुताबिक ईसाई, सिख और जैन जैसे जिन धार्मिक समुदायों में शिक्षा को लेकर पहले ज्यादा जागरुकता थी, 2001 की जनगणना के बाद उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई. जैन समुदाय में तो विद्यार्थियों की संख्या 10 फीसदी कम ही हुई.

**7. विंबलडन का खिताब: एंडी मरे के नाम**

- एंडी मरे ने फाइनल में कनाडा के मिलोस राओनिक को 6-4, 7-6, 7-6 को पराजित कर दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया।
- मरे के करियर का यह तीसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है। 29 वर्षीय मरे ने इससे पहले 2013 में भी विंबलडन में खिताब जीता था, जबकि 2012 में वह अमेरिकी ओपन चैंपियन बने थे

8. कैप्टन राधिका को आईएमओ पुरस्कार मिला

- कैप्टन राधिका मेनन को समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- मुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए 2016 का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन पुरस्कार ग्रहण करेंगी।
- उन्हें यह पुरस्कार बंगाल की खाड़ी में डूबती एक नौका से सात मछुआरों को बचाने के असाधारण अभियान में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया जाएगा।

=> **क्या है IMO:** इंटरनेशनल

- मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (आईएमओ) संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह जहाजरानी की सुरक्षा और जहाजों के जरिये समुद्र में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए काम करती है।

9.ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर

ह्यूमनकैपिटल इंडेक्स' यानी ग्रोथ में लोगों की भागीदारी के मामले में भारत काफी पीछे है।

http://gshindi.com

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 130 देशों की सूची में भारत को 105वें स्थान पर रखा है।
- पड़ोसी देशों में चीन 71वें नंबर पर है। और तो और, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भी भारत से ऊपर हैं
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विकास, समानता और सामाजिक स्थिरता के लिए कुछ कदम भी बताए हैं। इसके लिए इसने शिक्षा संस्थानों, श्रम नीतियों और ऑफिस/फैक्टरी में बदलाव को जरूरी बताया है।
- ज्यादा टेक ग्रेजुएट की वजह से सुधर सकती है रैंकिंग
- **क्या है human capital growth index**
- 'ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स' किसी देश की आर्थिक तरक्की के लिए कौशल विकास और स्किल्ड लोगों के इस्तेमाल की क्षमता को दर्शाता है।

**9. ऊषा के बाद ओलंपिक फर्राटा में दुती**

- *36 वर्ष बाद किसी भारतीय महिला ने सौ मीक्वालीफाई किया में दौड़ .*
- 36 वर्ष बाद कोई भारतीय महिला ओलंपिक की सौ मीटर दौड़ में हिस्सा लेगी।
- इससे पहले उड़न परी के नाम से विख्यात पीटी ऊषा ने 1980 में ओलंपिक की सौ मीटर दौड़ में भागेदारी की थी।
- दुती ने कजाखिस्तान के अलमाटी में 26वें जी कोसनोव मेमोरियल मीट की सौ मीटर स्पर्धा की हीट में पहले 11.30 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक का टिकट कटाया और उसके बाद फाइनल में 11.24 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक भी जीता

**10 खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के उपयोग पर रोक**

- सरकार ने पोटेशियम ब्रोमेट को खाद्य पदार्थों में एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने एक स्टडी में**ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट** पाये जाने की बात उठाई थी।
- इन तत्वों से कैंसर होने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
- फूड सेफ्टी स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने पोटेशियम आयोडेट का हवाला देते हुए कहा कि इसका मामला एक वैज्ञानिक पैनल को भेजा गया है।

इसके संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जहां तक पोटेशियम आयोडेट का सवाल है, इसका मामला वैज्ञानिक पैनल को भेजा गया है। पिछले माह अथॉरिटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी कि पोटेशियम ब्रोमेट को अनुमति प्राप्त फूड एडिटिव की सूची से निकाल दिया जाए।

सीएसई की एक स्टडी में इससे कैंसर होने की आशंका होने की बात सामने आई थी। इसके बाद ही अथॉरिटी ने यह कदम उठाया। सीएसई ने पाव और बन समेत 38 ब्रांडों की ब्रेड का टेस्ट करवाया था। इसमें पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट के तत्व पाये गए थे। तमाम देशों में इन दोनों तत्वों को नुकसानदायक मानकर प्रतिबंधित किया जा चुका है।

**11. भावना कांत, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी: इतिहास रचने की ओर तीन भारतीय महिलाएं**

★ भावना कांत, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी इतिहास रचने की ओर हैं। ये तीनों महिलाएं भारतीय एयरफोर्स में महिला शक्ति की पहचान बनने जा रही हैं।

★तीनों जल्द ही भारतीय एयरफोर्स में बतौर फाइटर पायलट शामिल हो सकती हैं। 8 मार्च 2016 को वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसका औपचारिक ऐलान किया था। इसके लिए तीन महिला ट्रेनी पायलटों को चुना गया था।

★अब इन तीनों ने हैदराबाद से 43 किलोमीटर दूर डुंडीगल की एयरफोर्स एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा कर लिया है।

★ 18 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड में तीनों महिला पायलटों को भारतीय वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट कमीशन कर लिया जाएगा, जिसके बाद इन तीनों महिलाओं की फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और कुछ महीनों के अंदर ये देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन जाएंगी।

★ भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए वर्ष 1927 में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में तत्कालीन सरकार की मंजूरी के बाद सेना के तीनों अंगों में महिला अधिकारियों को शामिल किया जाने लगा।

**=>भारतीय वायुसेना की खास जानकारी**

- महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 8.5 फीसदी है, जो सेना के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा है।
- वायुसेना में महिला पायलटों ने अब तक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ही उड़ाए हैं।
- वायुसेना में कुल 1328 महिला ऑफिसर्स हैं, जिनमें से 94 पायलट हैं, जबकि 14 नेविगेटर हैं।

Gshindi.com

- भारतीय नौसेना में 413 महिला ऑफिसर्स हैं। नौसेना में भी महिला अफसरों को वॉरशिप पर जाने की इजाजत नहीं है।

- थल सेना में महिला ऑफिसर्स की संख्या 1436 है। थल सेना में बॉर्डर पर जंग जैसे हालात की स्थिति में महिलाओं को भेजने की इजाजत नहीं है।

- थल सेना में ज्यादातर महिलाएं प्रशासनिक, मेडिकल और शैक्षिक विंग में काम करती हैं।

- अर्धसैनिक बलों जैसे BSF और ITBP में महिलाएं पहले से ही मोर्चे पर डटी हुई हैं।

- दुनिया के ज्यादातर देश महिलाओं सैनिकों को मोर्चे पर भेजने से हिचकिचाते हैं। एक धारणा यह कहती है महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कमजोर होती हैं और युद्ध के हालात में उन्हें चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है।

- वर्ष 2015 में अमेरिका के मैरीन कॉप्स के एक प्रयोग में सामने आया कि युद्ध की स्थितियों में महिलाओं को गंभीर चोट लगने का खतरा पुरुषों के मुकाबले दोगुना होता है।

- प्रयोगों में यह भी पता चला कि घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान से हटाने में भी महिलाएं उतनी ताकत नहीं लगा पातीं जितनी ताकत पुरुष सैनिक लगा सकते हैं।

- 1917 में रूस ने ऑल फीमेल कॉम्बैट यूनिट का गठन किया था, जो युद्ध के मोर्चे पर दुश्मनों से लड़ती थीं। इसी तरह वर्ष 1936 में टर्की की साबिहा गॉकेन दुनिया की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थीं। इस वक्त दुनिया के करीब 20 देश ऐसे हैं, जहां महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ाती हैं।

- यह जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में पाकिस्तान और चीन भारत से आगे हैं। पाकिस्तान और चीन में वर्ष 2013 से महिलाएं फाइटर प्लैन उड़ा रही हैं, जबकि टर्की, सऊदी अरब और अमेरिका की महिला फाइटर पायलट युद्ध में हिस्सा भी ले चुकी हैं।

**12.जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बना**

रिपोर्ट के मुताबिक जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन गया है. एक रिपोर्ट 'बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी' के अनुसार भारत की तेल मांग 2015 में 8.1 फीसदी बढ़ी है.

इसके अनुसार 41 लाख बैरल प्रतिदिन मांग के साथ अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन गया है. साल 2015 में विश्व तेल खपत में भारत का हिस्सा 4.5 प्रतिशत रहा. तेल खपत के लिहाज से अमेरिका पहले जबकि चीन दूसरे स्थान पर है.

देश में हर महीने बढ़ती कारों, 2 व्हीलर की बिक्री से साफ है कि हर महीने लाखों लोग नए वाहन खरीद रहे हैं जिससे जाहिर तौर पर तेल की खपत बढ़ना तो तय है. भारत की तेल खपत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. गौरतलब है कि ऐसा देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल-डीजल के बावजूद हो रहा है. इतना ही नहीं तेल इंपोर्ट करने वाले देशों में भी भारत का हिस्सा तेजी से बढ़ता जा रहा है.

GSHindi.com